



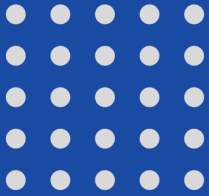
DR. M. MOHAN RAO
IAS (Retd)
CHAIRMAN



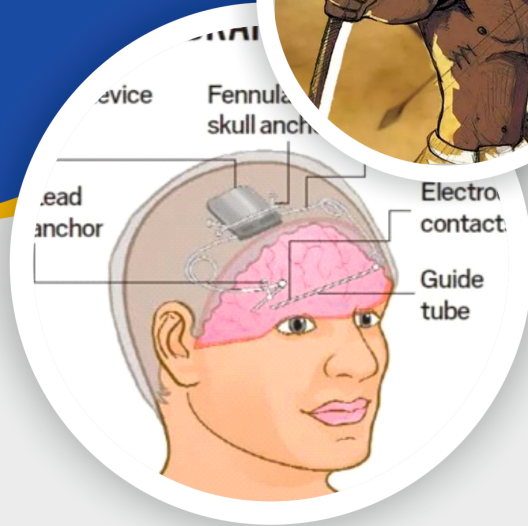
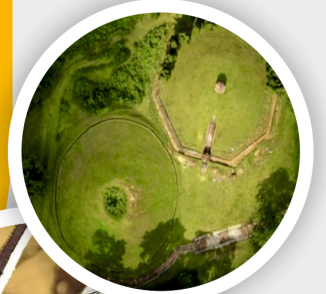
M. ARUNA MOHAN RAO
IPS (Retd)
DIRECTOR (ACADEMICS)



करेक्टर अफरम मैगजीन



अगस्त
2024



RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams



RAO'S ACADEMY

for Competitive Exams

BHOPAL | INDORE

**Offering
UPSC & MPPSC Courses**

**Both in
English & Hindi Medium**

**Best faculties
in their field of expertise**

**In - house
Content team**

**Daily
News Review**

**Monthly
Current Affairs Magazine**

**Officers
Mentorship Program**

**Crash Course and
Intensive Test Series for Prelims 2023**

EMAIL: office@raosacademy.in | WEBSITE: www.raosacademy.in

Bhopal Branch: Plot No. 132, Near Pragati Petrol Pump, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) 462011
95222 05553 , 95222 05554

Indore Branch: 10, Vishnupuri, A.B. Road, Near Medi-Square Hospital Bhawar Kuwar Square, Indore (M.P.)-452001
95222 05551, 95222 05552

अगस्त- 2024

करेंट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय

पृष्ठ संख्या

इतिहास

1-5

संथाल हुल
अमरावती: सबसे महान बौद्ध स्थलों में से एक का उत्थान और पतन
सेंट हिलारियन मठ
कलारीपयट्टु
विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए कॉरिडोर परियोजनाएँ
खंडगिरि और उदयगिरि गुफाएँ
दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग
कोझिकोड: यूनेस्को 'साहित्य का शहर'
बौद्ध धर्म में मुद्राएँ

राज्यवस्था

6-27

16वें वित्त आयोग का एजेंडा
संवैधानिक नैतिकता
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष लोक अदालत अभियान शुरू किया
कानूनी सलाहकार परिषद
वैश्विक भूख संकट पर संयुक्त राष्ट्र
पुनर्निर्मित मॉडल कौशल ऋण योजना
राज्यसभा का नियम 267
सर्वोच्च न्यायालय ने खनिजों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा
ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2023
छात्र मूल्यांकन पर PARAKH का प्रस्ताव
ICMR टीबी किट के व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगा
बजट 2024: भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र
भूल जाने का अधिकार
ज़मानत के बदले में स्थान साझा करना निजता का उल्लंघन है: SC
सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल का मुकदमा विचारणीय
राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज
डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा
विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
'नावु मनुजारु' कार्यक्रम
16वें वित्त आयोग का एजेंडा
संवैधानिक नैतिकता
यू.पी. हाथरस भगदड़

भूगोल

28-29

कल्लक्कडल घटना
पैगोंग झील
श्योक नदी
तूफान बेरिल

पर्यावरण

30-34

जलवायु वित्त कार्य निधि
मीथेन
दक्षिण अफ्रीका का जलवायु परिवर्तन विधेयक
कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पर चिंताएँ
जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण
भारत की ई-वाहन (ईवी) नीति
यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए

विज्ञान और तकनीक

35-45

मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कारगर साबित हुआ
नोवा प्रयोग
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए बजट आवंटन
डार्क ऑक्सीजन
मंगल का चेयावा फॉल्स
G.M. सरसों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी
टिनज़ापारिन
क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी
पुनर्योजी ब्रेकिंग और वैकल्पिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति विधियाँ
जंपिंग जीन और RNA ब्रिज
मिरगी के दौरे को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट काम करता है
लाई-फाई तकनीक

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

46-51

नाइन डैश लाइन
बिस्मटेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट
भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग (FIPIC) भागीदारी के लिए मंच
22वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन
भारत-रूस रणनीतिक संबंध
हरित विकास में भारत-फ्रांस भागीदारी
कोलंबो प्रक्रिया

पीआईबी

52-61

लोकमान्य तिलक की जयंती
मोइदम
AIM और WIPO के बीच आशय पत्र
एक्स खान क्वेस्ट 2024
14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक
भारत-सऊदी अरब: निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक
राष्ट्रीय धातुकर्म पुरस्कार -2024
भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC)

चंद्र शेखर आज़ाद
डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
समुद्री संगठन (IMO) 2024 पुरस्कार
अभ्यास पिच ब्लैक
ऑस्ट्रिया
भारत राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते पर हस्ताक्षर करेगा
डिजिटल इंडिया पहल के 9 साल

अर्थव्यस्था

62-79

GST के सात साल पूरे हुए
केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य बातें
मुख्य विशेषताएं: आर्थिक सर्वेक्षण 2024
भारत का कपड़ा क्षेत्र
भारत वैश्विक क्षमता केंद्र विकास के केंद्र में: सर्वेक्षण
भारत की अवैध कोयला खनन समस्या
भारत का इथेनॉल उत्पादन चीनी से मक्का की ओर स्थानांतरित हो रहा है
बजट 2024: शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए
केंद्रीय बजट 2024: सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त किया जाएगा
बजट 2024 में UK, EU के साथ FTA को सुगम बनाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम को आसान बनाया गया
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम
पूंजीगत लाभ कर
नमो ड्रोन दीदी योजना
ज़ॉम्बी स्टार्टअप
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ
राइट टू रिपेयर पोर्टल
GST ने सात साल पूरे किए
प्रोजेक्ट नेक्सस
महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण
जिला खनिज फाउंडेशन

कुरुक्षेत्र अगस्त 2024: कुरुक्षेत्र का सार : ग्रामीण भारत में नवाचार को बढ़ावा देना

80-86

- 1- लखपति दीदी बनाना
- 2- ग्रामीण भारत में डिजिटल तकनीकों को अपनाना
- 3- नवाचार के माध्यम से ऑपरेशन फ्लड को फिर से शुरू करना
- 4-ग्रामीण भारत: समावेशिता के लिए नवाचार

संथाल हुल

पाठ्यक्रम: GS1/इतिहास और संस्कृति

संदर्भ

- झारखंड में, 30 जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1855 के संथाल विद्रोह/संथाल हुल की वर्षगांठ को विहित करता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे शुरुआती किसान विद्रोहों में से एक था।

संथाल हुल

- 1855 का संथाल हुल चार भाइयों, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू के साथ-साथ बहनों फूलो और झानो के नेतृत्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह था।
- संथालों ने अपने जीवन के आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं की रक्षा करने के प्रयास में उत्त्व जातियों, जमींदारों, दरोगाओं और साहूकारों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, जिन्हें छत्र शब्द 'दिकू' के रूप में वर्णित किया गया था।

विद्रोह की उत्पत्ति

- 1832 में, कुछ क्षेत्रों को वर्तमान झारखंड में 'संथाल परगना' या 'दामिन-ए-कोह' के रूप में सीमांकित किया गया था।
- यह क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेंसी के क्षेत्रों से संथालों को आवंटित किया गया था।
- हालाँकि उन्होंने भूमि हड़पने और बेगारी (बंधुआ मजदूरी) की दमनकारी प्रथा का पालन किया, जो दो प्रकार की थी: कमियोती और हरवाही।
- मुर्मू भाइयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लगभग 60,000 संथालों का नेतृत्व किया और गुरिल्ला युद्ध में शामिल हुए।
- अंग्रेजों ने 1855 में सिद्धू को फांसी पर लटका दिया, उसके बाद 1856 में कान्हू को।

SPT और CNT अधिनियम

- अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित 1876 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT अधिनियम), आदिवासी भूमि (शहरी या ग्रामीण भूमि) को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है।
- भूमि को केवल अधिनियम के अनुसार ही विरासत में प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार संथालों के पास अपनी भूमि पर स्व-शासन करने का अधिकार बना रहता है।
- बिरसा आंदोलन के परिणामस्वरूप 1908 में अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी अधिनियम), जिला कलेक्टर की स्वीकृति से एक ही जाति और कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण की अनुमति देता है।

अमरावती: सबसे महान बौद्ध स्थलों में से एक का उत्थान और पतन

पाठ्यक्रम: जीएस 1/इतिहास

खबरों में

- केंद्रीय वित्त ने अमरावती के विकास के लिए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की सुविधा की घोषणा की।

अमरावती के बारे में

- खोज और प्रारंभिक उपयोग (1700 के दशक के अंत में): राजा वेसरेड्डी नायडू ने आंध्र प्रदेश के धन्यकटकम गाँव में खंडहरों की खोज की, और निर्माण सामग्री के लिए चूना पत्थर के खंभों और पैनलों का उपयोग किया, जिससे अनजाने में प्राचीन अमरावती स्थल के कुछ हिस्से नष्ट हो गए।
- क्षेत्र के अन्य लोगों ने भी यही किया, जिससे 1816 तक और विनाश हुआ।
- औपनिवेशिक सर्वेक्षण: भारत के पहले महासर्वेक्षक कर्नल कॉलिन मैकेंज़ी ने 1798 में एक पूर्व यात्रा के बाद 1816 में इस स्थल का सर्वेक्षण शुरू किया।
- इससे अमरावती स्तूप की पुनः खोज हुई, लेकिन इसके परिणामस्वरूप और विनाश हुआ।
- आधुनिक राजधानी का नाम अमरावती रखा गया: 2015 में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संख्यात्मक कारणों से प्राचीन बौद्ध स्थल से व्युत्पन्न नई राजधानी का नाम अमरावती रखा।
- राजधानी मूल अमरावती से लगभग 20 किमी दूर है।
- अमरावती, भगवान शिव को समर्पित अमरेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसका इतिहास दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है और यह कभी सातवाहन और पल्लव राजाओं की राजधानी थी।

आंध्र में बौद्ध धर्म का परिचय और प्रसार:

- 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में उभरने वाला बौद्ध धर्म व्यापार के माध्यम से आंध्र पहुंचा।
- अमरावती सातवाहनों के उदय से पहले बौद्ध धर्म का केंद्र था, और मौर्य साम्राज्य के तहत सम्राट अशोक (269-232 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान वहां एक स्तूप और मठ का निर्माण किया गया था।
- सम्राट अशोक के तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेख ने इसके प्रसार को बढ़ावा दिया।
- आंध्र का पहला शहरीकरण बौद्ध धर्म के विकास से जुड़ा था। व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- मेगालिथिक दफन जैसी स्थानीय प्रथाओं ने स्तूपों के डिजाइन को प्रभावित किया।

बौद्ध धर्म में अमरावती का महत्व:

- अमरावती महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, आचार्य नागार्जुन की शिक्षाओं ने इसे पूरे दक्षिण एशिया और उससे आने तक फैलाया। इसे दलाई लामा जैसी हस्तियों द्वारा पवित्र माना जाता है।
- अमरावती स्तूप ने अमरावती कला विद्यालय के विकास को जन्म दिया, जो प्राचीन भारतीय कला की एक प्रमुख शैली है, जो अपनी सौंदर्यपूर्ण मूर्तियों और दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में बाद की बौद्ध कला पर प्रभाव के लिए जानी जाती है।

आंध्र में बौद्ध धर्म का पतन:

- आंध्र में बौद्ध धर्म का पतन शैव धर्म के उदय और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से जुड़ा था। चौथी शताब्दी ई. तक, बौद्ध धर्म को अन्य धर्मों से कम संरक्षण और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।
- विनाश और लूटपाट (19वीं शताब्दी): मैकेंज़ी के सर्वेक्षण के बाद, कई मूर्तियों को हटा दिया गया और लंदन सहित विभिन्न स्थानों पर भेज दिया गया, जहाँ उन्हें और भी अधिक क्षति पहुँची।

हाल ही में प्रत्यावर्तन प्रयास:

- ऑस्ट्रेलिया ने 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के तहत चोरी की गई अमरावती शैली की मूर्ति लौटा दी। हालाँकि, भारत में व्यवस्थित सिद्धता अनुसंधान और सक्रिय प्रत्यावर्तन प्रयासों की कमी है।
- कई अमरावती मूर्तियाँ विश्व स्तर पर बिखरी हुई हैं। भारत में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में समर्पित शैक्षणिक कार्यक्रमों की कमी है, जिसमें शिकागो का आर्ट इंस्टीट्यूट अपवाद है।

सेंट हिलारियन मठ**पाठ्यक्रम: GS1/ संस्कृति****संदर्भ**

- हाल ही में, नई दिल्ली में चल रहे विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान गाजा में टेल उम्म आमेर विरासत स्थल के लिए यूनेस्को टैग की घोषणा की गई।

टेल उम्म आमेर (उर्फ सेंट हिलारियन मठ) के बारे में

- यह फिलिस्तीन के नुसेरात नगर पालिका में तटीय टीलों के बीच स्थित है, यह उल्लेखनीय स्थल 4वीं शताब्दी का है, जो सदियों की भक्ति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रमाण है।
- मठ का अस्तित्व सेंट हिलारियन के कारण है, जो एक दूरदर्शी तपस्वी थे, जिन्होंने जंगल में एकांत की तलाश की थी।
- शुरु में, यह एकांत में रहने वाले साधुओं के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता था, लेकिन समय के साथ, यह एक जीवंत सह-धर्मी समुदाय के रूप में विकसित हुआ - एक ऐसा स्थान जहाँ भिक्षु एक साथ रहते थे, अपनी आध्यात्मिक यात्राओं को साझा करते थे।
- इसे 'विश्व विरासत सूची' और 'खतरे में विश्व विरासत की सूची' दोनों में अंकित किया गया था।
- यह दोहरी मान्यता इसके ऐतिहासिक मूल्य और गाजा में चल रहे संघर्ष से इसे बचाने की तत्काल आवश्यकता दोनों को रेखांकित करती है।

महत्व और प्रभाव

- पहला मठवासी समुदाय: सेंट हिलारियन मठ को पवित्र भूमि में पहला मठवासी समुदाय होने का गौरव प्राप्त है। इसकी स्थापना ने पूरे क्षेत्र में मठवासी प्रथाओं के प्रसार के लिए आधार तैयार किया।
- रणनीतिक स्थान: एशिया और अफ्रीका के बीच प्रमुख व्यापार और संचार मार्गों के चौराहे पर स्थित, मठ बीजान्टिन काल के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान का केंद्र बन गया।

कलारीपयट्ट**पाठ्यक्रम: जीएस 1/कला और संस्कृति****खबरों में**

- युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में कलारीपयट्ट के प्रचार के लिए भारतीय कलारीपयट्ट महासंघ को मान्यता दी।

कलारीपयट्ट के बारे में

- उत्पत्ति और ऐतिहासिक संबंध: इसकी उत्पत्ति भारत के केरल में हुई थी, लेकिन इसकी सटीक उत्पत्ति अनिश्चित है।
- यह पौराणिक रूप से भगवान परशुराम द्वारा केरल को पुनः प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है, हालांकि इतिहासकार इस पर विवाद करते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से 200 ईसा पूर्व और 600 ई. के बीच का समय, 14वीं से 16वीं शताब्दी में इसकी लोकप्रियता चरम पर थी।
- विकास: शुरू में शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह एक संरचित युद्ध प्रणाली के रूप में विकसित हुआ जो आत्मरक्षा और युद्ध के लिए प्रभावी था।
- इसे दुनिया भर में सबसे पुरानी और सबसे वैज्ञानिक मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है।
- शारीरिक करतब: इसमें चट्टम (कूदना), ओट्टम (दौड़ना) और मरीचिल (कलाबाज़ी) जैसे करतब शामिल हैं, जो प्रशिक्षण का अभिन्न अंग हैं।
- इसमें तलवार, खंजर, भाते, गदा और तीर के साथ धनुष जैसे विभिन्न हथियारों का उपयोग करना सीखना शामिल है।
- सांस्कृतिक महत्व: कलारी (प्रशिक्षण मैदान) मार्शल प्रशिक्षण और धार्मिक पूजा दोनों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं।
- स्वदेशी औषधीय प्रथाओं में विशेषज्ञता भी कलारीपयट्ट का एक केंद्र है।



विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए कॉरिडोर परियोजनाएँ

पाठ्यक्रम: GS1/कला और संस्कृति

संदर्भ

- वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट भाषण के दौरान बिहार के विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की।
- इन्हें सफल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा, ताकि इन्हें विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में बदला जा सके।
- गया में विष्णुपद मंदिर: यह हिंदू मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।
- वास्तुकला की दृष्टि से, मंदिर लगभग 100 फीट ऊँचा है और इसमें 44 स्तंभ हैं।
- यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण 1787 में अहमदनगर की रानी अहिल्याबाई होल्कर के आदेश पर किया गया था।
- बोधगया में महाबोधि मंदिर: बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
- यह मंदिर महाबोधि वृक्ष के पूर्व में स्थित है, जहाँ माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था।
- मंदिर का आकार अनोखा है और इसकी ऊँचाई 170 फीट है।
- महाबोधि मंदिर परिसर सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित पहला मंदिर है, और वर्तमान मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी का है।



खंडगिरि और उदयगिरि गुफाएँ

पाठ्यक्रम: GS1/कला और संस्कृति

संदर्भ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में खंडगिरि और उदयगिरि गुफाओं का दौरा किया।
- चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मेघवाहन वंश के राजा खारवेल ने करवाया था।
- इन्हें सबसे पहले 19वीं शताब्दी ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी एंड्रयू स्टर्लिंग ने खोजा था।
- गुफाएँ जैन भिक्षुओं के लिए बनाई गई थीं और उन्हें रहने और ध्यान करने के लिए एक स्थान प्रदान करती थीं।



- मूल रूप से लगभग एक सौ सत्रह गुफाएँ बनाई गई थीं। हालाँकि आज केवल तैंतीस गुफाएँ ही बची हैं।
- अठारह गुफाएँ उदयगिरि पहाड़ी में और पंद्रह खंडगिरि पहाड़ी में स्थित हैं।

उदयगिरि गुफाओं की प्रमुख गुफाएँ

- हाथीगुम्फा: या हाथी गुफा के रूप में जाना जाता है, राजा खारवेल के शिलालेख हैं।
- रानी गुम्फा: या रानी गुफा; सुंदर नवकाशी के साथ एक दो मंजिला संरचना है।
- गणेश गुम्फा: जैन तीर्थकरों और अन्य मूर्तियों की नवकाशी के लिए प्रसिद्ध गणेश गुफा।
- गणेश गुम्फा: गणेश गुफा जैन तीर्थकरों और अन्य मूर्तियों की नवकाशी के लिए जानी जाती है।
- व्याघ्र गुम्फा: या बाघ गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रवेश द्वार बाघ के सिर के आकार का है और दरवाजा बाघ के गले के आकार का है।

खंडगिरि गुफाओं की प्रमुख गुफाएँ

- बरभुजी गुम्फा में तीर्थकर मूर्तियों के साथ बारह भुजा वाली सासना देवी एक दूसरे के सामने खड़ी हैं।
- तृशुला गुम्फा: गुफा की दीवारों पर चौबीस जैन तीर्थकर खुदे हुए हैं।
- अंबिका गुम्फा: प्रत्येक तीर्थकर के यक्ष और यक्षिणी गुफा की दीवारों पर खुदे हुए हैं।

दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग

पाठ्यक्रम: GS 1/कला और संस्कृति

समाचार में

- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की है।
- अब तक, सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग सुलावेसी में ही लींग टेडोंगने गुफा में थी, जो कम से कम 45,500 साल पहले की है।

पेंटिंग के बारे में

- यह गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी के मारोस-पंगकेप क्षेत्र में लींग करम्पुआंग गुफा की छत पर पाई गई थी।
- इसमें गहरे लाल रंग के रंग में रंगी गई तीन मानव जैसी आकृतियाँ एक जंगली सुअर के साथ बातचीत करती हुई दिखाई गई हैं।
- वैज्ञानिकों ने पेंटिंग पर बने कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल की तिथि निर्धारित करने के लिए लेजर तकनीक से जुड़ी एक नई डेटिंग पद्धति का उपयोग किया।
- यह पेंटिंग कम से कम 51,200 साल पुरानी पाई गई है, जिससे यह सबसे पुरानी विश्वसनीय रूप से दिनांकित गुफा कला बन गई है।
- कथात्मक व्याख्या: शोधकर्ता पेंटिंग की व्याख्या एक कथात्मक दृश्य के रूप में करते हैं, जो संभवतः कला के माध्यम से कहानी कहने का सबसे पुराना ज्ञात साक्ष्य है।

निहितार्थ:

- लींग बुलू सिपोंग 4 में एक और सुलावेसी गुफा पेंटिंग, जिसमें शिकार के दृश्य दर्शाए गए हैं, को भी कम से कम 48,000 साल पुराना बताया गया है।
- ये खोजें यूरोपीय गुफा कला से पहले की हैं, जो गुफा कला और मानव कहानी कहने के जन्मस्थान के बारे में पिछली धारणाओं को चुनौती देती हैं।
- यह मानव सांस्कृतिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्व को रेखांकित करता है।
- यह उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से प्रारंभिक मनुष्यों के सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए नए रास्ते खोलता है।

कोझिकोड: यूनेस्को 'साहित्य का शहर'

पाठ्यक्रम: जीएस 1/कला और संस्कृति

खबरों में

- केरल का कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को 'साहित्य का शहर' बन गया है।

कार्यक्रम के बारे में

- यूनेस्को का साहित्य का शहर कार्यक्रम एक व्यापक रचनात्मक शहर नेटवर्क का हिस्सा है जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में यह वैश्विक स्तर पर 350 यूनेस्को रचनात्मक शहरों से बना है।
- सदस्य 100 से अधिक देशों से चुने जाते हैं।
- यूनेस्को दुनिया भर के शहरों को उनके सांस्कृतिक योगदान और परंपराओं के आधार पर डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला, संगीत और लोक कला जैसी श्रेणियों में रचनात्मक शहरों का दर्जा देता है।
- वार्षिक सम्मेलन सदस्य शहरों को कल के टिकाऊ शहरों के निर्माण की दिशा में ज्ञान, अनुभव और अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- इस वर्ष UCCN के वार्षिक सम्मेलन का विषय है "अगले दशक के लिए युवाओं को साथ लाना।"

बौद्ध धर्म में मुद्राएँ

पाठ्यक्रम: GS1/कला और संस्कृति

संदर्भ

- हाल ही में, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने अपने पहले भाषण में 'अभय मुद्रा' का उल्लेख किया, जो खुली हथेली का इशारा है जिसे आमतौर पर आश्वासन और भय से मुक्ति के रूप में समझा जाता है।

बौद्ध धर्म में मुद्राओं के बारे में

- मुद्राएँ बौद्ध कला और अभ्यास में उपयोग की जाने वाली प्रतीकात्मक हस्त मुद्राएँ हैं, जो अनुष्ठानों के दौरान की जाती हैं या बुद्ध, बोधिसत्व और तांत्रिक देवताओं की छवियों में दर्शाई जाती हैं।
- ये मुद्राएँ विशिष्ट विचारों को व्यक्त करती हैं, मन की विशेष अवस्थाओं को जगाती हैं और विभिन्न बुद्धों और बोधिसत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

प्रारंभिक चित्रण

- बुद्ध के लगभग 500 वर्षों के बाद, जो 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, महान शिक्षक के व्यक्तित्व को किसी छवि या मूर्तिकला के रूप में चित्रित नहीं किया गया था।
- उदाहरण के लिए, सांची में, बुद्ध को एक खाली सिंहासन या पदचिह्न द्वारा दर्शाया गया है।
- बुद्ध के सबसे शुरुआती भौतिक चित्रण पहली सहस्राब्दी के मोड़ के आसपास उभरे।
- गांधार कला (वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में) और गुप्त काल की कला (गंगा के मैदानों में) में पहली बुद्धरूप (बुद्ध की छवियाँ) दिखाई गई।

इन प्रारंभिक चित्रणों में चार प्राथमिक मुद्राएँ दिखाई दीं:

- अभय मुद्रा: खुली हथेली के साथ निडरता का भाव, जो सुरक्षा और आश्वासन का प्रतीक है।
- वज्रयान बौद्ध धर्म की एक लोकप्रिय हस्ती तारा की छवियों में अक्सर उन्हें अपने दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में दिखाया जाता है।
- भूमिस्पर्श मुद्रा: पृथ्वी को छूने वाला भाव, जो ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व करता है।
- धर्मचक्र मुद्रा: चक्र घुमाने वाला भाव, जो धर्म की शिक्षा और प्रसार का प्रतीक है।
- ध्यान मुद्रा: ध्यान मुद्रा, जो आंतरिक चिंतन को दर्शाती है।

तांत्रिक बौद्ध धर्म और मुद्राएँ

- तांत्रिक बौद्ध धर्म ने अपने अनुष्ठानों में मुद्राओं को शामिल किया। 'धारिणी', 'मंत्र', 'मुद्रा', 'यंत्र' और 'मंडल' जैसे तांत्रिक तत्वों ने पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बौद्ध धर्म

- सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे।
- जन्म: 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी (आधुनिक नेपाल) में।
- वे शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे, और एक क्षत्रिय थे।
- उन्होंने ज्ञान की खोज में अपनी सांसारिक संपत्ति और राजसी पद त्याग दिया। वे कई वर्षों तक भटकते रहे, अन्य विचारकों से मिलते रहे और उनसे चर्चा करते रहे।
- उन्होंने बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म-चक्र-प्रवर्तन (कानून के चक्र को मोड़ना) के रूप में जाना जाता है।
- उन्होंने अपना शेष जीवन पैदल यात्रा करते हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए, लोगों को शिक्षा देते हुए बिताया, जब तक कि उनका निधन कुशीनगर में नहीं हो गया।

महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म

- जैसे-जैसे महायान (महान वाहन) और वज्रयान (वज्र वाहन) बौद्ध धर्म का विकास हुआ, सैकड़ों नई मुद्राएँ बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में शामिल हुईं।
- महायान के साधक बोधिसत्वों का सम्मान करते थे और सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए महायान सूत्र पढ़ते थे।

16वें वित्त आयोग का एजेंडा

पाठ्यक्रम: GS 2/राजनीति और शासन

समाचार में

- डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है।

16वें वित्त आयोग के बारे में

- भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में सोलहवें वित्त आयोग का गठन किया है।
- यह राज्यों और स्थानीय निकायों को समेकित निधि के हस्तांतरण पर केंद्रित है।

अवधि और दायरा

- 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर पाँच साल की अवधि को कवर करेंगी।
- कर आय का वितरण: यह निर्धारित करें कि संघ और राज्यों (संविधान के भाग XII, अध्याय I के तहत) के बीच साझा किए जाने वाले करों को कैसे वितरित किया जाना चाहिए।
- राज्यों के बीच इन आय का हिस्सा आवंटित करें।
- अनुदान-सहायता सिद्धांत: भारत के समेकित कोष से राज्य राजस्व के अनुदान-सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को परिभाषित करें।
- संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली राशियों को निर्दिष्ट करें, उस अनुच्छेद के खंड (1) के प्रावधानों में निर्दिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर।
- राज्य समेकित निधि में वृद्धि: किसी राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करें।
- इस वृद्धि का उद्देश्य संबंधित राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्य के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों का पूरक बनाना है।
- आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण की समीक्षा: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना और उस पर उचित सिफारिशें करना भी अनिवार्य है।

मौजूदा चुनौतियाँ और मुद्दे

- कई वित्त आयोगों के प्रयासों के बावजूद, शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को वित्तीय सहायता अपर्याप्त बनी हुई है।
- नगर पालिकाओं का राजकोषीय स्वास्थ्य खराब है, जो शहर की उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है। ULB को अंतर-सरकारी हस्तांतरण (IGT) GDP का केवल 0.5% है, जो अन्य विकासशील देशों (2-5%) की तुलना में बहुत कम है।
- उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका अपने शहरों को अपने जीडीपी का 2.6%, मैक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5% और ब्राजील 5.1% आवंटित करता है।
- अन्य मुद्दों में आईजीटी की भविष्यवाणी, निर्धारण और क्षैतिज इक्विटी शामिल हैं।
- कराधान प्रणाली का प्रभाव: जीएसटी की शुरुआत ने यूएलबी के कर राजस्व को काफी कम कर दिया। राज्य वित्त आयोगों ने राज्यों से यूएलबी को न्यूनतम आईजीटी (राज्य राजस्व का लगभग 7%) की सिफारिश की।
- जनगणना डेटा की भूमिका: अद्यतन जनगणना डेटा (2011 नवीनतम है) की कमी साक्ष्य-आधारित राजकोषीय हस्तांतरण को बाधित करती है।
- महत्वपूर्ण शहरीकरण और टियर-2 और 3 शहरों में प्रवास सटीक डेटा की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- समानांतर एजेंसियों के साथ चिंताएँ: समानांतर एजेंसियों की वृद्धि स्थानीय सरकारों को वित्तीय और परिचालन रूप से कमजोर करती है।
- एमपी और एमएलए स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं जैसे कार्यक्रम संघीय संरचना की भूमिकाओं को विकृत करते हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- शहर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (66%) और सरकारी राजस्व (90%) में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और वे समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक हैं।
- इसलिए, 16वें वित्त आयोग को भारत की शहरीकरण गतिशीलता पर विचार करना चाहिए।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों में प्रवासन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और बुनियादी ढांचे की मांगों को सटीक रूप से पकड़ने के महत्व को रेखांकित करता है।

- 16वें वित्त आयोग को यूएलबी को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए मजबूत राजकोषीय उपायों की सिफारिश करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- रिथर आईजीटी यूएलबी को तब तक समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण हैं जब तक वे अपनी स्वयं की राजस्व सृजन क्षमताओं को नहीं बढ़ा सकते।
- स्थानीय राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य जीएसटी के समानांतर संपत्ति कर संग्रह में सुधार किया जाना चाहिए।
- प्रदूषण नियंत्रण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल सुविधाओं के लिए पारदर्शी खाते और कुशल संसाधन आवंटन बनाए रखने पर जोर दिया जाना चाहिए।

संवैधानिक नैतिकता

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति

संदर्भ

- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, CJI ने “संवैधानिक नैतिकता” के मुद्दे पर बात की, जो विविधता का सम्मान करने, समावेश को बढ़ावा देने और सहिष्णुता को आगे बढ़ाने वाली स्थितियों का मार्ग प्रशस्त करती है।

संवैधानिक नैतिकता

- संवैधानिक नैतिकता में लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर संवैधानिक मानदंडों का पालन करना शामिल है।
- यह संवैधानिक न्यायनिर्णयन में संप्रभुता, सामाजिक न्याय और समानता जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को शामिल करने के लिए शाब्दिक व्याख्या से परे है।
- इस शब्द को पहली बार ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ब्रोटे ने अपने बारह-खंड के काम, ए हिस्ट्री ऑफ़ ग्रीस में गढ़ा था।
- संक्षेप में, संवैधानिक नैतिकता स्वतंत्रता और संयम के बीच संतुलन का प्रतीक है।
- अर्थात्, नागरिक संवैधानिक अधिकारियों के अधीन रहते हैं और साथ ही, सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करने की स्वतंत्रता रखते हैं।

भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता

- हालाँकि संवैधानिक नैतिकता शब्द का भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह इसके कई खंडों में गहराई से समाहित है:
- प्रस्तावना: यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सहित हमारे लोकतंत्र को आधार प्रदान करने वाले सिद्धांतों को रेखांकित करती है।
- मौलिक अधिकार: यह राज्य शक्ति के मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत इन अधिकारों के प्रवर्तन की अनुमति देता है।
- निर्देशक सिद्धांत: वे राज्य को संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं, जो गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक दर्शन से लिए गए हैं।
- मौलिक कर्तव्य: अपने अधिकारों के साथ-साथ, नागरिकों की राष्ट्र के प्रति ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं।
- नियंत्रण और संतुलन: इसमें विधायी और कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा, कार्यकारी की विधायी निगरानी आदि शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

- 2015 के कृष्णमूर्ति मामले में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है।
- भारत संघ बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के मामले में, यह निर्णय दिया गया कि उच्च पदस्थ अधिकारियों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए और अधिकार के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए संविधान में उल्लिखित आदर्शों को बनाए रखना चाहिए।
- न्यायालय ने दिल्ली सरकार के मामले (2018) में संवैधानिक नैतिकता की तुलना “द्वितीय बुनियादी ढांचे के सिद्धांत” से की, तथा मनमाने अधिकार पर अंकुश लगाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। इसी तरह, नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 377 LGBTQI समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करती है तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित व्यक्तिगत गरिमा के मौलिक मूल्यों का उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की, तथा कार्यकारी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में न्यायालयों की भूमिका को रेखांकित किया। न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी मामले (2018) में न्यायालय ने संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई को निरस्त करके संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के अपने कर्तव्य को दोहराया। चुनौतियाँ
- संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या पर बहसें होती रही हैं, खास तौर पर व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक हितों के बीच या विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बीच संघर्ष के बारे में।
- उदाहरण के लिए, सकारात्मक कार्रवाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार जैसे मुद्दों ने संवैधानिक नैतिकता पर चर्चाओं को जन्म दिया है।

निष्कर्ष

- न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने और इसके मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- न्यायालय अक्सर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले या लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाले कानूनों या कार्रवाइयों को रद्द करने के लिए संवैधानिक नैतिकता का आह्वान करते हैं।
- संवैधानिक नैतिकता स्थिर नहीं है, बल्कि बदलते सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय के साथ विकसित होती है।
- निष्कर्ष में, भारत में संवैधानिक नैतिकता शासन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी कार्य और निर्णय संविधान में निहित मूल मूल्यों का पालन करें।
- यह एक गतिशील अवधारणा है जो अधिकारों को जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करती है और न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की ओर प्रगति को सुगम बनाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष लोक अदालत अभियान शुरू किया**पाठ्यक्रम: GS2/ राजनीति और शासन****संदर्भ में**

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75वें वर्षगांठ समारोह के एक हिस्से के रूप में लंबे समय से लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत अभियान शुरू किया।
- वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम सहित सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालतों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

लोक अदालतें क्या हैं?

- लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है।
- यह एक ऐसा मंच है जहाँ कानून की अदालत में या मुकदमेबाजी से पहले के चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है।
- अनुच्छेद 39 ए: 1976 के संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के साथ अनुच्छेद 39-ए जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि विधिक प्रणाली का संचालन:
- समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना,
- उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना,
- यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।
- विधिक स्थिति: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक स्थिति दी गई है।
- लोक अदालत का निर्णय: उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय (निर्णय) सिविल न्यायालय का आदेश माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
- यदि पक्षकार लोक अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, यद्यपि ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वे अपने मुकदमेबाजी के अधिकार का प्रयोग करते हुए, आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में मामला दायर करके मुकदमा शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- न्यायालय शुल्क: लोक अदालत में मामला दायर करने पर कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होता है।
- यदि न्यायालय में लंबित कोई मामला लोक अदालत को भेजा जाता है और बाद में उसका निपटारा हो जाता है, तो शिकायत/याचिका पर न्यायालय में मूल रूप से भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क भी पक्षकारों को वापस कर दिया जाता है।

लोक अदालतों के सदस्यों की भूमिका:

- लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्तियों को लोक अदालतों के सदस्य कहा जाता है, उनकी भूमिका केवल वैधानिक मध्यस्थ की होती है तथा उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है।
- इसलिए, वे केवल लोक अदालत में अदालत के बाहर विवाद को निपटाने के लिए पक्षों को निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए राजी कर सकते हैं।
- वे किसी भी पक्ष को सीधे या परोक्ष रूप से मामले या मामलों को समझौता करने या निपटाने के लिए दबाव नहीं डालेंगे।

लोक अदालत और एक नियमित न्यायालय के बीच अंतर

- लोक अदालत और कानून अदालत के बीच अंतर यह है कि कानून अदालत अपने परिसर में बैठती है जहां वादी अपने वकीलों के साथ आते हैं और गवाह लोगों के दरवाजे पर न्याय देने के लिए जाते हैं।
- यह लोगों द्वारा स्वयं या सामाजिक गतिविधियों या सामाजिक कार्यकर्ता कानूनी सहायकों और हर क्षेत्र से जुड़े जन-हितैषी लोगों सहित इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है।

- यह आम लोगों को राज्य एजेंसियों या अन्य नागरिकों के खिलाफ अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और यदि संभव हो तो न्यायोचित समाधान की तलाश करने में सक्षम बनाने के लिए लोगों द्वारा स्वयं प्रदान किया गया एक दृढ़ मंच है।
- यह आम लोगों को राज्य एजेंसियों या अन्य नागरिकों के खिलाफ अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और यदि संभव हो तो उचित समाधान की तलाश करने में सक्षम बनाने के लिए लोगों द्वारा स्वयं प्रदान किया गया एक दृढ़ मंच है।

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र क्या हैं?

- संवाद करने, मतभेदों पर चर्चा करने और विवाद को हल करने के लिए एक तटस्थ तीसरे पक्ष का उपयोग करता है।
- एडीआर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान:
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89
- एडीआर से निपटने वाले अधिनियम:
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (स्थापित लोक अदालत प्रणाली)
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996
- प्रकार: मध्यस्थता, समझौता, मध्यस्थता, बातचीत, न्यायिक समझौते



कानूनी सलाहकार परिषद

पाठ्यक्रम: जीएस 2/राजनीति और शासन

संदर्भ में

- हाल के वर्षों में, कानूनी सलाहकार परिषद की स्थापना के बारे में चर्चा बढ़ रही है।

कानूनी सलाहकार परिषद (एलएसी) की आवश्यकता:

- वर्तमान सरकार की विधायी और नीतिगत पहलों से राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के कई कानूनी मुद्दे उभरे हैं, उदाहरण के लिए:
- मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
- सक्रिय आनुपातिकता परीक्षण से इसे रोका जा सकता था।
- आधार अधिनियम में, पूर्व कानूनी जांच के साथ सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बचा जा सकता था।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106 (2) के कारण असंगत दंड के कारण विरोध प्रदर्शन हुए।

- सरकार को संशोधनों के लिए प्रवर्तन में देरी करनी पड़ी।
- चूंकि कानूनी व्यवहार्यता और प्रभाव आकलन के संदर्भ में पर्याप्त जांच की कमी के कारण ऐसे कई मुद्दे सामने आए हैं।
- इसलिए, बेहतर विधायी स्पष्टता के लिए सरकार की कानूनी परामर्श प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता है।

कानूनी सलाहकार परिषद (LAC) के बारे में:

- यह आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) के समान होगी, लेकिन विशेष रूप से कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- यह निरंतर और सूचित कानूनी इनपुट प्रदान करेगी।
- यह विधायी इरादे को स्पष्ट करने और कानूनी चुनौतियों का अनुमान लगाने में मदद करेगी।
- संरचना: इसमें कानूनी दिग्गज, प्रख्यात न्यायविद, प्रमुख शिक्षाविद और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले शोधकर्ता शामिल हो सकते हैं, जिन पर सरकारें अक्सर कानून बनाती हैं जैसे कि आपराधिक कानून, व्यापार कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, व्यवसाय कानून और कराधान कानून।

कार्य

- सरकार द्वारा संदर्भित कानूनी मुद्दों का विश्लेषण करना।
- विचाराधीन कानूनों के प्रभावों और परिणामों का आकलन करना।
- समकालीन कानूनी मुद्दों पर स्वप्रेरणा से शोध करना।

यह भारत के विधि आयोग से किस प्रकार भिन्न है?

- LAC विधि आयोग के विपरीत प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ काम करेगा, जो विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- विधि आयोग मुख्य रूप से प्रतिक्रियात्मक है, जो मौजूदा कानूनों में सुधार की सिफारिश करता है, जबकि LAC सक्रिय होगा, जो आगामी कानून में संभावित मुद्दों को संबोधित करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है।
- आयोग का गठन मूल रूप से 1955 में किया गया था और हर तीन साल में इसका पुनर्गठन किया जाता है।
- आलोचना: LCI की सिफारिशों को आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है।
- LCI ने कानूनी मुद्दों की दबावपूर्ण प्रकृति के बावजूद सीमित संख्या में रिपोर्ट तैयार की हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- एक गतिशील एल.ए.सी. की स्थापना और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का लाभ उठाने से सरकार की कानूनी चुनौतियों और विधायी प्रक्रियाओं से निपटने में सुधार हो सकता है।
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संवैधानिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से स्वीकार्य कानून बनाने में सहायता कर सकते हैं।
- उनके पास कानूनी व्यवहार्यता और प्रभाव आकलन करने की विशेषज्ञता है, जैसा कि सुधार समितियों में उनकी भागीदारी से देखा जा सकता है।
- एल.ए.सी. की प्रभावशीलता के लिए वित्तपोषण और प्रशासनिक सहायता महत्वपूर्ण होगी।

वैश्विक भूख संकट पर संयुक्त राष्ट्र

पान्चक्रम: GS2/गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र की पाँच विशेष एजेंसियों द्वारा विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI) रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें दिखाया गया कि पुरानी भूख अभी भी उत्त्व बनी हुई है और स्वस्थ भोजन कई लोगों की पहुँच से बाहर है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक भूख के आँकड़े: 2023 में लगभग 733 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें, तो यह वैश्विक स्तर पर ग्यारह लोगों में से एक के बराबर है।
- भविष्य का अनुमान: रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चल रहे रुझानों के साथ, लगभग 582 मिलियन लोगों को दशक के अंत तक दीर्घकालिक कुपोषण से पीड़ित होने का अनुमान है, जिसमें से आधी आबादी अफ्रीका में होगी।

क्षेत्रीय विविधताएँ

- अफ्रीका: भूख से जूझ रही आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, जो 20.4% तक पहुँच गया है। अफ्रीका में, स्थिति और भी गंभीर है, जहाँ पाँच में से एक व्यक्ति ने इसी अवधि के दौरान भूख का अनुभव किया।
- एशिया: हालाँकि भूख का स्तर 8.1% पर स्थिर है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि एशिया दुनिया की आधी से अधिक कुपोषित आबादी का घर है।

- लैटिन अमेरिका: उत्साहजनक रूप से, यहाँ प्रगति दिखाई दे रही है, जहाँ भूख का स्तर 6.2% है।
- शहरीकरण का प्रभाव: शहरीकरण, जिसके बारे में कभी सोचा गया था कि यह ग्रामीण और शहरी खाद्य पहुँच के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देगा, अब खाद्य प्रणालियों को काफी हद तक बदल रहा है। यह स्वस्थ आहार की उपलब्धता और सामर्थ्य को प्रभावित करता है।
- प्रगति में बाधा: दुर्भाग्य से, वैश्विक भूख के खिलाफ लड़ाई में प्रगति को 15 वर्षों का झटका लगा है, जिसमें कुपोषण के स्तर 2008-2009 के बराबर हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्रयासों के बावजूद, लाखों लोग अभी भी भूखे हैं।
- कोविड-19 और चल रहे प्रभाव: कोविड-19 महामारी के स्थायी प्रभाव भूख के परिदृश्य को जटिल बना रहे हैं। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि इन चल रही चुनौतियों को देखते हुए 2030 तक भूख कैसे दिख सकती है।
- देश सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2: 2030 तक भूख को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे रह गए हैं।
- भूख से परे (खाद्य असुरक्षा): अरबों लोगों के लिए पर्याप्त भोजन तक पहुँच अभी भी मायावी है। 2023 में, वैश्विक स्तर पर 2.33 बिलियन लोगों को मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा।
- उनमें से, 864 मिलियन से अधिक लोगों ने गंभीर खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया - पूरे दिन या उससे अधिक समय तक बिना भोजन के रहना।
- ये संख्याएँ 2020 से ही लगातार बनी हुई हैं, खास तौर पर अफ्रीका में, जहाँ 58% आबादी मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है।
- यूनिसेफ के अनुसार, 15 संकटग्रस्त देशों में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 8 मिलियन बच्चे गंभीर रूप से कमजोर होने के कारण मृत्यु के जोखिम में हैं - एक ऐसी स्थिति जिसमें बच्चे अपनी लंबाई के हिसाब से खतरनाक रूप से दुबले हो जाते हैं। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक अस्थिरता जैसे कारकों से यह संकट और भी बढ़ जाता है।

सतत विकास लक्ष्य 2: शून्य भूख

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके शून्य भूख को प्राप्त करना है कि सभी लोगों के पास पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच हो। दुर्भाग्य से, दुनिया वर्तमान में इस लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर है।
- वैश्विक स्तर पर मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता 2022 में अपरिवर्तित रही, जिसका अनुमानित 2.4 बिलियन लोग प्रभावित हैं। यह संख्या अभी भी 2019 की तुलना में 391 मिलियन अधिक है।

सकारात्मक रुझान

- इन चुनौतियों के बीच, कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में बच्चों में बौनेपन की दर में लगातार कमी आई है, जो 2000 में 204.2 मिलियन से घटकर 2022 में 148.1 मिलियन हो गई है। हालाँकि, प्रगति में तेजी लाने और व्यापक रूप से भूख से निपटने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

खाद्य सुरक्षा के आयाम

- उपलब्धता: इस आयाम में देश के भीतर खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और मौजूदा भंडार शामिल हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही खाद्यान्न में भारत की आत्मनिर्भरता एक प्राथमिकता रही है, जिसमें हरित क्रांति जैसे प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- पहुँच: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भोजन हर व्यक्ति की पहुँच में हो। इसमें वितरण नेटवर्क, सामर्थ्य और परिवहन जैसे कारक शामिल हैं।
- सामर्थ्य: पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन होना आवश्यक है। भोजन तक पहुँच में सुधार करने में गरीबी उन्मूलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत की भूख की स्थिति

- दुर्भाग्य से, भारत एक महत्वपूर्ण बोझ वहन करता है। लगातार सूखे, आर्थिक चुनौतियों और अन्य कारकों ने इसके बच्चों में कुपोषण के भयावह स्तर को जन्म दिया है।
- देश में लाखों बच्चे गंभीर पोषण असुरक्षा से पीड़ित हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें स्वस्थ विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक विविध आहार तक पहुँच नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने मामले को और भी बदतर बना दिया है, जिससे कमजोर बच्चों को जीवन रक्षक उपचार तक पहुँच नहीं मिल पा रही है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023

- भारत को अपनी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) के अनुसार, जो देशों में भूख के स्तर को मापता है, भारत का स्कोर चिंता का विषय रहा है। उपलब्ध सबसे हालिया डेटा (2023) के अनुसार भारत ने 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त किया है, जिसमें भारत की भूख की गंभीरता को 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है।
- GHI के संकेतक हैं अल्पपोषण, बाल बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर।

संबंधित सरकारी कदम

- भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के डेटा में बाल बौनेपन, दुर्बलता और कम वज़न के प्रतिशत में सकारात्मक रुझान दिखाई देते हैं। ये सुधार एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के प्रभाव को दर्शाते हैं।
- प्राकृतिक आपदाएँ और खाद्य सुरक्षा: सूखे जैसी आपदाओं के दौरान, खाद्य उत्पादन कम हो जाता है, जिससे कमी और कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ व्यक्तियों को भोजन का खर्च उठाने में कठिनाई हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से भुखमरी हो सकती है।
- ऐतिहासिक उदाहरण, जैसे कि 1943 का विनाशकारी बंगाल अकाल, व्यापक आपदाओं के दौरान खाद्य संकट की गंभीरता को उजागर करता है।
- सरकार ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें भारत-व्यापी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय पोषण मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और महामारी के दौरान आपातकालीन सहायता शामिल है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

आगे की राह

- पोषण शिक्षा: संतुलित आहार, सूक्ष्म पोषक तत्वों और स्तनपान प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
- कृषि सुधार: कृषि उत्पादकता बढ़ाना, टिकाऊ खेती प्रथाओं को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार करना आवश्यक है।
- सामाजिक सुरक्षा जाल: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सुरक्षा जाल को मजबूत करना सुनिश्चित करता है कि कमजोर आबादी को पर्याप्त भोजन मिले।
- बर्बादी में कमी: विभिन्न चरणों- उत्पादन, वितरण और उपभोग- पर खाद्य अपव्यय को कम करने से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
- सामुदायिक भागीदारी: भूख उन्मूलन प्रयासों में स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- भूख को समाप्त करने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। यह केवल भोजन की उपलब्धता के बारे में नहीं है; यह समान पहुँच, पोषण और समग्र कल्याण के बारे में भी है।
- भारत को अपनी विशाल आबादी और विविध चुनौतियों के साथ अपने सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पुनर्निर्मित मॉडल कौशल ऋण योजना**पाठ्यक्रम: जीएस 2/कल्याणकारी योजनाएँ****समाचार में**

- कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में नई मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की।

योजना के बारे में

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में इसका उल्लेख किया था।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने जुलाई 2015 में कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (CCFSSD) शुरू की थी।
- नई मॉडल कौशल ऋण योजना उसी का संशोधित संस्करण है।
- मुख्य विशेषताएं: इस योजना के तहत देश भर में 25 हजार युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- ऋण राशि की सीमा बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दी गई है जो पहले 1.5 लाख रुपये थी।
- कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), अनुसूचित बैंकों और ग्रामीण बैंकों को भी इस योजना में जोड़ा गया है जो छात्रों को परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करेंगे।
- उद्देश्य: यह उन्नत स्तर के कौशल पाठ्यक्रमों का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है, जो अवसर उच्च शुल्क के साथ आते हैं, जो कई योग्य छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाधा पैदा करते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य उस अंतर को पाटना है, यह सुनिश्चित करना कि इच्छुक उम्मीदवारों को उनके कौशल प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिले।

राज्यसभा का नियम 267**पाठ्यक्रम: GS2/भारतीय राजनीति****संदर्भ**

- हाल ही में, राज्यसभा के सभापति ने बताया कि नियम 267 के लगातार इस्तेमाल को लेकर सांसदों में आत्मचिंतन हो रहा है, उन्होंने इसे प्रावधान का 'अंधाधुंध उपयोग' करार दिया।

राज्यसभा के नियम 267 के बारे में

- यह 'नियमों के निलंबन' की व्यापक श्रेणी में आता है, जो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को किसी विशिष्ट नियम के निलंबन का प्रस्ताव करने का अधिकार देता है।
- यह राज्यसभा के सदस्य को सभापति की स्वीकृति से सदन के पूर्व-निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने का विशेष अधिकार देता है।
- यह किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए मुद्दे पर बहस करने के लिए एक दिन के कामकाज को निलंबित करने की अनुमति देता है।
- किसी नियम को निलंबित करके, राज्यसभा विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा या निर्णय को तेजी से आगे बढ़ा सकती है।
- यह निलंबन हमेशा के लिए नहीं है। एक बार दिन का कामकाज समाप्त हो जाने के बाद, निलंबित नियम अपना सही स्थान प्राप्त कर लेता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने खनिजों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन, GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्यों के पास खदानों और खनिजों पर कर लगाने का अधिकार है।

पृष्ठभूमि

- यह विवाद 1957 में केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, जिसे MMDR अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, के अधिनियमन से उत्पन्न हुआ, जिसने खदानों और खनिजों का नियंत्रण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में ला दिया।
- अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, जो लोग खनन गतिविधियों का संचालन करने के लिए पट्टे प्राप्त करते हैं, उन्हें उस व्यक्ति या निगम को "हटाए गए किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान" करना होगा, जिसने उन्हें भूमि पट्टे पर दी थी।

रॉयल्टी क्या है?

- रॉयल्टी किसी उत्पाद के मालिक को उस उत्पाद का उपयोग करने के अधिकार के बदले में दी जाने वाली फीस को संदर्भित करती है।
- उदाहरण के लिए, यदि कोई मूवी स्टूडियो किसी विशिष्ट कलाकार के मौजूदा संगीत को अपनी नई फिल्म में इस्तेमाल करना चाहता है, तो उन्हें रॉयल्टी शुल्क देना होगा जो कलाकार को जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआरए) की धारा 9 के तहत राज्य सरकारों द्वारा एकत्र की गई "रॉयल्टी" कोई कर नहीं है।
- रॉयल्टी का भुगतान करने का दायित्व पट्टादाता और पट्टाधारक के बीच संविदात्मक समझौतों से उत्पन्न होता है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं है; बल्कि, यह खनिज संसाधनों के अनन्य उपयोग के लिए मुआवजे के रूप में कार्य करता है।
- सरकार को किए गए संविदात्मक भुगतानों को करों के बराबर नहीं माना जा सकता।
- इस निर्णय ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1989) के मामले के निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें घोषित किया गया था कि रॉयल्टी एक कर है।

ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2023

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन

संदर्भ

- इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल में गुप्त बदलावों की निंदा की, जो ऑनलाइन समाचार और मनोरंजन मीडिया पर नियामक आवश्यकताओं का विस्तार करता है।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करने का एक प्रयास है।
- मसौदा विधेयक के तहत कई प्रकार के प्रसारकों और प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों को विनियमित किया जाएगा।
- टेलीविजन प्रसारण नेटवर्क को केंद्र सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा, जबकि ओटीटी प्लेटफार्मों को ग्राहकों की एक निश्चित सीमा को पूरा करने के बाद सूचना देनी होगी।
- मसौदा विधेयक समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों (प्रिंट समाचार को छोड़कर) के प्रसारण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। ऐसे कार्यक्रमों को निर्धारित कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड का अनुपालन करना होगा।
- मसौदा विधेयक कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्व-नियामक संरचना प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं;
 - स्व-नियामक,

- स्व-नियामक संगठनों का गठन,
- एक प्रसारण सलाहकार परिषद की स्थापना।
- प्रत्येक प्रसारक को एक आंतरिक सामग्री मूल्यांकन समिति (सीईसी) भी स्थापित करनी होगी। सभी प्रसारित सामग्री को सीईसी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- विधेयक में सरकारी सदस्यता के साथ एक प्रसारण सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रावधान है, जो प्रसारकों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करेगी।

छात्र मूल्यांकन पर PARAKH का प्रस्ताव

पान्थक्रम: GS 2/शिक्षा

समाचार में

- समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और विश्लेषण (PARAKH) ने कक्षा 12 के परिणामों के लिए कक्षा 9-11 के प्रदर्शन को शामिल करने का सुझाव दिया।

PARAKH के बारे में

- राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र- PARAKH की स्थापना 2023 में NCERT में एक स्वतंत्र घटक इकाई के रूप में की गई थी, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा अनिवार्य किए गए अन्य कार्यों के साथ-साथ छात्र मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक, दिशानिर्देश निर्धारित करने और गतिविधियों को लागू करने के मूल उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

PARAKH के लिए फोकस के चार प्रमुख क्षेत्र हैं:

- योग्यता आधारित मूल्यांकन में क्षमता विकास
- बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण
- स्कूल बोर्डों की समानता
- फाउंडेशनल, प्रिपरेशनल, मिडिल और सेकेंडरी चरणों के लिए समग्र प्रगति कार्ड।

हाल की सिफारिशें

- प्रदर्शन का एकीकरण: कक्षा 9, 10 और 11 के प्रदर्शन को कक्षा 12 के अंतिम रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें कक्षा 9 से 15%, कक्षा 10 से 20%, कक्षा 11 से 25% और कक्षा 12 से 40% का भारित योगदान होगा।
- मूल्यांकन के प्रकार: कक्षा 9: 70% प्रारंभिक मूल्यांकन, 30% योगात्मक मूल्यांकन।
- कक्षा 10: 50% प्रारंभिक मूल्यांकन, 50% योगात्मक मूल्यांकन।
- कक्षा 11: 40% प्रारंभिक मूल्यांकन, 60% योगात्मक मूल्यांकन।
- कक्षा 12: 30% प्रारंभिक मूल्यांकन, 70% योगात्मक मूल्यांकन।
- समग्र प्रगति कार्ड: इसमें स्व-मूल्यांकन, समूह कार्य का शिक्षक मूल्यांकन और सहकर्मी प्रतिक्रिया शामिल है।
- क्रेडिट सिस्टम: कक्षा 9 और 10: प्रत्येक के लिए 40 क्रेडिट।
- कक्षा 11 और 12: प्रत्येक के लिए 44 क्रेडिट।
- विषय-विशिष्ट क्रेडिट में कक्षा 9 और 10 के लिए 32 क्रेडिट शामिल हैं (उदाहरण के लिए, भाषाओं के लिए 12, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए 4-4)।
- राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क: बोर्डों को राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ सरेखित क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम विकसित करने की सिफारिश की जाती है।
- क्रेडिट सिस्टम NEP 2020 की अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की अवधारणा के अनुरूप है।

COMBINED EVALUATION

Weight	Class 9	Class 10	Class 11	Class 12
Formative	70%	50%	40%	30%
Summative	30%	50%	60%	70%

■ Formative are classroom assessments through holistic progress cards, projects, group discussions, etc; summative are end-term examinations

■ Each class will have two terms for assessment

Weighted marks at the end of higher secondary stage

Class 9	Class 10	Class 11	Class 12
15%	20%	25%	40%

ICMR टीबी किट के व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगा

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य

संदर्भ

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने तपेदिक (टीबी) का पता लगाने के लिए सस्ती, तेज़ और उपयोग में आसान परीक्षण तकनीक लाने पर काम शुरू कर दिया है।

के बारे में

- परिषद ने माइक्रोबैक्टीरियम टीबी का पता लगाने के लिए एक CRISPR Cas आधारित टीबी पहचान प्रणाली के व्यावसायीकरण के लिए 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की है।
- यह प्रणाली बहुत कम लागत पर रोगी की लार से डीएनए का उपयोग करके टीबी बैक्टीरिया का पता लगा सकती है, प्रारंभिक लक्षणों वाले बैक्टीरिया की पहचान कर सकती है और लगभग दो घंटे के भीतर एक साथ 1,500 से अधिक नमूनों का परीक्षण कर सकती है।

तपेदिक क्या है?

- तपेदिक (टीबी) एक संक्रामक रोग है जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है।
- यह संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या थूकने से हवा के माध्यम से फैलता है।
- टीबी दो रूपों में प्रकट हो सकता है: अव्यक्त टीबी संक्रमण और सक्रिय टीबी रोग।
- अव्यक्त टीबी संक्रमण में, बैक्टीरिया शरीर में मौजूद होते हैं, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें नियंत्रण में रखती है, और व्यक्ति में लक्षण नहीं दिखते।
- हालांकि, बैक्टीरिया बाद में सक्रिय हो सकता है, जिससे सक्रिय टीबी रोग हो सकता है, जिसमें लगातार खांसी, सीने में दर्द, वजन कम होना, थकान और बुखार जैसे लक्षण होते हैं।
- लक्षण: लंबे समय तक खांसी (कभी-कभी खून के साथ), सीने में दर्द, कमजोरी, थकान, वजन कम होना, बुखार, रात में पसीना आना।
- लोगों को होने वाले लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर में टीबी कहां सक्रिय होता है। जबकि टीबी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, यह गुर्दे, मस्तिष्क, रीढ़ और त्वचा को भी प्रभावित करता है।
- उपचार: तपेदिक को रोका जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है।

- तपेदिक रोग का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है।
- टीबी का टीका: बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) टीका टीबी के खिलाफ एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है; यह शिशुओं और छोटे बच्चों में टीबी (टीबी मेनिन्जाइटिस) के गंभीर रूपों के खिलाफ मध्यम सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत में टीबी का बोझ

- दुनिया भर में टीबी के लगभग 27% मामले भारत में हैं - जो दुनिया में देश-वार टीबी का सबसे बड़ा बोझ है।
- भारत में टीबी से हर साल लगभग 480,000 लोगों की मौत होती है या हर दिन 1,400 से ज्यादा मरीज़ मरते हैं।
- इसके अलावा, देश में हर साल दस लाख से ज्यादा 'लापता' टीबी के मामले भी होते हैं, जिन्हें अधिसूचित नहीं किया जाता।
- भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है।

टीबी को खत्म करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- निदान और मामले का पता लगाना: टीबी का सटीक और समय पर निदान एक चुनौती बना हुआ है।
- कुछ क्षेत्रों में आधुनिक निदान उपकरणों तक पहुँच की कमी है, जिसके कारण सीमाओं के साथ पुरानी विधियों पर निर्भरता है।
- दवा प्रतिरोधी टीबी के मामले: भारत में दवा प्रतिरोधी टीबी का एक बड़ा बोझ है, जिसमें मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट टीबी (एमडीआर-टीबी) भी शामिल है।
- इस प्रकार की टीबी का इलाज करना बहुत कठिन है और इसके लिए ज्यादा महंगी, विशेष दवाओं और लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत होती है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे की कमी: भारत के कई हिस्सों में, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुँच है।
- इसके परिणामस्वरूप निदान और उपचार में देरी हो सकती है, जिससे समुदायों में टीबी फैल सकता है।
- कलंक और जागरूकता: टीबी से जुड़े कलंक के कारण स्वास्थ्य सेवा पाने में देरी हो सकती है और बीमारी के बारे में जागरूकता की कमी इसके बने रहने में योगदान दे सकती है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय और मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना प्रभावी टीबी नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है।
- उपचार का पालन: टीबी के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के लंबे कोर्स की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है कि मरीज़ पूरे कोर्स का पालन करें।
- कमजोर आबादी: प्रवासी श्रमिकों, शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले और भीड़-भाड़ वाली परिस्थितियों में रहने वाले लोगों जैसी कुछ आबादी को टीबी का अधिक खतरा होता है।
- कमजोर आबादी: प्रवासी श्रमिकों, शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले और भीड़-भाड़ वाली परिस्थितियों में रहने वाले लोगों ... लोगों और भीड़-भाड़ वाली परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को टीबी का अधिक खतरा होता है।
- कमजोर आबादी: कुछ आबादी, जैसे प्रवासी श्रमिक, शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग और भीड़-भाड़ वाली परिस्थितियों में रहने वाले लोग, टीबी के उच्च जोखिम में हैं।

टीबी को खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी): 1997 में शुरू किया गया आरएनटीसीपी भारत में टीबी को नियंत्रित करने का प्रमुख कार्यक्रम था।
- पिछले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम को लगातार संशोधित और मजबूत किया गया है।
- राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी): भारत सरकार ने 2025 तक देश में टीबी को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-25) विकसित की है।
- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए): टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता के लिए 2022 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य टीबी से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है।
- सार्वभौमिक दवा संवेदनशीलता परीक्षण (डीएसटी): सरकार ने दवा संवेदनशीलता परीक्षण तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के प्रयासों को बढ़ाया है, जिससे टीबी के दवा प्रतिरोधी उपभेदों की जल्द पहचान करने और उसके अनुसार उपचार तैयार करने में मदद मिलती है।
- इससे पहले, रोगियों को प्राथमिक उपचार दिया जाता था और दवा प्रतिरोध के लिए केवल तभी परीक्षण किया जाता था जब उपचार काम नहीं करता था।
- निक्षय पोर्टल: अधिसूचित टीबी मामलों को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन निक्षय पोर्टल स्थापित किया गया है।
- नई दवाएँ: दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार के लिए बेडाक्विमाइन और डेलामैनिड जैसी नई दवाओं को सरकार द्वारा टीबी रोगियों को मुफ्त में दी जाने वाली दवाओं की सूची में शामिल किया गया है।
- उपचार के लिए अनुसंधान और विकास: शोधकर्ता मौजूदा छह महीने की चिकित्सा के बजाय एंटी-ट्यूबरकुलर दवाओं के तीन और चार महीने के छोटे कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं।
- वैक्सीन विकास: टीबी की रोकथाम में इम्मुवैक नामक वैक्सीन की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए परीक्षण चल रहे हैं, जिसे शुरू में कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए विकसित किया गया था।

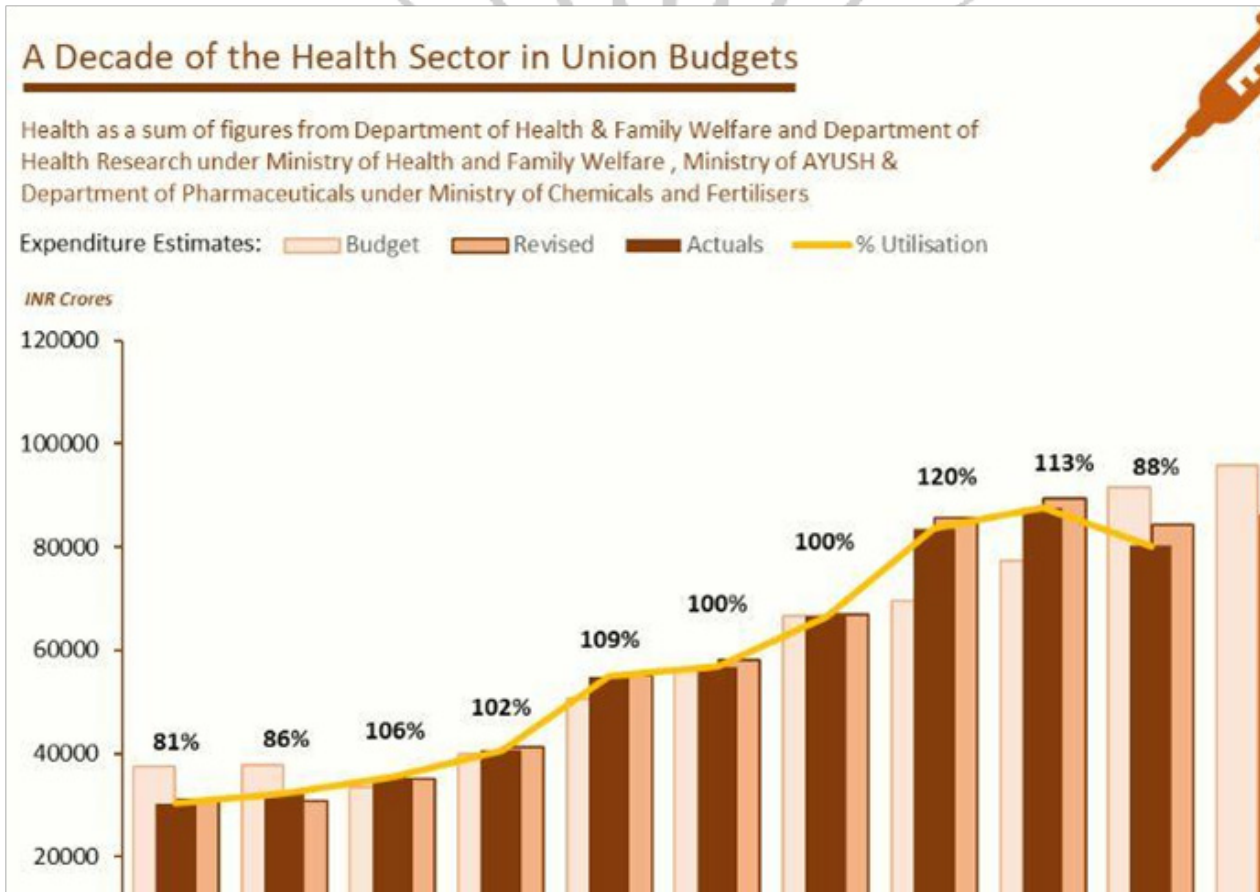
- शोधकर्ता वीपीएम1002 का भी परीक्षण कर रहे हैं, जो टीबी एंटीजन को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए संशोधित बीसीजी वैक्सीन का एक पुनः संयोजक रूप है।

सुझाव

- टीबी की रोकथाम और देखभाल पर मानदंड और मानक निर्धारित करना तथा उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना;
- टीबी की रोकथाम और देखभाल के लिए नैतिक और साक्ष्य-आधारित नीति विकल्पों का विकास और प्रचार करना;
- वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर टीबी महामारी की स्थिति और वित्तपोषण और प्रतिक्रिया के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी और रिपोर्टिंग करना।

CRISPR-Cas9

- क्लस्टरड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंगड्रोमिक रीपीट्स (CRISPR) एक डीएनए अनुक्रम है जो जीवाणु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है।
- Cas9 (CRISPR-संबंधित) प्रोटीन का नाम है जो प्रतिरोध को स्थानांतरित करता है।
- 1. यह एक एंजाइम है जो आणविक कैंची की तरह काम करता है, जो डीएनए के स्ट्रैंड को काटने में सक्षम है।
- 2. यह शोधकर्ताओं को डीएनए अनुक्रमों को आसानी से बदलने और जीन फंक्शन को संशोधित करने की अनुमति देता है।
- 2020 में, इमैनुएल चार्वैटियर और जेनifer ए. डौडना को CRISPR-Cas9 की खोज के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।



बजट 2024: भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र

पान्चक्रम: GS2/स्वास्थ्य

संदर्भ

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024 में महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की।
- के बारे में**
- स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट आवंटन 12.59% बढ़कर 90,658.63 करोड़ रुपये हो गया।
 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को इस आवंटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होगा, जिसमें 87,656.90 करोड़ रुपये इसकी पहलों के लिए समर्पित होंगे।
 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को 3,301.73 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे चिकित्सा अनुसंधान और विकास के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित होगा।

- घोषित किए गए प्रमुख उपायों में से एक तीन अतिरिक्त कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट थी, यह कदम कैंसर से जूझ रहे रोगियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था।
- ये तीन कैंसर दवाएं: ट्रैस्टुजुमाब डेस्कटेकन, ओसिमार्टिनिब और डुरवालुमाब, आमतौर पर भारत में स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और मूत्राशय के कैंसर के लिए निर्धारित की जाती हैं।
- एक्स-रे ट्यूब और प्लैट पैनेल डिटेक्टरों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में बदलाव।

भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र

- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र: इसमें अस्पताल, चिकित्सा उपकरण, नैदानिक परीक्षण, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।
- भारत की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को दो प्रमुख घटकों में वर्गीकृत किया गया है - सार्वजनिक और निजी।
- सार्वजनिक क्षेत्र: इसमें प्रमुख शहरों में सीमित माध्यमिक और तृतीयक देखभाल संस्थान शामिल हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों (पीएचसी) के रूप में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- निजी क्षेत्र: निजी क्षेत्र माध्यमिक, तृतीयक और चतुर्थक देखभाल संस्थानों का बहुमत प्रदान करता है, जिसमें महानगरों, टियर-I और टियर-II शहरों में प्रमुखता है।

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के वित्तपोषण की संरचना

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मोटे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए नीति तैयार करने की जिम्मेदारी लेता है।
- यह राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को संचालित करने और मातृ स्वास्थ्य और पोषण जैसे विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- यह एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और संचालन भी करता है, साथ ही दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों में भी संस्थान स्थापित करता है।
- मंत्रालय में शामिल हैं: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने और चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, और
- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग जो चिकित्सा अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार है।

स्वास्थ्य सेवा पर कम सार्वजनिक व्यय से संबंधित चिंताएँ

- इसके परिणामस्वरूप मानव संसाधन सहित अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा और प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में धीमा सुधार हुआ है।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच: कम सार्वजनिक व्यय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बाधित करता है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जहाँ पहले से ही बुनियादी ढाँचे की कमी है।
- यह शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य असमानताओं को बढ़ाता है और कई लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवाओं का खर्च उठाने या उन तक पहुँचने में असमर्थ बनाता है।
- उपेक्षित निवारक और प्राथमिक देखभाल: भारत में स्वास्थ्य सेवा खर्च का एक बड़ा हिस्सा तृतीयक देखभाल की ओर निर्देशित होता है, निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा करता है।
- इसके परिणामस्वरूप बीमारियों का जल्दी पता लगाने और प्रबंधन के अवसर चूक जाते हैं, जिससे लंबे समय में उपचार की लागत बढ़ जाती है और स्वास्थ्य परिणाम खराब हो जाते हैं।
- उत्तम रोग बोझ: स्वास्थ्य सेवा पर कम सार्वजनिक व्यय संचारी रोगों, कुपोषण और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समस्याओं जैसी रोकथाम योग्य बीमारियों के बढ़ते बोझ में योगदान देता है।
- जेब से खर्च में वृद्धि: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण लोगों को निजी स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक उपयोग करना पड़ रहा है, और इससे नागरिकों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM): 2020 में लॉन्च किए गए, NDHM का उद्देश्य नागरिकों के लिए स्वास्थ्य आईडी और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे की स्थापना सहित एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY): 2018 में लॉन्च की गई AB-PMJAY एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए 100 मिलियन से अधिक परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है और निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवा पर जोर देती है।
- □ स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एचडब्ल्यूसी): सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एचडब्ल्यूसी में बदलने की दिशा में काम कर रही है, ताकि निवारक और प्रोत्साहक देखभाल सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई): पीएमएसएसवाई का उद्देश्य नए एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) संस्थानों की स्थापना करके और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत करके देश में तृतीयक देखभाल क्षमताओं को बढ़ाना और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है।
- अनुसंधान और विकास पहल: सरकार स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें टीकों, दवाओं और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए समर्थन शामिल है।

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम: 2019 में पारित NMC अधिनियम का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) की जगह चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास में सुधार लाना और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
- जन औषधि योजना: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) का उद्देश्य जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराना है।

आगे की राह

- कोविड-19 महामारी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में दरारें दिखाई और स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की घटना को रोक सकती है या रोक सकती है, जिसका अर्थ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में निवेश के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

भूल जाने का अधिकार

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

खबरों में

- सुप्रीम कोर्ट डिजिटल गोपनीयता को सुरक्षित करने से संबंधित 'भूल जाने के अधिकार' पर याचिका की जांच करेगा।

भूल जाने का अधिकार

- 'भूल जाने का अधिकार' व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित है, जिसमें फोटो, वीडियो आदि सहित उनके व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर नियंत्रण रखना और इसे संगठनों के रिकॉर्ड से हटाना शामिल है।
- यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) जो डेटा सुरक्षा कानूनों की रूपरेखा तैयार करता है, नियमों के अनुच्छेद 17 के तहत इस मामले में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है।
- भारत में, 'भूल जाने का अधिकार' को निजता के अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है।
- 'निजता के अधिकार' को मौलिक घोषित करने के 2017 के महत्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था कि 'भूल जाने का अधिकार' 'निजता के अधिकार' का एक पहलू है।
- केंद्र ने पिछले साल डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 पारित किया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

जमानत के बदले में स्थान साझा करना निजता का उल्लंघन है: SC

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अदालतें जमानत की ऐसी शर्तें नहीं लगा सकतीं, जिसके तहत आरोपी व्यक्तियों को अपना स्थान Google मानचित्र पर साझा करना पड़े।

पृष्ठभूमि

- यह फैसला एक नाइजीरियाई नागरिक फ्रैंक वित्स द्वारा दायर अपील में आया, जो ड्रग्स मामले में आरोपी है, जिसने 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी जमानत के लिए एक शर्त के रूप में जांच अधिकारी के साथ अपना गूगल मैप स्थान साझा करना अनिवार्य किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- अदालत ने यह भी माना कि "कोई भी जमानत शर्त जो पुलिस/जांच एजेंसी को किसी भी तकनीक का उपयोग करके या अन्यथा आरोपी की हर गतिविधि को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है, निरसंदेह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करेगी।"
- "आश्वासन के प्रमाण पत्र" के विषय पर, अदालत ने माना कि इस तरह के प्रमाण पत्र का अनुदान आरोपी के नियंत्रण से बाहर है, और इस शर्त को भी हटाने का आदेश दिया।
- इसने कहा कि यदि दूतावास उचित समय के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र नहीं देता है, तो आरोपी को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है।

गोपनीयता का अधिकार: भारतीय परिदृश्य

- 2017 में के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के निर्णय ने घोषित किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
- व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डेटा सुरक्षा विधेयक 2018 से ही काम में है, जब न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण के नेतृत्व में एक पैनल ने विधेयक का मसौदा संस्करण तैयार किया था।

निजता का अधिकार: वैश्विक परिदृश्य

- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 12 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR), 1966 के अनुच्छेद 17, किसी व्यक्ति की निजता, परिवार, घर, पत्राचार, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ "मनमाने हस्तक्षेप" के खिलाफ कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- भारत ने बिना किसी आरक्षण के 1979 में ICCPR पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की।
- यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर, 2012 के अनुच्छेद 7 और 8, निजी और पारिवारिक जीवन, घर और संचार के लिए सम्मान को मान्यता देते हैं।
- अनुच्छेद 8 व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और निर्दिष्ट वैध उद्देश्य के लिए इसके संग्रह को अनिवार्य बनाता है।
- यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक डेटा सुरक्षा कानून पर केंद्रित है।

सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल का मुकदमा विचारणीय

पाठ्यक्रम: जीएस2/राजनीति और शासन

संदर्भ

- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक मुकदमे की स्थिरता को बरकरार रखा, जिसमें केंद्र सरकार पर राज्य की पूर्व सहमति के बिना एकतरफा तरीके से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नियुक्त करके संवैधानिक अतिक्रमण और संघवाद के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

पृष्ठभूमि

- 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी सहमति वापस ले ली, जिसके तहत सीबीआई को राज्यों में मामलों की जांच करने की अनुमति दी गई थी।
- अपने मुकदमे में, राज्य ने तर्क दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत केंद्रीय एजेंसी के लिए अपनी सहमति रद्द करने के बावजूद, सीबीआई ने राज्य के भीतर हुए अपराधों से संबंधित एफआईआर दर्ज करना जारी रखा।
- केंद्र ने कहा कि कोई राज्य सरकार किसी भी मामले में सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के लिए सर्वव्यापी, व्यापक और व्यापक निर्देश जारी करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकती है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)

- भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत काम करने वाली सीबीआई भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है।
- इतिहास: सीबीआई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अस्तित्व में आई, जब औपनिवेशिक सरकार ने युद्ध और आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने की आवश्यकता महसूस की। 1941 में एक कानून आया। 1946 में यह डीएसपीई अधिनियम बन गया।
- इसकी स्थापना 1963 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
- भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थान समिति ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी।
- कार्य: सीबीआई की स्थापना भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी और गबन तथा सामाजिक अपराध, विशेष रूप से जमाखोरी, कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं में मुनाफाखोरी की जांच करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसका अखिल भारतीय और अंतर-राज्यीय प्रभाव है।
- यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है।
- अधिकार क्षेत्र: सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है।
- अधिनियम की धारा 2 डीएसपीई को केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच करने का अधिकार देती है।
- अधिनियम की धारा 5(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा रेलवे क्षेत्रों और राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति दे।

सीबीआई के लिए कितने प्रकार की सहमति है?

- सीबीआई द्वारा जांच के लिए दो प्रकार की सहमति हैं। ये हैं: सामान्य और विशिष्ट।
- जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देता है, तो एजेंसी को हर बार जांच के सिलसिले में या हर मामले के लिए उस राज्य में प्रवेश करने पर नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- विशिष्ट सहमति: जब सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए मामलेवार सहमति लेने की आवश्यकता होती है।
- यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है, तो सीबीआई अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस कर्मियों की शक्ति नहीं होगी।

सीबीआई के कामकाज में मुद्दे

- विधायी समस्याएं: किसी राज्य के क्षेत्र में किए गए अपराधों की जांच का संचालन या जारी रखने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, जिसे ज्यादातर समय विलंबित किया जाता है या यहां तक कि अस्वीकार भी कर दिया जाता है।

- राजनीतिक मुद्दे: 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को "अपने मालिक की आवाज़ में बोलने वाला पिंजड़े में बंद तोता" (सीबीआई का राजनीतिकरण) बताया था।
- यह टिप्पणी कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों की जांच में सीबीआई के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप के संदर्भ में की गई थी।
- पारदर्शिता के मुद्दे: सीबीआई को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे से छूट दी गई है।
- ओवरलैपिंग फंक्शन: कुछ मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), सीबीआई और लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में ओवरलैप है, जिससे समस्याएँ पैदा होती हैं।

आगे की राह

- सीबीआई की भूमिका, अधिकार क्षेत्र और कानूनी शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता है। इससे इसे लक्ष्य स्पष्टता, भूमिका स्पष्टता, सभी क्षेत्रों में स्वायत्तता और एक स्वतंत्र स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में छवि बदलाव मिलेगा।
- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने भी सुझाव दिया था कि "सीबीआई के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिए"।
- संसदीय स्थायी समितियों (2007 और 2008) की 19वीं और 24वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि "समय की मांग है कि कानूनी अधिदेश, बुनियादी ढांचे और संसाधनों के मामले में सीबीआई को मजबूत बनाया जाए"।

राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज

पान्चक्रम: GS2/राजनीति

संदर्भ

- केंद्रीय बजट से पहले, बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की है।

राज्यों को वित्तीय अनुदान

- केंद्र सरकार विभिन्न अनुदानों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जैसे:
- वित्त आयोग अनुदान: ये भारत के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं, जो राज्यों को केंद्रीय करों का एक हिस्सा आवंटित करता है।
- योजना अनुदान: ये स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आवंटित धन हैं।
- विवेकाधीन अनुदान: ये अनुदान विशिष्ट परियोजनाओं या आपात स्थितियों के लिए केंद्र सरकार के विवेक पर प्रदान किए जाते हैं।

केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 202 से 206 राज्यों के वित्तीय प्रशासन से संबंधित हैं, जिसमें उनके बजट, व्यय, उधार और कराधान शक्तियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- अनुच्छेद 268 से 272 संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की रूपरेखा तैयार करते हैं।
- अनुच्छेद 280 प्रत्येक पाँच वर्ष (या राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट) पर एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 282 केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है।

विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है?

- इसे 1969 में तब पेश किया गया था जब पांचवें वित्त आयोग ने कुछ वंचित राज्यों को तरजीही सुविधाएं देने की मांग की थी। इसे योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डॉ. गाडगिल मुखर्जी के नाम पर गाडगिल फॉर्मूला नाम दिया गया था। शुरुआत में तीन राज्यों: असम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। 1974-1979 से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को इस श्रेणी में जोड़ा गया। 1990 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और 2001 में उत्तराखंड को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर गाडगिल फॉर्मूला आधारित अनुदान बंद कर दिए गए।

राज्यों का वर्तमान हिस्सा

- सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 2015 से इसने केंद्र से राज्यों को कर हस्तांतरण को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया, और किसी भी संसाधन की कमी का सामना करने वाले राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान का एक नया प्रावधान भी जोड़ा।
- राज्यों का हिस्सा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और प्रत्येक राज्य द्वारा अपने स्वयं के कर राजस्व को जुटाने के प्रयास के लिए एक सूत्र द्वारा तय किया जाता है।
- सूत्र में भौगोलिक क्षेत्र, वन क्षेत्र और राज्य की प्रति व्यक्ति आय को भी ध्यान में रखा जाता है।
- एन के सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण को संशोधित किया है और इसे 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत कर दिया है।
- इसलिए राज्यों को वर्तमान कर हस्तांतरण 2026 तक 41 प्रतिशत है।
- 90:10 नियम अभी भी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों पर लागू है, हालांकि कोई विशेष दर्जा श्रेणी नहीं है।
- अन्य सभी राज्यों को 60:40 के अनुपात में केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त होता है, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार का योगदान होता है और 40 प्रतिशत राज्य सरकार का।

आगे की राह

- यदि गठबंधन सरकार स्थिति पर पुनर्विचार करने और बिहार और आंध्र प्रदेश की विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग को पूरा करने का फैसला करती है, तो प्रस्ताव को 16वें वित्त आयोग को भेजा जाना चाहिए।
- बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग कर रहे हैं।
- इससे स्पष्ट होता है कि मौजूदा प्रावधानों के तहत राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मौजूद नहीं है।
- लेकिन, केंद्र सरकार के पास राजस्व घाटे वाले और संसाधन की कमी का सामना कर रहे राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता पैकेज देने का विकल्प है।

डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा**पाठ्यक्रम: GS2/शासन****संदर्भ**

- हाल ही में, डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत) इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत मौजूदा पूर्व-पोस्ट ढांचे को डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के मसौदे में पूर्व-पूर्व ढांचे के साथ पूरक करने की आवश्यकता थी।

डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के मसौदे के बारे में

- यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और उसके बाद के संशोधनों और सिफारिशों की पृष्ठभूमि में उभरता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए भारत के प्रतिस्पर्धा ढांचे को अद्यतन करना है।

पूर्व-पोस्ट बनाम पूर्व-पूर्व ढांचा

- पूर्व-पोस्ट ढांचा: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 वर्तमान में पूर्व-पोस्ट आधार पर संचालित होता है, जिसका अर्थ है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण होने के बाद ही प्रवर्तन कार्रवाई कर सकता है।
- डिजिटल बाजारों में, यह दृष्टिकोण समय लेने वाला हो सकता है और अपराधी अभिनेताओं को समय पर जांच से बचने की अनुमति देता है।
- पूर्व-पूर्व रूपरेखा: CDCL डिजिटल उद्यमों के लिए पूर्व-पूर्व प्रतिस्पर्धा विनियमन की वकालत करता है। यह दृष्टिकोण CCI को प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार को होने से पहले ही रोकने और रोकने की अनुमति देता है।
- उल्लेखनीय रूप से, यूरोपीय संघ एकमात्र ऐसा क्षेत्राधिकार है जिसके पास वर्तमान में एक व्यापक पूर्व-पूर्व प्रतिस्पर्धा रूपरेखा (डिजिटल बाजार अधिनियम) लागू है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

- यह भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के भीतर एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और ऐसी गतिविधियों को रोकना है जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- इसके दृष्टिकोण में व्यवसायों को निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और अभिनव बनने के लिए प्रेरित करना, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाना और आर्थिक विकास का समर्थन करना शामिल है।

कानूनी रूपरेखा

- CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत काम करता है, जिसने पहले के एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP अधिनियम) को प्रतिस्थापित किया था।
- एमआरटीपी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, तथा राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 लागू हुआ।

मुख्य विशेषताएं

- अविश्वास विनियमन: CCI प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग तथा कार्टेल व्यवहार से संबंधित मामलों की जांच करता है।
- संयोजनों का विनियमन: यह प्रतिस्पर्धा पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए विलय, अधिग्रहण तथा अन्य संयोजनों की समीक्षा करता है।
- प्रतिस्पर्धा अर्थशास्त्र: सीसीआई प्रतिस्पर्धा और बाजार गतिशीलता के आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण करता है।
- वकालत: यह प्रतिस्पर्धा जागरूकता को बढ़ावा देता है और हितधारकों को शिक्षित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: CCI अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के साथ सहयोग करता है।
- मुनाफाखोरी विरोधी: CCI यह सुनिश्चित करता है कि कम करों का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए।
- बाजार अध्ययन और अनुसंधान: CCI बाजार के रुझान और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों को समझने के लिए अध्ययन करता है।

डिजिटल बाजारों की अनूठी विशेषताएँ

- पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाएँ: डिजिटल उद्यमों को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं (उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई लागत में कमी) और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं (सेवाओं में वृद्धि के साथ कुल लागत में कमी) से लाभ होता है।
- ये कारक पारंपरिक बाजारों की तुलना में तेजी से विकास को बढ़ावा देते हैं।
- नेटवर्क प्रभाव: डिजिटल सेवाओं की उपयोगिता उपयोगकर्ताओं की संख्या (नेटवर्क प्रभाव) के साथ बढ़ती है।
- नेटवर्क प्रभावों के साथ मिलकर तेज विकास, बाजारों को मौजूदा कंपनियों के पक्ष में झुका सकता है।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- प्रभुत्व के लिए मात्रात्मक मानक: मसौदा विधेयक डिजिटल उद्यमों के बीच प्रभुत्व की पहचान करने के लिए मात्रात्मक मानदंडों की रूपरेखा तैयार करता है।
- यह प्रभुत्व का आकलन करने के लिए 'महत्वपूर्ण वित्तीय ताकत' परीक्षण का उपयोग करता है।
- निवारक दायित्व: डिजिटल बाजारों की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए, CDCL निवारक दायित्वों का प्रस्ताव करता है।
- ये दायित्व पूर्व-पश्चात प्रवर्तन ढांचे के पूरक हैं, जिससे समय पर हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है।

चिंताएँ और निहितार्थ

- डेटा गोपनीयता: हितधारकों को डेटा गोपनीयता के निहितार्थों के बारे में चिंता है। कड़े नियम कंपनियों द्वारा उपयोगकर्ता डेटा को संभालने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं।
- प्रतिस्पर्धी परिदृश्य: डिजिटल बाजारों की प्रतिस्पर्धी गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। कुछ लोगों को डर है कि कड़े नियम नवाचार को बाधित कर सकते हैं और व्यावसायिक संचालन में बाधा डाल सकते हैं।
- अनुपालन बोझ: कंपनियाँ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बिल उन पर अनुपालन बोझ डाल सकता है।
- उपभोक्ता विकल्प: ऐसी चिंताएँ हैं कि अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियम अंततः उपभोक्ता विकल्प और बाजार गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।

संतुलनकारी कार्य

- जबकि विधेयक का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को संबोधित करना है, हितधारक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं - जो उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

- मसौदा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का उद्देश्य एक पूर्व-पूर्व रूपरेखा पेश करके डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा विनियमन को बढ़ाना है। जैसे-जैसे भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की जटिलताओं से निपटता है, यह कानून भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल सकता है।

विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा

पाठ्यक्रम: GS2/ राजनीति और शासन

संदर्भ

- समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) ने ANI के विकी पेज पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री की अनुमति देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

मानहानि क्या है?

- यह किसी व्यक्ति, स्थान या चीज़ के बारे में किसी तीसरे पक्ष को गलत बयान देने का कार्य है जिसके परिणामस्वरूप उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है।
- यह मौखिक (निंदा) या लिखित (मानहानि) हो सकता है।
- संविधान का अनुच्छेद 19 अपने नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। हालाँकि, अनुच्छेद 19(2) ने अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित छूट दी है। न्यायालय की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना कुछ अपवाद हैं।
- भारत में, मानहानि एक नागरिक अपराध और एक आपराधिक अपराध दोनों हो सकती है।
- सिविल कानून में, मानहानि को क्षतिपूर्ति के रूप में दंड लगाकर टोर्ट्स कानून (कानून का वह क्षेत्र जो अधिकांश सिविल मुकदमों को कवर करता है) के तहत दंडनीय माना जाता है। आपराधिक कानून के तहत, मानहानि एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध और समझौता योग्य अपराध है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

समाचार में

- केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के भीतर रिपोर्टिंग संबंधों का पुनर्गठन किया है। यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि NSCS राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सरकार को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के बारे में

- स्थापना: 1998
- उद्देश्य: NSC रणनीतिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों का निर्माण करता है और उनके कार्यान्वयन पर प्रधानमंत्री को सलाह देता है।
- संरचना: NSC की तीन-स्तरीय संरचना है:
 - रणनीतिक नीति समूह: यह समूह दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
 - राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB): NSAB राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है।
 - NSC सचिवालय (NSCS): NSCS NSC और उसके सहायक निकायों के काम के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
- नेतृत्व: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) NSC की अध्यक्षता करते हैं और प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों और चुनौतियों का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ आकलन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- स्थान: NSC भारत के प्रधान मंत्री के कार्याकारी कार्यालय के भीतर काम करता है।
- एजेंडा: एनएससी के एजेंडे में बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, सैन्य मामले, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक रक्षा तथा सामरिक महत्व के अन्य मामले शामिल हैं।

NSCS के पुनर्गठन का महत्व

- एनएससीएस के पुनर्गठन से संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होने की उम्मीद है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय लेने में एनएसए की भूमिका को भी मजबूत कर सकता है।

‘नावु मनुजारु’ कार्यक्रम

पाठ्यक्रम: जीएस 2/शासन

स्वबलों में

- कर्नाटक सरकार स्कूलों में ‘नावु मनुजारु’ कार्यक्रम शुरू करेगी।

‘नावु मनुजारु’ कार्यक्रम के बारे में

- इसे वालू शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में शुरू करने का आदेश दिया गया है।
- इसमें दो घंटे की साप्ताहिक चर्चा और संवाद (प्रत्येक 40 मिनट की तीन अवधि) शामिल हैं।
- इसमें सामाजिक सद्भाव, स्थानीय और राष्ट्रीय त्योहारों के महत्व, लोक खेलों और खेलों पर चर्चा शामिल होगी।
- इसमें समाज सुधारकों के विचारों की खोज, स्थानीय स्थलों का दौरा, एकल परिवारों, असमानता उन्मूलन और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- कार्यान्वयन की देखरेख और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिला-स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले केंद्रों में बदलना है।
- इसे छात्रों में संविधान में निहित मूल्यों को स्थापित करने के लिए पेश किया गया है।

16वें वित्त आयोग का एजेंडा

पाठ्यक्रम: GS 2/राजनीति और शासन

स्वबलों में

- डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है।

16वें वित्त आयोग के बारे में

- भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में सोलहवें वित्त आयोग का गठन किया है।
- यह राज्यों और स्थानीय निकायों को समेकित निधि के हस्तांतरण पर केंद्रित है।

अवधि और दायरा

- 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर पाँच साल की अवधि को कवर करेंगी।
- कर आय का वितरण: यह निर्धारित करें कि संघ और राज्यों (संविधान के भाग XII, अध्याय I के तहत) के बीच साझा किए गए करों को कैसे वितरित किया जाना चाहिए।
- राज्यों के बीच इन आय के श्रेयों को आवंटित करें।
- सहायता अनुदान सिद्धांत: भारत के समेकित कोष से राज्य राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को परिभाषित करें।

- संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दी जाने वाली राशियों को निर्दिष्ट करें, उस अनुच्छेद के खंड (1) के प्रावधानों में निर्दिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर।
- राज्य समेकित निधि में वृद्धि: किसी राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करें।
- इस वृद्धि का उद्देश्य संबंधित राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्य के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों का पूरक बनाना है।
- आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण की समीक्षा: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना और उस पर उचित सिफारिशें करना भी अनिवार्य है।

मौजूदा चुनौतियाँ और मुद्दे

- कई वित्त आयोगों के प्रयासों के बावजूद, शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को वित्तीय सहायता अपर्याप्त बनी हुई है।
- नगर पालिकाओं का राजकोषीय स्वास्थ्य खराब है, जो शहर की उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है।
- ULB को अंतर-सरकारी हस्तांतरण (IGT) सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.5% है, जो अन्य विकासशील देशों (2-5%) की तुलना में बहुत कम है।
- उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.6%, मेक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5% और ब्राजील अपने शहरों को 5.1% आवंटित करता है।
- अन्य मुद्दों में IGTs की पूर्वानुमानशीलता, निर्धारण और क्षैतिज इक्विटी शामिल हैं।
- कराधान प्रणाली का प्रभाव: जीएसटी की शुरुआत ने यूएलबी के कर राजस्व को काफी कम कर दिया।
- राज्य वित्त आयोगों ने राज्यों से यूएलबी को न्यूनतम IGTs (राज्य राजस्व का लगभग 7%) की सिफारिश की।
- जनगणना डेटा की भूमिका: अद्यतन जनगणना डेटा (2011 नवीनतम है) की कमी साक्ष्य-आधारित राजकोषीय हस्तांतरण को बाधित करती है।
- टियर-2 और 3 शहरों में महत्वपूर्ण शहरीकरण और प्रवासन सटीक डेटा की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- समानांतर एजेंसियों के साथ चिंताएँ: समानांतर एजेंसियों की वृद्धि स्थानीय सरकारों को वित्तीय और परिचालन रूप से कमजोर करती है।
- एमपी और एमएलए स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं जैसे कार्यक्रम संघीय संरचना की भूमिकाओं को विकृत करते हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- शहर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (66%) और सरकारी राजस्व (90%) में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और वे समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक हैं।
- इसलिए, 16वें वित्त आयोग को भारत की शहरीकरण गतिशीलता पर विचार करना चाहिए।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर पलायन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और बुनियादी ढाँचे की माँगों को सटीक रूप से पकड़ने के महत्व को रेखांकित करता है।
- 16वें वित्त आयोग को यूएलबी को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए मजबूत राजकोषीय उपायों की सिफारिश करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- स्थिर आईजीटी यूएलबी को तब तक समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण हैं जब तक वे अपनी राजस्व सृजन क्षमताओं को नहीं बढ़ा सकते।
- स्थानीय राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य जीएसटी के समानांतर संपत्ति कर संग्रह में सुधार किया जाना चाहिए।
- प्रदूषण नियंत्रण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल सुविधाओं के लिए पारदर्शी खातों और कुशल संसाधन आवंटन को बनाए रखने पर जोर दिया जाना चाहिए।

संवैधानिक नैतिकता

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति

संदर्भ

- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, CJI ने “संवैधानिक नैतिकता” के मुद्दे पर बात की, जो विविधता का सम्मान करने, समावेश को बढ़ावा देने और सहिष्णुता का पालन करने वाली स्थितियों का मार्ग प्रशस्त करती है।

संवैधानिक नैतिकता

- संवैधानिक नैतिकता में लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर संवैधानिक मानदंडों का पालन करना शामिल है।
- यह संवैधानिक न्यायनिर्णय में संप्रभुता, सामाजिक न्याय और समानता जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को शामिल करने के लिए शाब्दिक व्याख्या से परे है।
- इस शब्द को पहली बार ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ब्रोटे ने अपने बारह-खंड के काम, ए हिस्ट्री ऑफ़ ग्रीस में गढ़ा था।
- संक्षेप में, संवैधानिक नैतिकता स्वतंत्रता और संयम के बीच संतुलन का प्रतीक है।
- यानी, नागरिक संवैधानिक अधिकारियों के अधीन रहते हैं और साथ ही, सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करने की स्वतंत्रता रखते हैं।

भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता

- यद्यपि संवैधानिक नैतिकता शब्द का भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह इसके कई खंडों में गहराई से समाहित है:
- प्रस्तावना: यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सहित हमारे लोकतंत्र को रेखांकित करने वाले सिद्धांतों को रेखांकित करती है।
- मौलिक अधिकार: यह राज्य शक्ति के मनमाने उपयोग के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। उल्लेखनीय रूप से, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत इन अधिकारों के प्रवर्तन की अनुमति देता है।
- निर्देशक सिद्धांत: वे राज्य को गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक दर्शन से आकर्षित होकर संविधान के निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
- मौलिक कर्तव्य: अपने अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों की राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियाँ भी होती हैं।
- जाँच और संतुलन: इसमें विधायी और कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा, कार्यकारी की विधायी निगरानी आदि शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

- 2015 के कृष्णमूर्ति मामले में, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है।
- भारत संघ बनाम दिल्ली सरकार के मामले में, यह फैसला सुनाया गया था कि उत्तम पदस्थ अधिकारियों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए और अधिकार के मनमाने इस्तेमाल को रोकने के लिए संविधान में उल्लिखित आदर्शों को बनाए रखना चाहिए।
- दिल्ली सरकार के मामले (2018) में, न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता की तुलना “दूसरे बुनियादी ढांचे के सिद्धांत” से की, जिसमें मनमाने अधिकार पर अंकुश लगाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया।
- इसी तरह, नवतेज सिंह चौहान और अन्य में बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 377 LGBTQI समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करती है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित व्यक्तिगत गरिमा के मौलिक मूल्यों का उल्लंघन करती है।
- न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की, जिसमें सत्ता के कार्यकारी दुरुपयोग की जाँच में न्यायालयों की भूमिका को रेखांकित किया गया।
- न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी मामले (2018) में, न्यायालय ने संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई को रद्द करके संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के अपने कर्तव्य को दोहराया।

चुनौतियाँ

- संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या पर बहसें हुई हैं, विशेष रूप से व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक हितों के बीच या विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बीच संघर्ष के संबंध में।
- उदाहरण के लिए, सकारात्मक कार्रवाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार जैसे मुद्दों ने संवैधानिक नैतिकता पर चर्चाओं को बढ़ावा दिया है।

निष्कर्ष

- संविधान की व्याख्या करने और उसके मूल्यों को बनाए रखने में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- न्यायालय अक्सर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले या लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाले कानूनों या कार्यों को रद्द करने के लिए संवैधानिक नैतिकता का आह्वान करते हैं।
- संवैधानिक नैतिकता स्थिर नहीं है, बल्कि बदलते सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय के साथ विकसित होती है।
- निष्कर्ष में, भारत में संवैधानिक नैतिकता शासन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी कार्य और निर्णय संविधान में निहित मूल मूल्यों का पालन करें।
- यह एक गतिशील अवधारणा है जो अधिकारों को जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करती है और न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की ओर प्रगति को सुविधाजनक बनाती है।

यू.पी. हाथरस भगदड़

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

समाचार में

- हाथरस में एक धार्मिक सभा में भगदड़ ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है।
- कालकाजी मंदिर के मंच के ढहने या 2022 में वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ जैसी कई घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं।

भगदड़ क्या है?

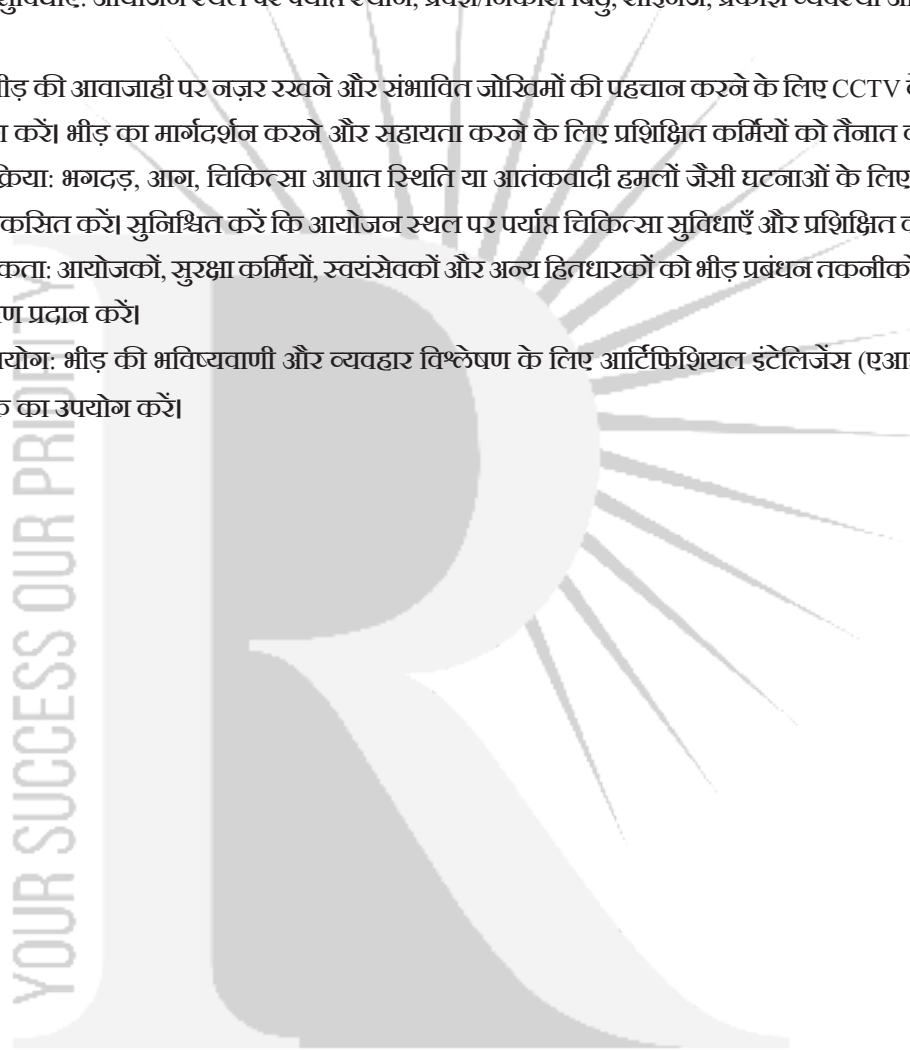
- भगदड़ को अक्सर भीड़ की व्यवस्थित आवाजाही में व्यवधान के रूप में वर्णित किया जाता है, जिससे चोट और मौतें होती हैं।
- इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे - खराब इवेंट मैनेजमेंट, लोगों की अधिक संख्या या अचानक भारी बारिश, बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ।

ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है?

- इवेंट की आवश्यकता, मौसम और इलाके के अनुसार उचित जोखिम विश्लेषण और क्षमता नियोजन किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा कोड और संचार का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए, जिसमें कई प्रवेश और निकास बिंदु, आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों, प्राथमिक चिकित्सा किट और एम्बुलेंस की उपलब्धता शामिल हो।

भीड़ प्रबंधन पर NDMA के दिशा-निर्देश

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कार्यक्रमों और सामूहिक समारोहों के आयोजनों में भीड़ आपदाओं के जोखिम को रोकने और कम करने के लिए भीड़ प्रबंधन पर दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।
- जोखिम मूल्यांकन और योजना: जोखिम मूल्यांकन के आधार पर एक व्यापक भीड़ प्रबंधन योजना विकसित करें, जिसमें भूमिका और जिम्मेदारियाँ, संचार प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाएँ बताई गई हों।
- बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ: आयोजन स्थल पर पर्याप्त स्थान, प्रवेश/निकास बिंदु, साइनेज, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित करें।
- भीड़ प्रवाह प्रबंधन: भीड़ की आवाजाही पर नज़र रखने और संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए CCTV कैमरे और ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करें। भीड़ का मार्गदर्शन करने और सहायता करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करें।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया: भगदड़, आग, चिकित्सा आपात स्थिति या आतंकवादी हमलों जैसी घटनाओं के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना विकसित करें। सुनिश्चित करें कि आयोजन स्थल पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हों।
- प्रशिक्षण और जागरूकता: आयोजकों, सुरक्षा कर्मियों, स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों को भीड़ प्रबंधन तकनीकों और आपातकालीन प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करें।
- प्रौद्योगिकियों का उपयोग: भीड़ की भविष्यवाणी और व्यवहार विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा एनालिसिस्ट्स जैसी तकनीक का उपयोग करें।



RAO'S ACADEMY

कल्लवकडल घटना

पाठ्यक्रम: GS1/ भूगोल

संदर्भ

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने चेतावनी जारी की है, क्योंकि केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में 'कल्लवकडल' घटना होने की संभावना है।

कल्लवकडल घटना

- कल्लवकडल एक शब्द है जिसका उपयोग लहरों के कारण होने वाली बाढ़ की घटनाओं के लिए किया जाता है।
- यूनेस्को ने 2012 में वैज्ञानिक उपयोग के लिए औपचारिक रूप से "कल्लवकडल" शब्द को स्वीकार किया।

उठाल वाली लहरें

- वे ऊंची समुद्री लहरें हैं जो समुद्र में उठने वाली लहरों से बनती हैं। समुद्री लहरें स्थानीय हवाओं के कारण नहीं बल्कि तूफान जैसे दूर के तूफानों के कारण होती हैं।
- ऐसे तूफानों के दौरान, हवा से पानी में बहुत अधिक ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जिससे बहुत ऊंची लहरें बनती हैं।
- ऐसी लहरें तूफान के केंद्र से हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं।

पेंगोंग झील

पाठ्यक्रम: GS1/ भूगोल

समाचार में

- उपग्रह चित्रों में पाया गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के आसपास के क्षेत्र में भूमिगत बंकरों का निर्माण किया है।

पेंगोंग झील के बारे में

- पेंगोंग त्सो हिमालय में स्थित एक उत्त्व-ऊंचाई वाली, अंतर्देशीय (भूमि से घिरी) झील है, जो विवादित भारत-चीन सीमा पर फैली हुई है।
- 4,225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, और मुख्य रूप से खारा।
- झील का पानी सूरज की रोशनी और अन्य कारकों के आधार पर अलग-अलग समय पर रंग बदलता है, नीला, हरा या लाल भी दिखाई देता है।
- पेंगोंग त्सो कई प्रवासी प्रजातियों सहित कई प्रकार के पक्षियों के लिए एक आवश्यक प्रजनन स्थल है।
- खानाबदोश जनजातियों का घर, पेंगोंग त्सो सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, जो स्थानीय लोककथाओं में शामिल है।

श्योक नदी

पाठ्यक्रम: जीएस 1/भूगोल

समाचार में

- पूर्वी लद्दाख में श्योक नदी में T-72 टैंक के बह जाने से पांच सैनिकों की मौत

श्योक नदी के बारे में

- श्योक नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है।
- नदी प्रणाली सियाचिन के रिमो ग्लेशियर से निकलती है और काराकोरम रेंज से होकर गिलगित-बाल्टिस्तान में प्रवेश करती है।
- नुबरा नदी श्योक नदी की एक सहायक नदी है।

क्या आप जानते हैं?

- श्योक, भारत के लद्दाख के नुबरा घाटी में श्योक नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गाँव है।
- यह 3,700 मीटर (12,100 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है और भारत-चीन सीमा के पास एक सैन्य अड्डे, दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) की सड़क के भारतीय हिस्से में आखिरी गाँव है।

तूफान बेरिल

पाठ्यक्रम: GS1/भूगोल

संदर्भ

- तूफान बेरिल ने बारबाडोस, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और ग्रेनेडा में बाढ़ ला दी है।

तूफान कैसे बनते हैं?

- गर्म समुद्री पानी और नम, नम हवा तूफान के लिए आवश्यक दो प्रमुख घटक हैं।
- गर्म समुद्री पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे वायुमंडल में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है।
- परिणामस्वरूप तूफान की हवाएँ तेज़ हो जाती हैं। इसके बिना, तूफान ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकते और अंततः मर जाएँगे।

चक्रवात, टाइफून और तूफान के बीच अंतर?

- इन बड़े तूफानों के नाम अलग-अलग हैं, जो इस बात पर आधारित हैं कि वे कहाँ और कैसे बने, हालाँकि सैद्धांतिक रूप से ये एक ही घटना हैं।
- तूफान: जब अटलांटिक महासागर या मध्य और पूर्वी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में विकसित होने वाले तूफान कम से कम 74 मील प्रति घंटे की हवा की गति प्राप्त करते हैं, तो उन्हें "तूफान" (119 किलोमीटर प्रति घंटे) कहा जाता है।
- पूर्वी एशिया में टाइफून उन भयंकर, घूमते हुए तूफानों को कहा जाता है जो उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर में विकसित होते हैं।
- चक्रवात: यह हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में विकसित होता है।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

RAO'S ACADEMY

जलवायु वित्त कार्य निधि

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

समाचार में

- अज़रबैजान, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दलों के 29वें सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए जलवायु वित्त कार्य निधि की घोषणा की।

जलवायु वित्त कार्य निधि के बारे में

- इस निधि को जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से वार्षिक योगदान प्राप्त होगा। आरंभिक निधि जुटाने का लक्ष्य \$1 बिलियन है।
- यह निधि विकासशील देशों में जलवायु परियोजनाओं को लक्षित करेगी, वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं की अगली पीढ़ी को पूरा करेगी, और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं के परिणामों को संबोधित करेगी।

मीथेन

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

संदर्भ में

- दुनिया के जंगलों में पेड़ों की छाल ब्रीनहाउस गैस मीथेन को अवशोषित करती है और इस खोज के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़े निहितार्थ हो सकते हैं।
- मीथेन वायुमंडल में CO की समतुल्य मात्रा की तुलना में बहुत अधिक गर्मी को फँसाती है। लेकिन जहाँ CO वायुमंडल में सैकड़ों वर्षों तक रह सकता है, वहीं मीथेन का जीवनकाल लगभग दस वर्षों का होता है।
- इस छोटे वायुमंडलीय जीवनकाल का अर्थ है कि मीथेन के स्रोतों में कोई भी परिवर्तन या ऐसी प्रक्रियाएँ जो वायुमंडल से मीथेन को हटाती हैं (जिन्हें मीथेन सिंक के रूप में जाना जाता है) का तेज़ प्रभाव हो सकता है।

मीथेन

- मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है।
- कृषि वैश्विक मानवजनित मीथेन (CH₄) उत्सर्जन का सबसे बड़ा एकल स्रोत है, जिसमें जुगाली करने वाले जानवर प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- इसने पूर्व-औद्योगिक समय से देखी गई जलवायु वार्मिंग में लगभग एक तिहाई योगदान दिया है।

दक्षिण अफ्रीका का जलवायु परिवर्तन विधेयक

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

- हाल ही में, जलवायु परिवर्तन विधेयक को दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इस विधेयक के बारे में

- यह विधेयक बड़े, जीवाश्म ईंधन वाले भारी उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन पर अनिवार्य अंकुश लगाएगा और कस्बों और गांवों से जलवायु-अनुकूलन योजनाओं की आवश्यकता होगी।
- यह दक्षिण अफ्रीका को पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कमी की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगा।

नए कानून की आवश्यकता

- दक्षिण अफ्रीका बिजली उत्पादन के लिए अपने प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में कोयले पर निर्भर है और दुनिया के शीर्ष 15 ब्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जकों में से एक है।
- ऊर्जा क्षेत्र सकल उत्सर्जन का लगभग 80% प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ऊर्जा उद्योग (~ 60%) और परिवहन (~ 12%) शामिल हैं।
- एक ऐसी अर्थव्यवस्था होने के नाते जो कृषि और पर्यटन पर निर्भर है, दक्षिण अफ्रीका को जीवाश्म ईंधन से दूर अपने संक्रमण को तेज करने के लिए बढ़ते पश्चिमी दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में परिदृश्य

- भारत में जलवायु परिवर्तन पर व्यापक कानून नहीं है। 2022 में जलवायु परिवर्तन विधेयक पर परिषद नामक एक निजी सदस्य का विधेयक पेश किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।
- हालांकि, जलवायु परिवर्तन कई अधिनियमों और अधीनस्थ विधानों में शामिल हैं।
- इनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम आदि शामिल हैं।
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नागरिकों को "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार" हैं।
- "संवैधानिक गारंटी के बावजूद जो नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देती है, न्यायालय के विचार में, अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से ऐसी चीज़ के रूप में जोड़ना आवश्यक था जो स्वतंत्रता, जीवन और समानता के इन अधिकारों को बाधित करती है।"
- भारत के प्रयास और प्रतिबद्धताएँ: भारत ने बताया है कि उसके ऊर्जा उत्सर्जन की तीव्रता 2005-2019 के बीच 33% कम हो गई है, जो लक्ष्य से 11 साल पहले है।
- इसने NDC के अद्यतन सेट में 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को संशोधित करके 45% करने की भी प्रतिबद्धता जताई।
- उत्सर्जन तीव्रता सकल घरेलू उत्पाद की प्रत्येक इकाई वृद्धि के लिए उत्सर्जित जीएचजी की कुल मात्रा को संदर्भित करती है। यह पूर्ण उत्सर्जन से अलग है।
- भारत ने 2030 में अपनी 50% बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन संसाधनों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पर चिंताएँ

पान्थक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

- आर्थिक सर्वेक्षण ने यूरोपीय संघ द्वारा आगामी कार्बन सीमा समायोजन कर (CBAT) पर चिंता जताई है।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)

- CBAM यूरोपीय संघ का उपकरण है जो यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाता है, और गैर-यूरोपीय संघ के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।
- CBAM यूरोपीय संघ के ग्रीन डील के तत्वों में से एक है, जिसका लक्ष्य 2030 तक GHG उत्सर्जन को 55% तक कम करना है।
- CBAM का उद्देश्य यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) के तहत संचालित यूरोपीय संघ के उत्पादों और आयातित वस्तुओं के लिए भुगतान किए गए कार्बन की कीमत को बराबर करना है।
- यह एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जहाँ एक यूरोपीय संघ निर्माता कार्बन-गहन उत्पादन को कम कठोर जलवायु नीतियों वाले क्षेत्र के बाहर के देशों में ले जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य 'कार्बन रिसाव' को रोकना है।

CBAM का कार्यान्वयन

- CBAM प्रणाली 1 जनवरी, 2026 को लागू होने की उम्मीद है।
- सीबीएम शुरू में सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम और बिजली के आयात पर लागू होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में कार्बन रिसाव और उच्च कार्बन उत्सर्जन का उच्च जोखिम है।
- EU आयातकों को कार्बन प्रमाणपत्र खरीदने होंगे, जो उस कार्बन मूल्य के अनुरूप होंगे जो EU में चुकाया जाता है, यदि माल स्थानीय रूप से उत्पादित किया गया होता।
- प्रमाणपत्रों की कीमत EU कार्बन क्रेडिट बाजार में नीलामी की कीमतों के अनुसार गणना की जाएगी।
- एक बार जब कोई गैर-EU उत्पादक यह दिखा सकता है कि उन्होंने आयातित माल के उत्पादन में उपयोग किए गए कार्बन के लिए पहले ही किसी तीसरे देश में कीमत चुका दी है, तो EU आयातक के लिए संबंधित लागत पूरी तरह से घटाई जा सकती है।
- CBAM इन पर लागू होगा: सिद्धांत रूप में, सभी गैर-EU देशों से माल का आयात CBAM द्वारा कवर किया जाएगा। कुछ तीसरे देश जो ETS में भाग लेते हैं या जिनके पास संघ से जुड़ी उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, उन्हें तंत्र से बाहर रखा जाएगा। यह यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र और स्विट्जरलैंड के सदस्यों के लिए मामला है।



भारत पर प्रभाव

- ग्लोबल ट्रेड रिसर्व इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार भारत उन शीर्ष आठ देशों में शामिल है, जिन पर CBAM का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- 2022 में, भारत के 8.2 बिलियन डॉलर मूल्य के लोहा, इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों के निर्यात का 27% हिस्सा EU को गया। अनुमान है कि इसके कुछ मुख्य क्षेत्र, जैसे कि इस्पात, CBAM से "बहुत प्रभावित" होंगे।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना एक "अभूतपूर्व चुनौती" है, क्योंकि भारत की जलवायु कार्यवाई को बड़े पैमाने पर घरेलू संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त का प्रवाह बहुत सीमित रहा है।

उपसंहार टिप्पणी

- यूरोप अपने कार्बन सीमा समायोजन कर को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही नियत समय में इसके अपने संस्करण लागू करने के विभिन्न चरणों में हैं।
- ये कर पेरिस समझौते की भावना के विपरीत हैं, जिसमें साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों को मान्यता दी गई है।
- भारत को न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटना है और ऊर्जा परिवर्तन करना है, बल्कि विकसित देशों के संरक्षणवाद से भी निपटना है।

जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण और संरक्षण

संदर्भ

- वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत 2024 के केंद्रीय बजट में जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण विकसित करना शामिल है।

जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण क्या है?

- जलवायु वित्त वर्गीकरण पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रभावशाली निवेश करने के बारे में कंपनियों और निवेशकों को सूचित करने के लिए मानकीकृत विनियमों और दिशानिर्देशों के एक सेट को संदर्भित करता है।
- यह एक ऐसी प्रणाली है जो वर्गीकृत करती है कि अर्थव्यवस्था के किन हिस्सों को संधारणीय निवेश के रूप में विपणन किया जा सकता है।
- यह निवेशकों और बैंकों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खरबों डॉलर को प्रभावशाली निवेश की ओर निर्देशित करने में मदद करता है।
- संधारणीय जलवायु वित्तपोषण के लिए वर्गीकरण में, सामान्य रूप से, आर्थिक क्षेत्रों और गतिविधियों की एक विस्तृत सूची और संबंधित मानदंड शामिल होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि यह बड़े जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित है या नहीं।
- सिस्टम वाले देश: दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा और मैक्सिको कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने टैक्सोनॉमी विकसित की है। यूरोपीय संघ ने भी ऐसा किया है।

भारत की ई-वाहन (ईवी) नीति

पाठ्यक्रम: जीएस 3/पर्यावरण

समाचार में

- सरकार अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का विस्तार करने की योजना बना रही है ताकि पूर्व निवेशकों के लिए पूर्वव्यापी लाभ शामिल किए जा सकें।
- पहले, प्रोत्साहन केवल स्वीकृति के तीन साल के भीतर स्थापित नई स्थानीय सुविधाओं के लिए उपलब्ध थे।

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बारे में

- इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) ने हाल के वर्षों में पारंपरिक गैसोलीन-संचालित कारों के लिए एक स्वच्छ और अधिक कुशल विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है।
- बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते नेटवर्क और बढ़ती उपभोक्ता मांग के साथ, ईवी दुनिया भर के कई ड्राइवर्स के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बन गए हैं।
- भारत में \$100 बिलियन से अधिक के ईवी अवसर का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण निवेशक समर्थन आवश्यक है।
- भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटर वाहन बाजार होने के नाते, आंतरिक दहन इंजन (ICE) से डीकार्बोनाइज्ड इलेक्ट्रिक सम-कक्षों में संभावित रूप से "वैश्विक संक्रमण का नेतृत्व" कर सकता है।

ई-वाहन नीति

- सरकार ने मार्च 2024 में भारत को ईवी के लिए विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने के लिए ई-वाहन नीति को मंजूरी दी।
- फोकस: नवीनतम तकनीक तक पहुंच बढ़ाना, ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
- भारतीय उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन लागत कम करने और ईवी अर्थशास्त्र में सुधार करने का लक्ष्य। □ पांच साल के भीतर घरेलू स्तर पर विनिर्माण में 50% मूल्य संवर्धन अनिवार्य किया गया।
- 35,000 डॉलर की लागत, बीमा और माल ढुलाई (CIF) मूल्य वाली पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (CBU) पर आयात शुल्क 70%-100% से घटाकर 15% किया गया।

चुनौतियाँ और मुद्दे

- भारत को कुछ घटकों में संरचनात्मक लागत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
- बिक्री के बाद की सेवा ईवी ग्राहकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, जो व्यवसाय मॉडल की मापनीयता को प्रभावित करती है।
- विदेशी निवेश हमेशा वांछित परिणाम नहीं दे सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर तुलना

- भारत की ईवी नीति ईवी विनिर्माण के लिए यू.एस., चीन और यूरोप में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अनुरूप है।
- यूरोप और यू.एस. में इलेक्ट्रिक कारें दहन इंजन वाहनों की तुलना में 10%-50% अधिक महंगी हैं।
- दोनों क्षेत्र अपनी ईवी बैटरी मांगों का 20%-30% आयात करते हैं, जो एकीकृत उत्पादन की आवश्यकता को उजागर करता है।

अन्य संबंधित कदम

- भारत सरकार ने 2030 तक देश के वाहन बेड़े के 30 प्रतिशत विद्युतीकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, और ईवी उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए कई प्रोत्साहन और नीतियां पेश की हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन ईंधन को अपनाने और बदलती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए वित्त वर्ष 24 के केंद्रीय बजट में उद्योग को एक बड़ा बढ़ावा दिया गया था।
- 2023-24 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2070 तक ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा की।
- सरकार ने पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को तेजी से अपनाने की योजना - II (FAME - II) और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) जैसी पहल शुरू कर दी है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार आने वाले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए तैयार है।
- सहायक सरकारी नीतियों, बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, देश परिवहन के अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल मोड की ओर संक्रमण के लिए अच्छी स्थिति में है।
- जैसे-जैसे ईवी की मांग बढ़ती है, यह स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कंपनियों के लिए भारत के ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में निवेश करने और योगदान करने का एक जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करता है।
- निवेशकों को प्रतिस्पर्धी लाभ, बाजार क्षमताओं, ग्राहक प्रतिक्रिया, प्रतिभा और आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों के आधार पर संभावित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना चाहिए।

- महत्वपूर्ण घटकों के लिए क्षमताएँ बनाने और विदेशी वाहन निर्माताओं को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू खिलाड़ियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए उनके महत्व को पहचानते हुए 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- नए पदनाम कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, गाम्बिया, इटली, मंगोलिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और स्पेन में हैं।
- इसके अतिरिक्त, और पहली बार, सूची में बेल्जियम और नीदरलैंड, और इटली और स्लोवेनिया में फैले दो ट्रांसबाउंड्री रिजर्व शामिल हैं।
- 11 नए नामित बायोस्फीयर रिजर्व हैं:
- केम्पेन-ब्रोक ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व (बेल्जियम, नीदरलैंड)
- डेरियन नॉर्टे चोकोआनो बायोस्फीयर रिजर्व (कोलंबिया)
- माद्रे डी लास अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व (डोमिनिकन गणराज्य)
- निउमी बायोस्फीयर रिजर्व (गाम्बिया)
- कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व (इटली)
- जूलियन आल्प्स ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व (इटली, स्लोवेनिया)
- खार उस झील बायोस्फीयर रिजर्व (मंगोलिया)
- अपायाओस बायोस्फीयर रिजर्व (फिलीपींस)
- चांगन्योंग बायोस्फीयर रिजर्व (दक्षिण कोरिया)
- वैल डी'अरन बायोस्फीयर रिजर्व (स्पेन)
- इराती बायोस्फीयर रिजर्व (स्पेन)।

बायोस्फीयर रिजर्व क्या हैं?

- बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा MAB अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद (MAB ICC) के निर्णयों के बाद अंतर-सरकारी MAB कार्यक्रम के तहत नामित किया जाता है। उनकी स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
- 1971 में शुरू किया गया मानव और बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पहल है जिसका उद्देश्य मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना है।
- वे तीन मुख्य कार्यों को एकीकृत करते हैं:
- जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण।
- आर्थिक विकास जो सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हो।
- अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विकास को रेखांकित करने वाला रसद समर्थन।

बायोस्फीयर रिजर्व के तीन मुख्य क्षेत्र:

- मुख्य क्षेत्र: इसमें एक सख्ती से संरक्षित क्षेत्र शामिल है जो परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण में योगदान देता है।
- बफर जोन: यह मुख्य क्षेत्र को घेरता है या उससे सटा हुआ है, और इसका उपयोग उन गतिविधियों के लिए किया जाता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण और शिक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं।
- संक्रमण क्षेत्र: यह वह स्थान है जहाँ समुदाय सामाजिक-सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से स्थायी आर्थिक और मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
- भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को इस कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है, जिसमें नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व पहला है।

बायोस्फीयर रिजर्व का महत्व

- बायोस्फीयर रिजर्व एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भूमिका निभाते हैं, अनुसंधान और निगरानी के लिए एक साइट के रूप में कार्य करते हैं, मूल्यवान डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो पर्यावरण प्रबंधन और नीति निर्णयों को सूचित कर सकते हैं।
- इसके अलावा, वे वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं जैसे कि कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित लक्ष्य, जो 2030 तक पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों की रक्षा और पुनर्स्थापना पर आधारित हैं।
- वे अद्वितीय स्थानीय सतत विकास विचारों को भी बढ़ावा देते हैं, जैव विविधता की रक्षा करते हैं और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करते हैं।

मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कारगर साबित हुआ

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- यू.के. में रहने वाले किशोर ओरान नोल्सन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, जिन्हें मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करने में मदद के लिए ब्रेन इम्प्लांट लगाया गया है।

डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन (DBS)

- डिवाइस DBS का उपयोग करती है, जिसका उपयोग पार्किंसंस और अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से जुड़े मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए भी किया जाता है।
- डिवाइस, जो मस्तिष्क में गहराई तक विद्युत संकेत भेजती है, ने नोल्सन के दिन के समय होने वाले दौरों को 80% तक कम कर दिया है।

डिवाइस कैसे काम करती है?

- न्यूरोस्टिम्युलेटर असामान्य दौर पैदा करने वाले संकेतों को बाधित या अवरुद्ध करने के लिए मस्तिष्क को लगातार विद्युत आवेग प्रदान करता है।
- डिवाइस को सर्जरी के ज़रिए नोल्सन की खोपड़ी में प्रत्यारोपित किया गया और स्कू का उपयोग करके लॉगर डाला गया।
- डिवाइस को नोल्सन की सर्जरी से ठीक होने के बाद चालू किया गया। इसे वायरलेस हेडफोन द्वारा रिचार्ज किया जा सकता है।

मिर्गी क्या है?

- मिर्गी, एक ऐसी स्थिति है जो बार-बार दौरों की ओर ले जाती है, जिसमें व्यक्ति को हाथ और पैर में झटके, अस्थायी भ्रम, घूरने के दौरों या मांसपेशियों में अकड़न का अनुभव होता है।
- यह मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होता है।
- कारण: लगभग 50% मामलों में इस बीमारी का कोई पहचान योग्य कारण नहीं होता है। हालाँकि, सिर में चोट, मस्तिष्क में ट्यूमर, मेनिन्जाइटिस जैसे कुछ संक्रमण या यहाँ तक कि आनुवंशिकी भी मिर्गी का कारण बन सकती है।
- प्रभाव: इससे दुर्घटना, डूबने और गिरने का जोखिम बढ़ सकता है।

व्यापकता

- दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को मिर्गी है और मिर्गी से पीड़ित लगभग 80% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
- लैंसेट अध्ययन, 2022 के अनुसार, भारत में, प्रति 1,000 लोगों में से 3 से 11.9 लोग मिर्गी से पीड़ित हैं।

WHO की प्रतिक्रिया

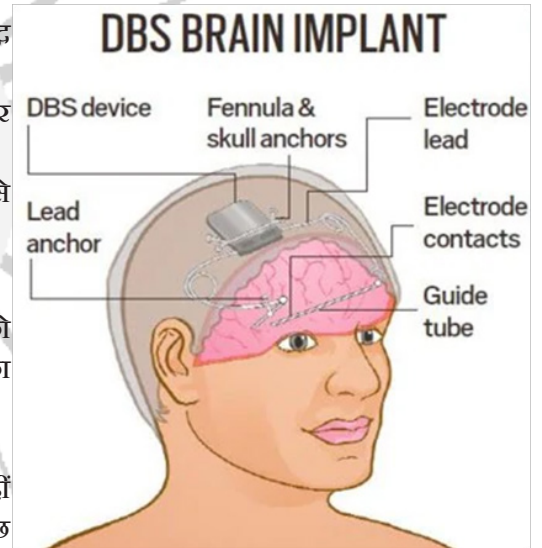
- डब्ल्यूएचओ द्वारा 2019 में तैयार की गई मिर्गी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट, मिर्गी: एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनिवार्यता, ने मिर्गी के बोझ और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर उपलब्ध साक्ष्य पर प्रकाश डाला।
- 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने मिर्गी और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों पर 2022-2031 के लिए अंतराष्ट्रीय वैश्विक कार्य योजना को अपनाया, जो मिर्गी और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों के बीच साझा निवारक, औषधीय और मनोसामाजिक दृष्टिकोण को मान्यता देता है।

नोवा प्रयोग

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- नए NOVA डेटा ने उप-परमाणु कण के द्रव्यमान यानी न्यूट्रिनो के रहस्य को और गहरा कर दिया है।
- नोवा 'न्यूमी ऑफ-एक्सिस e अपीयरेंस' का संक्षिप्त नाम है, यह न्यूट्रिनो की एक किरण बनाता है जो 14,000 टन के डिटेक्टर की ओर उड़ती है।



- NOVA को ब्रह्मांड के विकास में न्यूट्रिनो की भूमिका निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- यह यह समझने की कोशिश करके ऐसा करता है कि किस न्यूट्रिनो प्रकार का द्रव्यमान सबसे अधिक है और किस प्रकार का सबसे कम।
- इन न्यूट्रिनो का अध्ययन करने से पता चल सकता है कि विस्फोट से निकलने वाली प्रकाश या रेडियो तरंगें एक निश्चित दूरी तय करने के बाद कैसे फैलती हैं।

न्यूट्रिनो

- न्यूट्रिनो एक प्रकार के उपपरमाण्विक कण हैं।
- उनमें विद्युत आवेश नहीं होता, उनका द्रव्यमान कम होता है और वे बाएं हाथ के होते हैं (भौतिकी शब्द जिसका अर्थ है कि उनके घूमने की दिशा उनकी गति की दिशा के विपरीत होती है)।
- वे फोटॉन (प्रकाश के कण) के बाद दूसरे सबसे प्रचुर कण हैं और पदार्थ बनाने वाले कणों में सबसे प्रचुर हैं।
- ये कण तब बनते हैं जब लेप्टॉन नामक कण पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करते हैं।
- हालाँकि, न्यूट्रिनो स्वयं पदार्थ के साथ बहुत ही कम परस्पर क्रिया करते हैं और संगत म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन या टाउऑन बनाते हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए बजट आवंटन

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि

संदर्भ

- वित्त मंत्रालय ने 2024-25 के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 365.64 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

प्राकृतिक खेती क्या है?

- इस खेती के दृष्टिकोण को जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबू फुकुओका ने अपनी 1975 की पुस्तक द वन-स्ट्रॉ रिवोल्यूशन में पेश किया था।
- प्राकृतिक खेती एक टिकाऊ कृषि पद्धति है जो देशी गायों और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हुए रसायन मुक्त खेती पर जोर देती है।
- यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से बचता है, पारंपरिक तरीकों को बढ़ावा देता है जो किसानों को बाहरी इनपुट की आवश्यकता से मुक्त करता है। यह दृष्टिकोण इस पर केंद्रित है:
- बायोमास मल्लिचंग: नमी बनाए रखने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और खरपतवारों को दबाने के लिए मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों से ढंकना।
- देशी गाय के गोबर-मूत्र से बने फॉर्मूलेशन: मिट्टी को उपजाऊ बनाने और कीटों को नियंत्रित करने के लिए देशी गायों के गोबर और मूत्र से बने फॉर्मूलेशन का उपयोग करना।
- प्राकृतिक पोषक चक्रण: मिट्टी के भीतर पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बढ़ाना।

प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन

- सरकार ने 2023-24 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) को बढ़ाकर एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) तैयार किया है।
- किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुँच बढ़ाने के लिए, देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।
- कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

प्राकृतिक खेती की चुनौतियाँ

- पैदावार में गिरावट: भारत के पहले जैविक राज्य सिक्किम में कुछ वर्षों के बाद पैदावार में गिरावट देखी जाने लगी है।
- नीति निर्माताओं में दृढ़ विश्वास: अभी तक, नीति निर्माताओं को देश की खाद्य सुरक्षा के लिए डर है और वे कृषि क्षेत्र में किसी भी बड़े बदलाव के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं।
- रासायनिक इनपुट-आधारित उद्योग द्वारा प्रतिरोध: रासायनिक-आधारित खेती को बहु-मिलियन डॉलर के कृषि-रासायनिक उद्योग के रूप में मजबूत समर्थन प्राप्त है, जिसने कृषि में रसायनों के उपयोग को बनाए रखने के लिए जी-जान से संघर्ष किया है।
- ज्ञान और प्रशिक्षण: प्राकृतिक खेती तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किसानों को विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल चक्रण, साथी रोपण और प्राकृतिक कीट प्रबंधन रणनीतियों को समझना शामिल है।
- आर्थिक व्यवहार्यता: प्राकृतिक खेती की आर्थिक व्यवहार्यता अनिश्चित हो सकती है। उच्च श्रम लागत, कम पैदावार और फसल विफलताओं की संभावना लाभप्रदता को प्रभावित करती है।

आगे की राह

- अब समय आ गया है कि भारत प्राकृतिक खेती के रास्ते पर आगे बढ़े और उभरते वैश्विक अवसरों का पूरा लाभ उठाए।
- प्राकृतिक खेती से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता कम होगी और छोटे किसानों को ऋण के बोझ से मुक्ति मिलेगी।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)

- इसका मतलब है बिना किसी उर्वरक और कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी सामग्री का उपयोग किए फसल उगाना। शून्य बजट शब्द का अर्थ है सभी फसलों के उत्पादन की शून्य लागत।
- इस अवधारणा को 1990 के दशक के मध्य में हरित क्रांति के तरीकों के विकल्प के रूप में सुभाष पालेकर द्वारा बढ़ावा दिया गया था।
- ZBNF मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने, रसायन मुक्त कृषि सुनिश्चित करने और उत्पादन की कम लागत (शून्य लागत) सुनिश्चित करने और इस तरह किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है।

ZBNF के चार मुख्य तत्व और मॉडल:

1. बीजामृत: बीजों को देशी गाय की प्रजातियों के गोबर और गोमूत्र का उपयोग करके तैयार किए गए फॉर्मूलेशन से उपचारित किया जाता है।
2. जीवामृत/जीवामृत: यह गाय के गोबर, मूत्र, गुड़, दाल के आटे और बिना दूषित मिट्टी से प्राप्त एक किण्वित सूक्ष्मजीव संस्कृति है। जब इसे मिट्टी में लगाया जाता है, तो यह मिट्टी में सूक्ष्मजीवों और केंचुओं की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करने के अलावा, इसमें पोषक तत्व जोड़ता है।
3. अच्छादाना/मल्लिचंग: मल्लिचंग फसल के कचरे/जैविक कचरे या कवर फसलों के साथ ऊपरी मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया है।
4. वाफासा/नमी (मिट्टी का वातन): पौधों की वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी में अच्छे वातन की आवश्यकता होती है।

डार्क ऑक्सीजन

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र में "डार्क ऑक्सीजन" का उत्पादन किया जा रहा है।

के बारे में

- एक अध्ययन में पाया गया कि समुद्र की सतह से लगभग 4,000 मीटर नीचे पूर्ण अंधेरे में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के अनुसार, पृथ्वी की लगभग आधी ऑक्सीजन महासागर से आती है।

अंधेरे ऑक्सीजन का उत्पादन

- ऐसी गहराई पर ऑक्सीजन का उत्पादन असंभव माना जाता है क्योंकि पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश नहीं होता।
- अध्ययन बताता है कि इस मामले में ऑक्सीजन पौधों द्वारा उत्पादित नहीं होती है, बल्कि यह धातु के "नोड्यूल" से निकलती है जो कोयले के ढेर के समान होती हैं।
- वे H₂O अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर रहे हैं।

मंगल का चेयावा फॉल्स

पाठ्यक्रम: GS 3/अंतरिक्ष

के बारे में

- NASA के पर्सिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर चेयावा फॉल्स नामक एक चट्टान पाई

मंगल के चेयावा फॉल्स के बारे में

- चेयावा फॉल्स का माप 3.2 फीट गुणा 2 फीट (1 मीटर गुणा 0.6 मीटर) है।
- इसका नाम ब्रैंड कैन्थन में एक झरने के नाम पर रखा गया है।
- यह नैरेटा वैलिस के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो 400 मीटर चौड़ी एक प्राचीन नदी घाटी है, जो जेज़ेरो क्रेटर में प्राचीन जल प्रवाह द्वारा बनाई गई है।
- इसमें कार्बनिक पदार्थ और पिछले जल प्रवाह के साक्ष्य के संकेत दिखाई देते हैं।
- इसमें कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो जीवन के निर्माण खंड हैं, हालांकि ये गैर-जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से भी बन सकते हैं।
- इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की बड़ी सफेद नसें और हेमेटाइट की लाल धारियाँ हैं।
- "तैदुए के धब्बे" भी खोजे गए

क्या आप जानते हैं?

- पर्सिवरेंस मार्स रोवर नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। यह लाल ग्रह की रोबोटिक खोज का एक दीर्घकालिक प्रयास है। पर्सिवरेंस जेज़ेरो क्रेटर की जांच कर रहा है - मंगल का एक क्षेत्र जहां प्राचीन वातावरण सूक्ष्मजीव जीवन के लिए अनुकूल रहा होगा - पिछले जीवन के साक्ष्य के लिए मंगल ग्रह की चट्टानों की जांच कर रहा है।

G.M. सरसों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जी.एम.) सरसों की फसलों की पर्यावरणीय रिहाई के लिए सशर्त स्वीकृति देने के केंद्र के 2022 के फैसले की वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया।
- 2022 में, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय और देश में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का नियामक - ने पर्यावरणीय रिहाई की सिफारिश की।
- जी.एम. सरसों की एक किस्म, ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड D.M.H.-11 की पर्यावरणीय रिहाई को मंजूरी देते हुए एक बाद का निर्णय लिया गया।
- अपने हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से देश में अनुसंधान, खेती, व्यापार और वाणिज्य के लिए जीएम फसलों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने को कहा।
- अब यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाएगा।

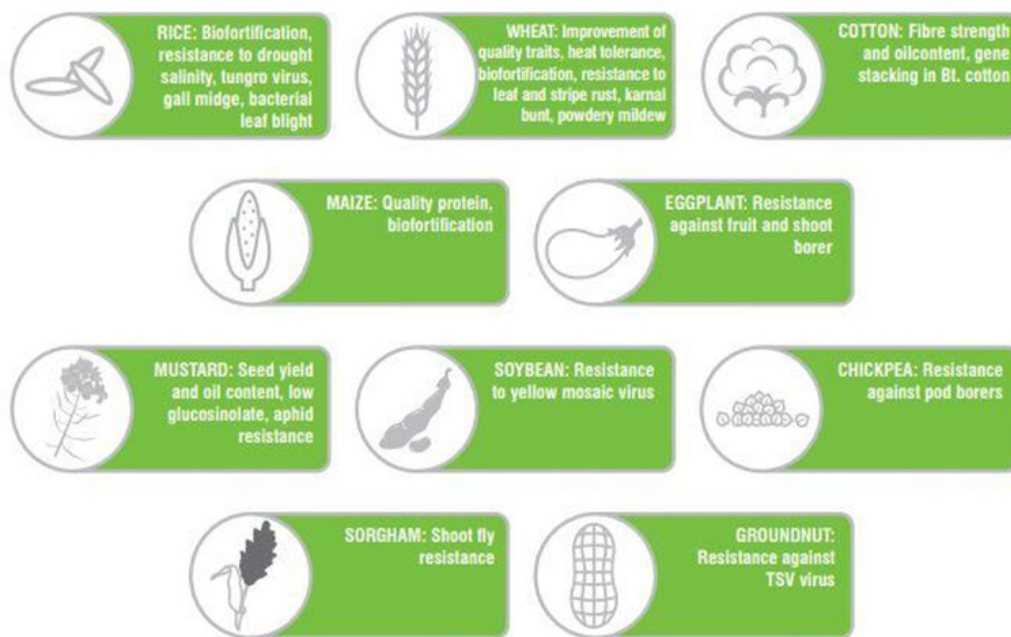
GM फसलें क्या हैं?

- जिन फसलों के डीएनए में बदलाव के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया अपनाई गई है, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें कहा जाता है।
- यह बदलाव कीटों या शाकनाशियों के प्रति प्रतिरोध, बेहतर पोषण सामग्री या बढ़ी हुई उपज जैसे वांछनीय लक्षणों को शामिल करने के लिए किया जाता है।
- जीएम फसलें बनाने की प्रक्रिया में आम तौर पर शामिल हैं: वांछित लक्षणों की पहचान, जीन का अलगाव, फसल जीनोम में प्रविष्टि और लक्षण की अभिव्यक्ति।
- जीएम फसलों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें हैं: जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रोइंजेक्शन, एग्रोबैक्टीरियम आदि।
- संशोधन के प्रकार हैं: ट्रांसजेनिक, सिस-जेनिक, सबजेनिक और मल्टीपल ट्रेट इंटीग्रेशन।
- जी.एम. फसलों में मुख्य लक्षण प्रकार हैं शाकनाशी सहिष्णुता (एच.टी.), कीट प्रतिरोध (आई.आर.), स्टैवड लक्षण आदि।

G.M. फसलों में भारतीय परिदृश्य

- बीटी कपास: 2002 में, जी.ई.ए.सी. ने बीटी कपास के वाणिज्यिक विमोचन की अनुमति दी थी।
- बीटी कपास में मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थुरिजिएंसिस (बी.टी.) के दो विदेशी जीन होते हैं जो फसल को आम कीट पिंग बॉलवर्म के लिए विषाक्त प्रोटीन विकसित करने की अनुमति देते हैं।
- यह एकमात्र जी.एम. फसल है जिसे भारत में अनुमति दी गई है।
- जी.एम. फसलों की कई किस्में विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जैसे बीटी बैंगन और डी.एम.एच.-11 सरसों।

GM crops R&D in India



भारत में विनियामक ढांचा

- आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC): यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.एंड.सी.सी.) के तहत, जी.एम. फसलों के वाणिज्यिक विमोचन से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है।
- भारत में जीएम फसलों को विनियमित करने वाले अधिनियम और नियम हैं:
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA)
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- पादप संगरोध आदेश, 2003
- विदेश व्यापार नीति के तहत जीएम नीति
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम (8वां संशोधन), 1988।

GM फसलों की आवश्यकता

- खाद्य सुरक्षा: आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें उपज में सुधार कर सकती हैं, कीटों, बाढ़, पाले, सूखे आदि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकती हैं।
- सतत खाद्य प्रणाली: कार्बन उत्सर्जन को कम करने और खाद्य उत्पादन की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए फसलों को भी संशोधित किया जा सकता है।
- उच्च उत्पादकता: जीएम फसलों के साथ कम क्षेत्र से और कम रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरक के साथ अधिक भोजन का उत्पादन करना संभव है।
- जीएम फसल उत्पादन गैर-जीएम फसल उत्पादन द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि का केवल लगभग 10% उपयोग करता है।
- पोषण सुरक्षा: आनुवंशिक संशोधन फसलों की पोषण सामग्री को बढ़ा सकते हैं।
- उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को पूरा करना: जीएम फसलों को उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसे कि लंबे समय तक चलने वाली फसलें, बेहतर स्वाद या विशिष्ट खाना पकाने के गुण।

GM फसलों के विरोध के कारण

- अनपेक्षित दुष्प्रभाव: जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव का अभी अध्ययन किया जाना बाकी है और इसलिए उन्हें व्यावसायिक रूप से जारी नहीं किया जाना चाहिए।
- आनुवंशिक संशोधन ऐसे परिवर्तन ला सकता है जो लंबे समय में मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
- जैव विविधता के लिए खतरा: कुछ फसलों को कीटों के खिलाफ अपने स्वयं के विषाक्त पदार्थ बनाने के लिए इंजीनियर किया गया है। यह गैर-लक्ष्य जैसे खेत जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है जो उन्हें खाते हैं।
- स्वास्थ्य जोखिम: जीएम फसलों को रोगाणुओं और कीटों को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स शामिल करने के लिए संशोधित किया जाता है। ये एंटीबायोटिक मार्कर उपभोग के बाद मानव शरीर में बने रहेंगे और वास्तविक एंटीबायोटिक दवाओं को समय के साथ कम प्रभावी बना देंगे, जिससे सुपरबग का खतरा पैदा होगा।
- स्वास्थ्य जोखिम: जीएम फसलों को रोगाणुओं और कीटों को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स शामिल करने के लिए संशोधित किया जाता है। ये एंटीबायोटिक मार्कर उपभोग के बाद मानव शरीर में बने रहेंगे और वास्तविक एंटीबायोटिक दवाओं को समय के साथ कम प्रभावी बना देंगे, जिससे सुपरबग का खतरा होगा।
- सामाजिक और आर्थिक मुद्दे: बहुराष्ट्रीय कृषि व्यवसाय कंपनियों द्वारा छोटे किसानों के हाथों से खेती को अपने हाथ में लेने की चिंताएँ हैं।
- जी.एम. बीज कंपनियों पर निर्भरता किसानों के लिए वित्तीय बोझ साबित हो सकती है।
- सार्वजनिक चिंता: आम तौर पर लोग जी.एम. फसलों से सावधान रहते हैं क्योंकि वे प्रयोगशाला में तैयार की जाती हैं और प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं।

आगे की राह

- डी.एम.एच.-11 का पर्यावरण में उत्सर्जन कृषि में आत्मनिर्भरता और स्थिरता के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इससे 2030 तक जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- सरकारों को G.M. फसलों द्वारा लाई गई समस्याओं का समाधान करना चाहिए, विशेष रूप से सुरक्षा परीक्षण, कानून, औद्योगिक रणनीति और खाद्य लेबलिंग के क्षेत्रों में।

एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी

पाठ्यक्रम: GS3/ S6T

खबरों में

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हुए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की।

एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन तकनीक के बारे में

- एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन तकनीक दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करती है, जिससे ऑक्सीडाइज़र ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- वायुमंडलीय चरण में ऑन-बोर्ड ऑक्सीडाइज़र की अनुपस्थिति रॉकेट के वजन को काफी कम कर देती है। उदाहरण के लिए, इसरो का सबसे बड़ा रॉकेट, LVM3, 555 टन प्रणोदक ले जाता है, जिसमें से 385 टन ऑक्सीडाइज़र है।
- इस तकनीक में अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाने की क्षमता है, क्योंकि यह वाहनों को ऑक्सीडाइज़र के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे संभावित रूप से प्रणोदन प्रणाली का कुल वजन कम हो सकता है और पेलोड क्षमता बढ़ सकती है।
- एयर-ब्रीदिंग इंजन के प्रकार: रैमजेट, स्क्रेमजेट और डुअल मोड रैमजेट (DMRJ)। रैमजेट सुपरसोनिक गति पर काम करते हैं, स्क्रेमजेट हाइपरसोनिक गति पर, और DMJR सबसोनिक और सुपरसोनिक दहन मोड के बीच संक्रमण कर सकते हैं।

टिनज़ापायिन

पाठ्यक्रम: जीएस 3/विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- शोधकर्ताओं ने पाया कि टिनज़ापायिन ने कोबरा के जहर के कारण मानव कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर दिया है।

टिनज़ापायिन के बारे में

- टिनज़ापायिन एक प्रकार की दवा है जिसे कम आणविक भार हेपेरिन (LMWH) के रूप में जाना जाता है।
- इसका उपयोग रक्त के थक्कों, विशेष रूप से डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) और पल्मोनरी एम्बोलिज्म (PE) को रोकने और उनका इलाज करने के लिए किया जाता है।
- यह रक्त में कुछ थक्के बनाने वाले कारकों को बाधित करके काम करता है, जिससे रक्त के थक्के बनने या बिगड़ने का जोखिम कम हो जाता है।

हाल ही में किए गए शोध

- टिनज़ापायिन कोशिका रिसेप्टर्स के साथ विष की बातचीत को रोकता है, जिससे नुकसान को रोका जा सकता है।
- यह हेपेरान सल्फेट की नकल करता है, जिसे विष लक्षित करता है, जिससे विषाक्तता कम हो जाती है।
- शोधकर्ता आशाजनक परिणामों के बाद मानव नैदानिक परीक्षणों की योजना बना रहे हैं।

महत्व

- अध्ययन के निष्कर्षों से सर्पदंश के उपचार में एक सफलता मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सर्पदंश की रुग्णता अधिक है।
- व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ती दवा, टिनज़ापायिन, सर्पदंश के उपचार में क्रांति ला सकती है।

क्या आप जानते हैं?

- तंजानिया का लाल थूकने वाला कोबरा (नाजा पल्लिडा) खतरे में पड़ने पर जहर छिड़कता है।
- विष मनुष्यों में कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
- विषैले सांपों के साथ मुठभेड़ में हर साल लगभग 1.4 लाख लोग मारे जाते हैं, खासकर अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में।
- सांप के जहर से पारंपरिक एंटीवेनम उत्पादन की सीमाएँ हैं।
- यह महंगा है, इसके दुष्प्रभाव हैं, और इसे सावधानीपूर्वक संभालने और भंडारण की आवश्यकता होती है।

क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी

पाठ्यक्रम: GS 3/विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी (IYQ) के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है।
- क्वांटम विज्ञान सबसे छोटे पैमाने पर कणों के अजीबोगरीब और विरोधाभासी व्यवहार का पता लगाता है।
- दुनिया भर में सरकारें और निजी क्षेत्र क्वांटम प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश कर रहे हैं।

अनुप्रयोग

- क्वांटम कंप्यूटिंग: क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स (क्यूबिट) का लाभ उठाते हैं, जो एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, जिससे क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में तेजी से गणना करना संभव हो जाता है।
- इसके अनुप्रयोग क्रिप्टोग्राफी और मैटेरियल साइंस से लेकर जटिल सिमुलेशन और ऑप्टिमाइज़ेशन समस्याओं तक फैले हुए हैं।

- वॉल्टम सेंसर: ये डिवाइस संवेदनशीलता और सटीकता के अभूतपूर्व स्तर को प्राप्त करने के लिए वॉल्टम सिद्धांतों का उपयोग करते हैं।
- वॉल्टम सेंसर: ये डिवाइस संवेदनशीलता और सटीकता के अभूतपूर्व स्तर को प्राप्त करने के लिए वॉल्टम सिद्धांतों का उपयोग करते हैं।
- वॉल्टम कंप्यूटिंग: वॉल्टम कंप्यूटर वॉल्टम बिट्स (व्यूबिट) का लाभ उठाते हैं, जो एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, जिससे क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में घातीय गति से गणना करना संभव हो जाता है।
- इसके अनुप्रयोग क्रिप्टोग्राफी और मेटेरियल साइंस से लेकर जटिल सिमुलेशन और अनुकूलन समस्याओं तक फैले हुए हैं।
- वॉल्टम सेंसर: ये डिवाइस संवेदनशीलता और सटीकता के अभूतपूर्व स्तर को प्राप्त करने के लिए वॉल्टम सिद्धांतों का उपयोग करते हैं।
- वॉल्टम सेंसर: ये डिवाइस संवेदनशीलता और सटीकता के अभूतपूर्व स्तर को प्राप्त करने के लिए वॉल्टम सिद्धांतों का उपयोग करते हैं।
- वॉल्टम कंप्यूटिंग: वॉल्टम कंप्यूटर वॉल्टम बिट्स (व्यूबिट) का लाभ उठाते हैं, जो एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, जिससे क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में घातीय गति से गणना करना संभव हो जाता है।
- इसके अनुप्रयोग क्रिप्टोग्राफी और मेटेरियल साइंस से लेकर जटिल सिमुलेशन और ऑप्टिमाइज़ेशन समस्याओं तक फैले हुए हैं।
- वॉल्टम सेंसर: ये डिवाइस संवेदनशीलता और सटीकता के अभूतपूर्व स्तर को प्राप्त करने के लिए वॉल्टम सिद्धांतों का उपयोग करते हैं।

वॉल्टम सेंसर

- वॉल्टम सेंसर स्वास्थ्य सेवा (सटीक चिकित्सा इमेजिंग के माध्यम से), पर्यावरण निगरानी (मिनट परिवर्तनों का पता लगाने के लिए) और नेविगेशन (अल्ट्रा-सटीक पोजिशनिंग सिस्टम के साथ) जैसे क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
- वॉल्टम संचार: वॉल्टम संचार डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करने के लिए वॉल्टम एलजाव का उपयोग करता है।

महत्व

- कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से द्वारा गणना किए गए एक अनुमान के अनुसार, चार क्षेत्रों - ऑटोमोटिव, रसायन, वित्तीय सेवाएँ और जीवन विज्ञान - को वॉल्टम एसएंडटी के कारण 2035 तक लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर का मूल्य प्राप्त होने की उम्मीद है।
- देशों द्वारा किए गए निवेशों में, चीन 2022 में 10 बिलियन डॉलर के साथ सबसे आगे है, उसके बाद यूरोपीय संघ और यू.एस.
- भारत का योगदान वर्तमान में 730 मिलियन डॉलर (6,100 करोड़ रुपये) है।
- वॉल्टम एसएंडटी का मूल्य विभिन्न क्षेत्रों में सूचना को संचारित करने और उसका उपयोग करने की क्षमताओं को बदलने में है।

चुनौतियाँ

- वॉल्टम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं, इसलिए चुनौतियाँ भी बहुत अधिक हैं।
- वॉल्टम प्रौद्योगिकियों की दोहरे उपयोग की प्रकृति जैसे मुद्दे, जो साइबर सुरक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं और संभावित रूप से कमज़ोर कर सकते हैं, सावधानीपूर्वक नैतिक और विनियामक ढाँचे की आवश्यकता है।
- वॉल्टम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जिम्मेदार नवाचार ढाँचों के प्रभाव पर केस स्टडी का अभाव।
- प्रतिभा और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच की कमी।

संबंधित पहल

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) वॉल्टम कंप्यूटिंग शासन पर चर्चा करने वाले पहले संगठनों में से एक था।
- यह पारदर्शिता, समावेशिता और जवाबदेही जैसे सिद्धांतों पर ज़ोर देता है।
- इसका उद्देश्य वॉल्टम कंप्यूटिंग में विश्वास का निर्माण करना, जोखिमों का प्रबंधन करना और जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय रणनीतियाँ, जैसे कि यू.एस. राष्ट्रीय वॉल्टम रणनीति, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने को प्राथमिकता देती हैं।
- शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित विभिन्न ढाँचे प्रत्याशा, प्रतिबिंब, विविधता और सार्वजनिक जुड़ाव जैसे जिम्मेदार अनुसंधान और नवाचार (RRI) मूल्यों पर ज़ोर देते हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भविष्य की ओर देखते हुए, वॉल्टम विज्ञान और प्रौद्योगिकी 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण क्रॉस-कटिंग वैज्ञानिक क्षेत्र होगा, जिसका जलवायु, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ जल सहित संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों द्वारा उजागर की गई महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा।
- जिम्मेदार वॉल्टम प्रौद्योगिकी विकास के बारे में हितधारकों (शोधकर्ताओं, सरकारों, निजी क्षेत्र) के बीच निरंतर विचार-विमर्श और सहभागिता।
- सरकार को प्रासंगिक वॉल्टम अनुसंधान एवं विकास तथा बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और प्रासंगिक सक्षम प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए।

पुनर्योजी ब्रेकिंग और वैकल्पिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति विधियाँ

पाठ्यक्रम: GS 3/विज्ञान और तकनीक/पर्यावरण

समाचार में

- हाल ही में, पुनर्योजी ब्रेकिंग और वैकल्पिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति विधियों के अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला गया है।

ब्रेकिंग क्या है?

- ब्रेकिंग वह तंत्र है जिसके द्वारा गति में एक मोटर वाहन धीमा हो जाता है।

- तेज़ गति से चलने वाले वाहन में धीमी गति से चलने वाले वाहन की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए ब्रेक लगाने की प्रक्रिया वाहन से (अधिकांशतः) गतिज ऊर्जा को हटा देती है।
- ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है कि इस हटाई गई ऊर्जा को कहीं जाना होगा।

पुनर्योजी ब्रेकिंग:

- पुनर्योजी ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक वाहनों में एक प्रणाली है जो ब्रेकिंग से गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसे बैटरी में संग्रहीत किया जाता है या तुरंत उपयोग किया जाता है।
- इसमें इलेक्ट्रिक मोटर एक जनरेटर के रूप में कार्य करती है जो गतिज ऊर्जा को वाहन की ऊर्जा प्रणाली में वापस ले जाती है।
- तंत्र: वाहन में इलेक्ट्रिक मोटर ब्रेक लगाने के दौरान अपनी भूमिका बदल देती है, पहियों से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है।
- इस ऊर्जा को या तो बाद में उपयोग के लिए संग्रहीत किया जाता है या वाहन के कर्षण प्रणाली में वापस भेज दिया जाता है।
- तुलना: पुनर्योजी ब्रेकिंग गतिशील ब्रेकिंग का हिस्सा है, जो रियोगेनेरेटिव ब्रेकिंग के विपरीत है, जहाँ अतिरिक्त ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है।

सीमाएँ:

- यह एक सरल ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तंत्र है, जिसके कुछ नुकसान हैं।
- यह अकेले वाहन को पूरी तरह से रोक नहीं सकता है और पारंपरिक ब्रेकिंग सिस्टम द्वारा पूरक है जो गतिज ऊर्जा के कुछ हिस्से को गर्मी के रूप में नष्ट कर देता है।
- कम गति पर दक्षता कम हो जाती है, और यह वाहनों को ढलान पर पीछे की ओर लुढ़कने से नहीं रोकता है।

समाधान

- पुनर्योजी ब्रेक का डिज़ाइन उस ऊर्जा रूप पर निर्भर करता है जिसमें पहियों से यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाना है।
- एक इलेक्ट्रिक वाहन इसे जनरेटर में प्रवाहित करता है और करंट प्राप्त करता है, जिसे बैटरी या सुपरकैपेसिटर में संग्रहीत किया जाता है।
- इसी तरह, यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग घूमते हुए प्लाइव्हील के कोणीय गति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
- प्लाइव्हील विशेष रूप से उपयोगी होते हैं क्योंकि वे अन्य ऐसी प्रणालियों की तुलना में बहुत तेज़ी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
- गति में प्रत्येक इकाई वृद्धि के लिए, वे घातीय रूप से अधिक ऊर्जा भी संग्रहीत करते हैं।
- प्लाइव्हील को इसके आउटपुट को प्रबंधित या बढ़ाने के लिए एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि फॉर्मूला वन रेसिंग में, या पनडुब्बियों और उपग्रहों को नेविगेट करने में मदद करने के लिए जाइरोस्कोप से जोड़ा जा सकता है।
- पुनर्प्राप्त गतिज ऊर्जा को एक पंप में भी डाला जा सकता है जो हवा को संपीड़ित करता है, जो आंतरिक दहन इंजन शुरू करने के लिए उपयोगी हो सकता है।

जंपिंग जीन और RNA ब्रिज

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- कार्नेगी इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ जीन जीनोम के भीतर घूमने में सक्षम थे। इन जीन को जंपिंग जीन या ट्रांसपोजन कहा जाता था।
- ट्रांसपोजन जीन के प्रभावों को प्रभावित करते हैं और जीनोम को पुनर्व्यवस्थित करने और परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें विकास के उपकरण कहा जाता है।
- मानव जीनोम का 45% से अधिक हिस्सा ट्रांसपोजेबल तत्वों से बना है।
- वे जीन में उत्परिवर्तन पैदा करते हैं और बीमारियों को जन्म देते हैं।
- हालाँकि, अधिकांश ट्रांसपोजन ने खुद उत्परिवर्तन विरासत में प्राप्त किए हैं और निष्क्रिय हो गए हैं, और इस तरह वे जीनोम के भीतर घूम नहीं सकते हैं।

जंपिंग जीन (ट्रांसपोजन)

- जंपिंग जीन का नाम IS110 है, जिसका अर्थ है इंसर्शन सीक्वेंस, और ऐसे अनुक्रम जीवन-रूपों की एक सरणी में पाए जाते हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया, पौधे, कीड़े, फल मक्खियाँ, मच्छर, चूहे और मनुष्य शामिल हैं।
- वे शरीर के चारों ओर घूमते हैं, खुद को काटते और चिपकाते हैं, डीएनए की मरम्मत करते हैं और इसे प्रतिदिन संशोधित करते हैं।

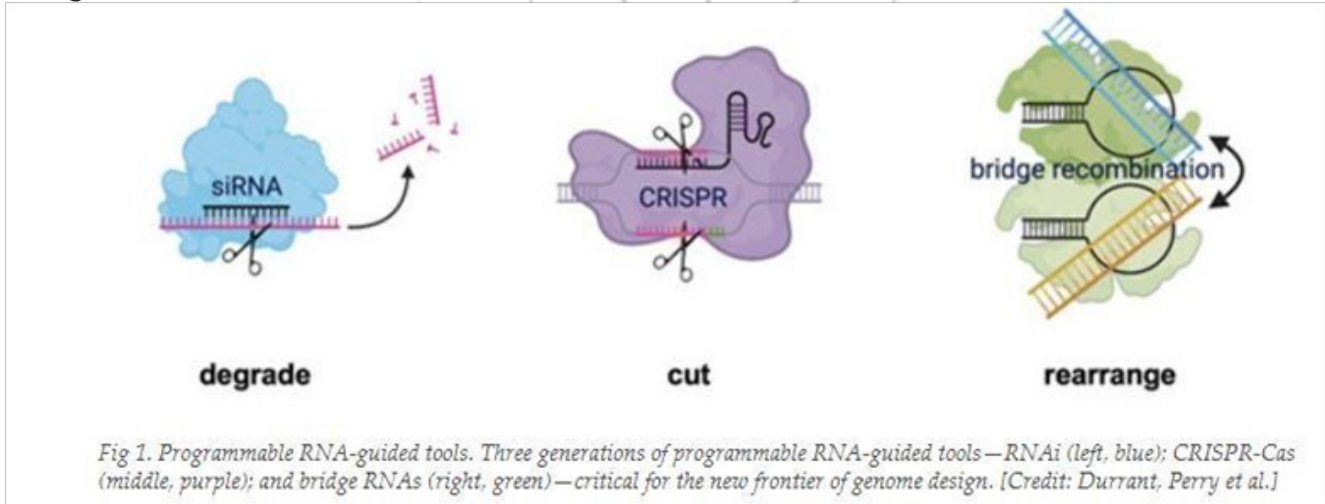
ब्रिज RNA क्या है?

- ब्रिज आरएनए एक प्रकार के आरएनए (रिबोन्यूक्लिक एसिड) अणु को संदर्भित करता है जो कुछ जीवों में डीएनए पुनर्व्यवस्था की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- ब्रिज आरएनए डीएनए पुनर्व्यवस्था की इस जटिल प्रक्रिया के दौरान विभिन्न डीएनए खंडों के बीच आणविक पुलों के रूप में कार्य करते हैं।

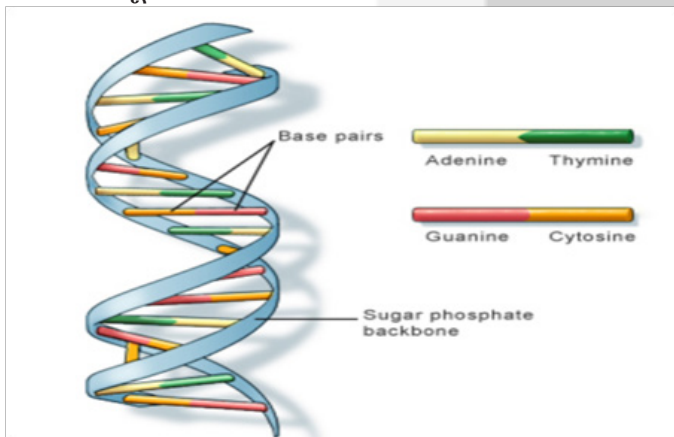
जंपिंग जीन का महत्व

- IS110 ब्रिज पुनर्संयोजन प्रणाली CRISPR और RNA हस्तक्षेप से परे न्यूक्लिक-एसिड-निर्देशित प्रणालियों की विविधता का विस्तार करती है।
- यह जीनोम डिज़ाइन के लिए आवश्यक तीन मौलिक डीएनए पुनर्व्यवस्था - सम्मिलन, निष्कासन और व्युत्क्रमण - के लिए एक एकीकृत तंत्र प्रदान करता है।
- डीएनए सम्मिलन एक आनुवंशिक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के एक खंड को एक अलग डीएनए खंड में जोड़ा जाता है,
- निष्कासन एक तंत्र है जिसमें क्षतिग्रस्त डीएनए खंड को हटा दिया जाता है,
- व्युत्क्रमण एक ऐसी विधि है जिसमें गुणसूत्र में डीएनए का एक टुकड़ा उलट जाता है।
- ब्रिज आरएनए के साथ, शोधकर्ता DNA के लक्ष्य और दाता अनुक्रम दोनों को प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी दो को मिला सकें और मैच कर सकें, जबकि CRISPR-Cas9 सिस्टम में गाइड आरएनए केवल काटे जाने वाले लक्ष्य डीएनए अनुक्रम को निर्दिष्ट कर सकता है, न कि जोड़े जाने वाले को।



DNA (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) क्या है?

- डीएनए, मनुष्यों में वंशानुगत पदार्थ है। यह चार बिल्डिंग ब्लॉक या बेस से बना होता है।
- इन्हें एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन कहा जाता है - जिन्हें आमतौर पर ए, सी, जी और टी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है।
- एक डीएनए अणु आधारों के दो लंबे धागों से बना होता है जो एक दूसरे के चारों ओर सर्पिल आकार में घूमते हैं।
- a. इसे डबल हेलिक्स कहा जाता है और यह मुड़ी हुई सीढ़ी जैसा दिखता है।
- डीएनए अणु के एक स्ट्रैंड पर स्थित बेस विपरीत स्ट्रैंड पर स्थित बेस के साथ मिलकर बेस पेयर के रूप में एक साथ आते हैं।
- a. बेस पेयर पूरक होते हैं और हमेशा एक ही तरह से जोड़े जाते हैं: A, T के साथ और C, G के साथ।



मिर्गी के दौर को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट काम करता है

पान्थकम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

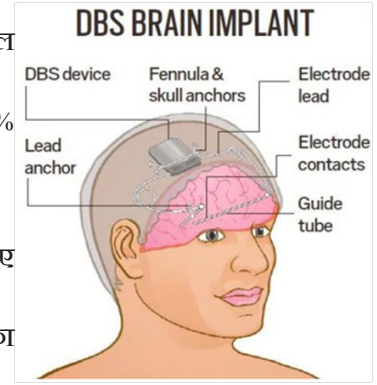
- यू.के. में रहने वाले एक किशोर, ओरान नोल्सन, दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, जिन्हें मिर्गी के दौर को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए ब्रेन इम्प्लांट लगाया गया है।

डीप ब्रेन स्टिम्यूलेशन (DBS)

- डिवाइस DBS का उपयोग करता है, जिसका उपयोग पार्किंसंस और अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से जुड़े मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए भी किया जाता है।
- डिवाइस, जो मस्तिष्क में गहराई तक विद्युत संकेत भेजती है, ने नोल्सन के दिन के दौर को 80% तक कम कर दिया है।

डिवाइस कैसे काम करता है?

- न्यूरोस्टिम्यूलैटर असामान्य दौर पैदा करने वाले संकेतों को बाधित या अवरुद्ध करने के लिए मस्तिष्क को लगातार विद्युत आवेग प्रदान करता है।
- डिवाइस को शल्य चिकित्सा द्वारा नोल्सन की खोपड़ी में प्रत्यारोपित किया गया था और स्कू का उपयोग करके तंगर डाला गया था।
- नोल्सन के सर्जरी से ठीक होने के बाद डिवाइस को चालू किया गया था। इसे वायरलेस हेडफोन द्वारा रिचार्ज किया जा सकता है।



मिर्गी क्या है?

- मिर्गी, एक ऐसी स्थिति है जो बार-बार दौर की ओर ले जाती है, जिसमें व्यक्ति को हाथ और पैर में झटके, अस्थायी भ्रम, घूर्णन के दौर या मांसपेशियों में अकड़न का अनुभव होता है।
- यह मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होता है।
- कारण: लगभग 50% मामलों में इस बीमारी का कोई पहचान योग्य कारण नहीं होता है। हालाँकि, सिर में चोट, मस्तिष्क में ट्यूमर, मेनिन्जाइटिस जैसे कुछ संक्रमण या यहाँ तक कि आनुवंशिकी भी मिर्गी का कारण बन सकती है।
- प्रभाव: यह दुर्घटनाओं, डूबने और गिरने के जोखिम को बढ़ा सकता है।

व्यापकता

- दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को मिर्गी है और मिर्गी से पीड़ित लगभग 80% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
- लैंसेट अध्ययन, 2022 के अनुसार, भारत में, प्रति 1,000 लोगों में से 3 से 11.9 लोग मिर्गी से पीड़ित हैं।

WHO प्रतिक्रिया

- डब्ल्यूएचओ द्वारा 2019 में तैयार की गई मिर्गी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट, मिर्गी: एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनिवार्यता, ने मिर्गी के बोझ और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर उपलब्ध साक्ष्य पर प्रकाश डाला।
- 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने मिर्गी और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों पर अंतराष्ट्रीय वैश्विक कार्य योजना 2022-2031 को अपनाया, जो मिर्गी और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों के बीच साझा निवारक, औषधीय और मनोसामाजिक दृष्टिकोण को मान्यता देती है।

लाई-फाई तकनीक

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) पहल के तहत भारतीय नौसेना की संचार चुनौतियों का समाधान करने के लिए लाई-फाई तकनीक को मंजूरी दी।

लाइट फिडेलिटी (लाई-फाई) तकनीक के बारे में

- यह एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है।
- पारंपरिक रेडियो आवृत्ति-आधारित वाई-फाई के विपरीत, जो रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है, लाई-फाई उच्च गति, सुरक्षित और ऊर्जा-कुशल संचार चैनल बनाने के लिए लाइट-एमिटिंग डायोड (एलईडी) का लाभ उठाता है।

कार्य

- डेटा ट्रांसमीटर के रूप में एलईडी: लाई-फाई डेटा संचारित करने के लिए एलईडी (जैसे कि प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किए जाने वाले) का उपयोग करता है। इन एलईडी को सूचना को एनकोड करने के लिए उच्च गति पर मॉड्यूलेट किया जा सकता है।
- जब एक एलईडी पर विद्युत संकेत लगाया जाता है, तो यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रकाश की तीव्रता को तेजी से बदलकर, डेटा संचारित किया जा सकता है।
- रिसीवर के रूप में फोटोडिटेक्टर: फोटोडिटेक्टर से लैंस डिवाइस (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप या IoT डिवाइस) मॉड्यूलेटेड लाइट सिग्नल प्राप्त करते हैं।
- फोटोडिटेक्टर प्राप्त प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें फिर डेटा के रूप में संसाधित किया जाता है।

लाभ

- उच्च गति: Li-Fi कई गीगाबिट प्रति सेकंड (Gbps) की डेटा दर प्राप्त कर सकता है, जो पारंपरिक वाई-फाई से बेहतर है।

- सुरक्षा: चूँकि Li-Fi दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के भीतर काम करता है, इसलिए यह दीवारों में प्रवेश नहीं करता है, जिससे यह स्वाभाविक रूप से छिपकर सुनने से सुरक्षित हो जाता है।
- कोई हस्तक्षेप नहीं: Li-Fi वाई-फाई या सेलुलर नेटवर्क द्वारा उपयोग की जाने वाली रेडियो आवृत्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है।
- ऊर्जा दक्षता: एलईडी ऊर्जा-कुशल हैं, जो समग्र ऊर्जा बचत में योगदान करते हैं।

चुनौतियाँ और विचार

- दृष्टि की रेखा: Li-Fi को ट्रांसमीटर (LED) और रिसीवर (फोटोडिटेक्टर) के बीच सीधी दृष्टि की आवश्यकता होती है।
- इनडोर उपयोग: Li-Fi इनडोर वातावरण, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल और स्मार्ट घरों के लिए आदर्श है।
- एकीकरण: मौजूदा बुनियादी ढांचे और उपकरणों के साथ Li-Fi को एकीकृत करना एक चुनौती बनी हुई है।

अनुप्रयोग

- इंटरनेट कनेक्टिविटी और इनडोर संचार: Li-Fi कार्यालयों, घरों और सार्वजनिक स्थानों में हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर सकता है।
- सुरक्षित वातावरण: सैन्य ठिकानों, अस्पतालों और डेटा केंद्रों को Li-Fi की सुरक्षा सुविधाओं से लाभ मिलता है।
- पानी के नीचे संचार: Li-Fi का उपयोग पानी के नीचे संचार के लिए किया जा सकता है, जहाँ RF सिग्नल अप्रभावी होते हैं।



6

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

नाइन डैश लाइन

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- नाइन-डैश लाइन के ज़रिए लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा इस क्षेत्र के अन्य द्वीप देशों के साथ संघर्ष का स्रोत रहा है।

नाइन डैश लाइन

- नाइन-डैश लाइन दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा दावा की गई एक विवादित सीमा है। यह रेखा नौ डैश से बनी है, जिसे पहली बार 1947 के चीनी मानचित्र पर खींचा गया था।
- यह रेखा चीन के ऐतिहासिक समुद्री दावों से मेल खाती है, लेकिन इसकी सटीक परिभाषा और सीमा स्पष्ट नहीं है।
- यह रेखा फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान सहित कई देशों से घिरी हुई है, जो चीन के दावों को खारिज करते हैं और विवादित जल पर अपने क्षेत्रीय अधिकारों का दावा करते हैं।
- यह रेखा क्षेत्र में तनाव और संघर्ष का एक प्रमुख स्रोत रही है।

बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय निकाय

संदर्भ

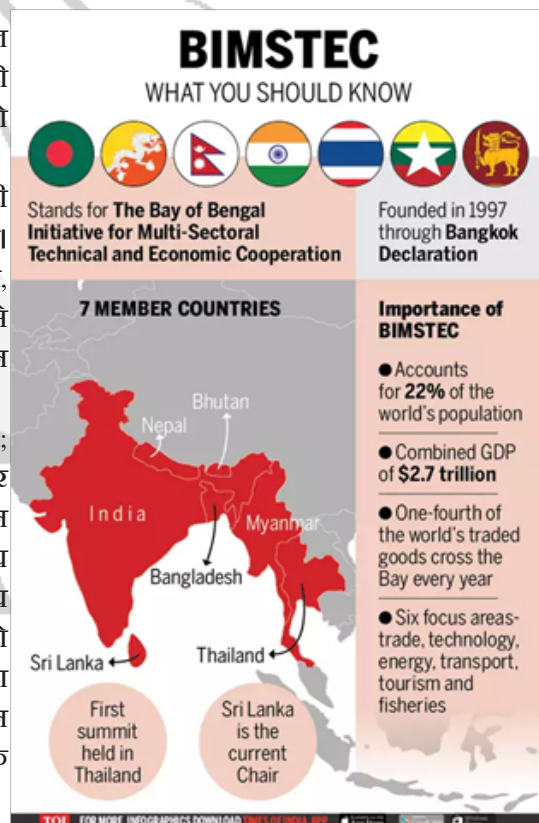
- हाल ही में, भारत ने नई दिल्ली में आयोजित पहली बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट की मेजबानी की, जो पड़ोसी म्यांमार में हो रहे प्रमुख घटनाक्रमों को देखते हुए विशेष महत्व रखती है।

बिम्सटेक के बारे में

- बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में तटीय और आसन्न देशों के बीच साझा विकास और सहयोग को गति देने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा को अपनाने के साथ बीआईएसटी-ईसी के रूप में की गई थी, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड सदस्य थे।
- 1997 के अंत में म्यांमार के प्रवेश के साथ यह BIMST-EC (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) बन गया और अंततः, इसे अपने वर्तमान स्वरूप में नामित किया गया, जब 2004 में नेपाल और भूटान इसके सदस्य बन गए।
- यह व्यापार और निवेश (वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को सुविधाजनक बनाना); परिवहन और संचार (सीमाओं के पार संपर्क बढ़ाना); ऊर्जा (ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता पर सहयोग करना); पर्यटन (सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देना); प्रौद्योगिकी (ज्ञान और नवाचार को साझा करना); मत्स्य पालन और कृषि (खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना); सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वास्थ्य चुनौतियों का एक साथ समाधान करना); गरीबी उन्मूलन (समुदायों को गरीबी से बाहर निकालना); आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला (सुरक्षा को मजबूत करना); पर्यावरण और आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन (हमारे ग्रह की रक्षा करना); लोगों से लोगों के बीच संपर्क; और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित है।

बिम्सटेक की क्षेत्रीय चुनौतियाँ

- भारत ने इस बात पर जोर दिया कि सात सदस्यीय बिम्सटेक को संगठन के भीतर से ही क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान तलाशना चाहिए, और इस बात पर प्रकाश डाला कि बिम्सटेक के पूरक और अनुकूल सदस्यों को उत्त्व लक्ष्यों की आकांक्षा करनी चाहिए।
- संगठन के सामने क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, जिन्हें अब नए सिरे से महत्व दिया गया है।



म्यांमार की अस्थिरता और क्षेत्रीय अस्थिरता

- म्यांमार में चल रहा संकट बिस्मटेक के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है। म्यांमार में अस्थिरता ने सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विकास और संपर्क परियोजनाओं पर सवाल खड़े किए हैं।
- म्यांमार में सैन्य जुटा ने हाल ही में उत्तरी शान राज्य में चीन के लिए एक व्यापार राजमार्ग के किनारे एक प्रमुख शहर नोंगचो पर नियंत्रण खो दिया। यह घटनाक्रम क्षेत्र में संपर्क और व्यापार मार्गों को सीधे प्रभावित करता है।
- बिस्मटेक की चर्चाएँ महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं और सीमा स्थिरता पर केंद्रित रहीं, जबकि म्यांमार संकट के बारे में सतर्क रुख बनाए रखा गया।

अन्य चुनौतियाँ और संबंधित समाधान

- धीमी प्रगति और दक्षता: बिस्मटेक के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक दक्षता की कमी और धीमी प्रगति है। आलोचक अवसर इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाया है, जितनी तेज़ी से उसे आगे बढ़ना चाहिए था।
- सदस्य देशों में नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में असंगति इस सुस्ती में योगदान करती है। विभिन्न राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं में सामंजस्य बिठाना काफी कठिन हो सकता है।
- राजनीतिक प्रतिबद्धता: सदस्य देशों के नेताओं की राजनीतिक प्रतिबद्धता के विभिन्न स्तरों के कारण बिस्मटेक की प्रगति में बाधा आती है। बड़े देश कभी-कभी संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मजबूत समर्पण प्रदर्शित करने में विफल हो जाते हैं।
- साथ ही, छोटे देश हमेशा अपने राष्ट्रीय एजेंडे में बिस्मटेक को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, जिससे प्रतिबद्धता के स्तर असमान हो जाते हैं।
- संसाधन की कमी और क्षमता निर्माण: बिस्मटेक सीमित संसाधनों के साथ काम करता है, जो परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की इसकी क्षमता को प्रभावित करता है। संस्थागत क्षमता और संसाधन आवंटन को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
- तकनीकी विशेषज्ञता को मजबूत करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और संगठन के भीतर मानव पूंजी का निर्माण करना आवश्यक कदम हैं।
- कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की कमी: एक क्षेत्रीय समूह होने के बावजूद, बिस्मटेक को भौतिक कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन लिंक, ऊर्जा ग्रिड और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना प्राथमिकता बनी हुई है।
- कनेक्टिविटी में अंतर को पाटने से व्यापार, निवेश और लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ेगा।
- विविध हितों का सामंजस्य: बिस्मटेक में विभिन्न आर्थिक आकार, राजनीतिक व्यवस्था और विकास स्तर वाले देश शामिल हैं। साझा लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए इन विविध हितों को संतुलित करने के लिए कुशल कूटनीति की आवश्यकता होती है।
- व्यापार सुविधा, आतंकवाद निरोध और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाना जटिल हो सकता है।

निष्कर्ष

- बिस्मटेक विदेश मंत्रियों की बैठक ने सदस्य देशों को क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने का अवसर प्रदान किया, विशेष रूप से म्यांमार के चल रहे संकट के मद्देनजर जैसा कि संगठन समाधान की तलाश कर रहा है, आर्थिक सहयोग, स्थिरता और मानवीय चिंताओं को संतुलित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग (FIPIC) भागीदारी के लिए मंच

पान्चक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संगठन

संदर्भ

- हाल ही में, भारत ने भूस्खलन से प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को मानवीय सहायता भेजी, जो FIPIC भागीदारी को दर्शाता है।

भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) के बारे में

- FIPIC में 14 द्वीप देश शामिल हैं - कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यू पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु।
- हालांकि ये देश भूमि क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटे हैं और भारत से दूर हैं, लेकिन इनमें से कई के पास बड़े अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) हैं, और फलदायी सहयोग के लिए आशाजनक संभावनाएं प्रदान करते हैं।
- यह प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार में फैले प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी का प्रमाण है। वे आर्थिक और भू-रणनीतिक दोनों दृष्टिकोणों से बहुत महत्व रखते हैं।
- भारत के प्रधान मंत्री ने 2014 में फिजी में उद्घाटन FIPIC सम्मेलन आयोजित किया, जिसने भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया - एक ऐसा दृष्टिकोण जो एशियाई महाद्वीप से आगे बढ़कर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को गले लगाता है।
- भारत ने पापुआ न्यू गिनी में आयोजित तीसरे FIPIC शिखर सम्मेलन में 12-चरणीय पहल का अनावरण किया, जिसमें शामिल हैं:
- FIPIC SME विकास परियोजना: क्षेत्र में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों का समर्थन करना।
- सरकारी भवनों के लिए सौर परियोजनाएँ: नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना।

- पीने के पानी के लिए विलवणीकरण इकाइयाँ: पानी की कमी को दूर करना।
- समुद्री एम्बुलेंस की आपूर्ति: स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाना।
- 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन: आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करना।
- जन औषधि केंद्र: किफायती स्वास्थ्य सेवा समाधान।
- योग केंद्र: समग्र कल्याण को बढ़ावा देना।
- बुनियादी ढाँचे से परे: शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति
- प्रशांत द्वीप देशों (PIC) के साथ भारत की विकास साझेदारी बुनियादी ढाँचे से परे है। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति ध्यान के प्रमुख क्षेत्र हैं।
- भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट के लिए वकालत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की बोली का समर्थन FIPIC एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है।

22वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

पान्थक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस की आधिकारिक यात्रा की।

मुख्य अंश

- भारत-रूस संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार "द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल" से सम्मानित किया गया।
- इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी।
- भारत रूसी शहरों कज़ान और चेकातेरिनबर्ग में दो नए वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा।
- रूस ने रूसी सेना में सहायक कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और घर वापसी सुनिश्चित करने की भारत की मांग पर सहमति व्यक्त की।
- भारत और रूस पूर्वी समुद्री गलियारे पर काम कर रहे हैं और दोनों देश गंगा-वोल्गा वार्ता के माध्यम से एक-दूसरे को खोज रहे थे।
- पूर्वी समुद्री गलियारा वेन्नई, भारत और व्लादिवोस्तोक, रूस के बीच एक प्रस्तावित समुद्री मार्ग है, जो जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- दोनों नेताओं ने 2030 तक 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-रूस संबंध

- राजनीतिक संबंध: भारत और सोवियत संघ के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण 1971 में शांति और मैत्री की संधि पर हस्ताक्षर करना था।
- सोवियत संघ के विघटन के बाद, भारत और रूस ने 1993 में मैत्री और सहयोग की एक नई संधि में प्रवेश किया।
- 2000 में, राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान, साझेदारी ने एक नया गुणात्मक चरित्र प्राप्त किया, जो एक रणनीतिक साझेदारी थी।
- 2010 में इस रिश्ते को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।
- रक्षा और सुरक्षा सहयोग: ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के साथ-साथ भारत में SU-30 विमान और T-90 टैंकों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन ऐसे प्रमुख सहयोग के उदाहरण हैं।
- दोनों पक्षों ने S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति, परियोजना 1135.6 के तहत फ्रिगेट के निर्माण और भारत में Ka-226T हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम के गठन पर शेरधारकों के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों देश अपने सशस्त्र बलों के बीच सालाना आदान-प्रदान और प्रशिक्षण अभ्यास भी करते हैं जिन्हें इंद्र कहा जाता है।
- व्यापार और आर्थिक संबंध: दोनों पक्षों ने 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के लक्ष्य को संशोधित किया। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से, भारत बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के मुद्रास्फीति प्रभाव को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में रूसी तेल को छूट पर खरीद रहा है।
- अंतर-सरकारी आयोग: दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च-स्तरीय बातचीत होती है।
- IIRGC (भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग): यह मुख्य निकाय है जो दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर पर मामलों का संचालन करता है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, जी20 और एससीओ सहित अंतराष्ट्रीय निकायों के सदस्य हैं।
- दो अंतर-सरकारी आयोग: एक व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर, जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और रूसी उप प्रधानमंत्री करते हैं,
- दूसरा सैन्य-तकनीकी सहयोग (आईआरआईजीसी-एमटीसी) पर, जिसकी सह-अध्यक्षता रूसी और भारतीय रक्षा मंत्री करते हैं, हर साल मिलते हैं।
- परमाणु ऊर्जा: रूस भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में मान्यता देता है, जिसका अप्रसार रिकॉर्ड बेदाग है।
- कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) रूसी सहयोग से भारत में बनाया जा रहा है।

आगे की राह

- पिछले कुछ वर्षों में, जैसे-जैसे भारत ने बहुध्रुवीय दुनिया में अपने संबंधों में विविधता लाई है, भारत-रूस संबंध कुछ क्षेत्रों में स्थिर हो गए हैं और अन्य में कमज़ोर हो गए हैं।
- दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:
- मौजूदा रक्षा सहयोग के लिए एक नया आधार प्रदान करना;
- भारतीय व्यापार समूहों के लिए रूस के साइबेरियाई और सुदूर पूर्व क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाने का अवसर;
- भू-आर्थिक संपर्क परियोजनाओं को मजबूत करना;
- भारत और रूस के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाना।

भारत-रूस रणनीतिक संबंध

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी रूस की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।

मुख्य बातें

- भारत और रूस पूर्वी समुद्री गलियारे पर काम कर रहे हैं और दोनों देश गंगा-वोल्गा वार्ता के माध्यम से एक-दूसरे को खोज रहे थे।
- पूर्वी समुद्री गलियारा चेन्नई, भारत और व्लादिवोस्तोक, रूस के बीच एक प्रस्तावित समुद्री मार्ग है, जो जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- भारत रूसी शहरों कज़ान और येकातेरिनबर्ग में दो नए वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा।

भारत-रूस संबंध

- राजनीतिक संबंध: भारत और सोवियत संघ के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1971 में शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करना था।
- सोवियत संघ के विघटन के बाद, भारत और रूस ने 1993 में मैत्री और सहयोग की एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए।
- 2000 में, राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान, साझेदारी ने एक नया गुणात्मक चरित्र हासिल किया, जो एक रणनीतिक साझेदारी थी।
- 2010 में इस संबंध को एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के दर्जे तक बढ़ा दिया गया।
- रक्षा और सुरक्षा सहयोग: ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के साथ-साथ भारत में SU-30 विमान और T-90 टैंकों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन ऐसे प्रमुख सहयोग के उदाहरण हैं।
- दोनों पक्षों ने एस-400 वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति, परियोजना 1135.6 के तहत फ्रिगेट के निर्माण और भारत में का-226टी हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम के गठन पर श्रेयधारकों के बीच समझौते किए।
- दोनों देश अपने सशस्त्र बलों के बीच सालाना आदान-प्रदान और प्रशिक्षण अभ्यास भी करते हैं, जिन्हें इंद्र कहा जाता है।
- व्यापार और आर्थिक संबंध: दोनों पक्षों ने 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के लक्ष्य को संशोधित किया। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- □ यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से, भारत बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के मुद्रास्फीति प्रभाव को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में रूसी तेल को छूट पर खरीद रहा है।
- अंतर-सरकारी आयोग: दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च-स्तरीय बातचीत होती है।
- आईआरआईजीसी (भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग): यह मुख्य निकाय है जो दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर पर मामलों का संचालन करता है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, जी20 और एससीओ सहित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के सदस्य हैं।
- दो अंतर-सरकारी आयोग: एक व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (IRIGC-TEC) पर, जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और रूसी उप प्रधानमंत्री करते हैं,
- दूसरा सैन्य-तकनीकी सहयोग (IRIGC-MTC) पर, जिसकी सह-अध्यक्षता रूसी और भारतीय रक्षा मंत्री करते हैं, हर साल मिलते हैं।
- परमाणु ऊर्जा: रूस भारत को एक ऐसे देश के रूप में मान्यता देता है जिसके पास उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी है और जिसका अप्रसार रिकॉर्ड बेदाग है।
- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) रूसी सहयोग से भारत में बनाया जा रहा है।

आगे की राह

- पिछले कुछ वर्षों में, जैसे-जैसे भारत ने बहुध्रुवीय विश्व में अपने संबंधों में विविधता लाई है, भारत-रूस संबंध कुछ क्षेत्रों में स्थिर हो गए हैं और अन्य में कमजोर पड़ गए हैं।
- दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:
- मौजूदा रक्षा सहयोग के लिए एक नया आधार प्रदान करना;
- भारतीय व्यापार समूहों के लिए रूस के साइबेरियाई और सुदूर पूर्व क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाने का अवसर;

- भू-आर्थिक संपर्क परियोजनाओं को मजबूत करना;
- भारत और रूस के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाना।

हरित विकास में भारत-फ्रांस भागीदारी

पाठ्यक्रम: GS3/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री ने 2023 में भारत-फ्रांस क्षितिज 2047 रोडमैप के तीन स्तंभों में से एक के रूप में 'ग्रह के लिए साझेदारी' को आगे बढ़ाया।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2023 में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए।

भारत-फ्रांस क्षितिज 2047 के स्तंभ;

- सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी
- ग्रह के लिए साझेदारी
- लोगों के लिए साझेदारी

पर्यावरण स्थिरता के लिए साझेदारी

- 2023 में भारत और फ्रांस के बीच चार पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए।
- पहली परियोजना राजस्थान में वन क्षेत्र को बढ़ाने, वन्यजीवों के रहने और प्रजनन के लिए बेहतर परिस्थितियाँ बनाने और स्थानीय समुदायों की आजीविका को बनाए रखने के लिए है।
- दूसरी परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के छोटे शहरों में स्वच्छता में सुधार करना है।
- तीसरी परियोजना भारत के प्रमुख परिपत्र अर्थव्यवस्था कार्यक्रम CITIIS के हिस्से के रूप में 18 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना चाहती है।
- चौथी परियोजना भारतीय स्टेट बैंक के साथ इलेक्ट्रिक बसों और ऊर्जा-कुशल आवास के लिए एक ग्रीन क्रेडिट लाइन है।

भारत और फ्रांस संबंधों की प्रमुख विशेषताएँ

- रणनीतिक साझेदारी: भारत के 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद, फ्रांस भारत के साथ रणनीतिक वार्ता शुरू करने वाला पहला देश था।
- अन्य देशों की तुलना में भारत की सुरक्षा संबंधी मजबूरियों को बेहतर तरीके से समझते हुए, फ्रांस ने भारत पर द्विपक्षीय प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया।
- फ्रांस पहला पश्चिमी देश था जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए।
- आर्थिक: व्यापार संबंधों में लगातार वृद्धि देखी गई है, 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 13.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 659.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई प्रवाह के साथ फ्रांस भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, फ्रांस को भारतीय निर्यात कुल 3.06 बिलियन डॉलर और फ्रांस से आयात कुल 2.36 बिलियन डॉलर था।
- रक्षा: दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा वार्षिक रक्षा वार्ता (रक्षा मंत्री स्तर) और रक्षा सहयोग पर उच्च समिति (सचिव स्तर) के तहत की जाती है।
- पी-75 स्कॉर्पीन डील 2005: फ्रांस की मदद से भारत में मझगांव डॉक्स लिमिटेड में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौता।
- भारत की वायु शक्ति के हिस्से के रूप में राफेल जेट की खरीद गहरे रक्षा संबंधों का प्रमाण है।
- वायु सेनाओं (गरुड़ श्रृंखला) और सेनाओं (शक्ति), नौसेनाओं (वरुण) के बीच संयुक्त रक्षा अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- अंतरिक्ष: इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, सेंटर नेशनल डी'एट्यूड्स स्पैटियल्स (सीएनईएस) के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में 50 से अधिक वर्षों से सहयोग का समृद्ध इतिहास है।



- फ्रांस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए घटकों और उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
- ऊर्जा सहयोग: 2023 में, दोनों नेताओं ने जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना (जेएनपीपी) से संबंधित चर्चाओं के दौरान हुई प्रगति का स्वागत किया। हालांकि, यहां प्रगति धीमी रही है, हालांकि पहले समझौते पर 2008 में सहमति बनी थी।
- दोनों पक्षों ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर (एएमआर) पर साझेदारी स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था।
- शिक्षा: अनुमान है कि फ्रांस में लगभग 10,000 भारतीय छात्र हैं। 2018 में डिग्री की पारस्परिक मान्यता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 2023 में, 2030 तक फ्रांस में भारतीय छात्रों की संख्या 30,000 तक बढ़ाने पर सहमति हुई।
- फ्रांस में समुदाय: मुख्य भूमि फ्रांस में अनुमानित 1,19,000 भारतीय समुदाय (NRI सहित) के सदस्य हैं, जो बड़े पैमाने पर पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर और तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब राज्यों के पूर्ववर्ती फ्रांसीसी उपनिवेशों से आते हैं।
- पर्यटन: 2019 में लगभग 2.5 लाख फ्रांसीसी भारत आए, जबकि लगभग 7 लाख भारतीय पर्यटन के लिए फ्रांस गए।
- फ्रांसीसी पर्यटकों के लिए सभी भारतीय गंतव्यों में राजस्थान सबसे आगे है।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन: फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र के सुधारों के लिए भारत के दावे का समर्थन करना जारी रखा है।
- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), वासेनार अरेंजमेंट (WA) और ऑस्ट्रेलिया समूह (AG) में भारत के प्रवेश में फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण था। फ्रांस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में प्रवेश के लिए भारत की बोली का समर्थन करना जारी रखता है।
- भारत और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) को अपनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है।

कोलंबो प्रक्रिया

पाठ्यक्रम: GS 2/IR

समाचार में

- भारत ने जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की

कोलंबो प्रक्रिया के बारे में

- यह एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं, जो मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों के मूल देश के रूप में कार्य करते हैं।
- यह विदेशी रोजगार और संविदा श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- यह बाध्यकारी नहीं है और निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।
- इसका समन्वय जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों के स्थायी मिशन के माध्यम से किया जाता है।
- भारत 2003 में अपनी स्थापना के बाद से कोलंबो प्रक्रिया का सदस्य रहा है।
- मई 2024 में, भारत ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली।

कोलंबो प्रक्रिया (2024-26) के लिए भारत की प्राथमिकताएँ

- इसमें शामिल हैं
- कोलंबो प्रक्रिया की वित्तीय स्थिरता की समीक्षा करना,
- नए सदस्य राज्यों और पर्यवेक्षकों को शामिल करके सदस्यता को व्यापक बनाना
- तकनीकी-स्तर के सहयोग को फिर से कॉन्फ़िगर करना
- अध्यक्षता के लिए एक संरचित रोटेशन को लागू करना
- सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन (GCM) के लिए वैश्विक समझौते की क्षेत्रीय समीक्षा करना
- अबू धाबी वार्ता (ADD) और अन्य क्षेत्रीय प्रक्रियाओं के साथ संवाद में शामिल होना।

लोकमान्य तिलक की जयंती

पाठ्यक्रम: GS1/इतिहास

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।

प्रारंभिक जीवन

- जन्म: 23 जुलाई, 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे।
- वे एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक विचारक, दार्शनिक, शिक्षक, स्वराज ("स्व-शासन") के पहले और सबसे मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- उन्होंने दो महत्वपूर्ण त्योहारों का आयोजन किया, 1893 में गणेशोत्सव और 1895 में शिव जयंती।

राजनीतिक करियर

- 1890 में, तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए।
- तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी विचारों का विरोध किया, और बंगाल में साथी भारतीय राष्ट्रवादी बिपिन चंद्र पाल और पंजाब में लाला लाजपत राय ने उनका समर्थन किया। उन्हें "लाल-बाल-पाल" के रूप में संदर्भित किया गया।
- तीनों ने बंगाल विभाजन के खिलाफ भारतीयों को संगठित किया और स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा।
- कारावास: तिलक को 1908 में राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और मांडले (बर्मा) में छह साल की कैद की सजा सुनाई।
- होम रूल आंदोलन: बर्मा से लौटने के बाद तिलक होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए।
- 1916 में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रावधान था।

साहित्यिक कार्य

- उन्होंने दो साप्ताहिक पत्रिकाएँ शुरू कीं, केसरी (मराठी में) और मराठा (अंग्रेजी में), जिसमें उस समय की ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की गई।
- उन्होंने द ओरियन और रिसर्च इनटू द ऐंटीक्विटी ऑफ द वेदाज (1893) और द आर्कटिक होम इन द वेदाज (1903) प्रकाशित कीं।
- मांडले जेल में उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य (भगवद्गीता का रहस्य) लिखा, जो हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तक की एक मौलिक व्याख्या है।

मोड़दम

पाठ्यक्रम: GS 1/इतिहास

समाचार में

- भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है और इसमें भारत के मोड़दम की जांच की जाएगी।

मोड़दम के बारे में

- मोड़दम अहोम राजाओं, रानियों और रईसों के दफन टीले हैं।
- मोड़दम शब्द ताई शब्द फ्रांग-माई-डैम या माई-टैम से लिया गया है।
- फ्रांग-माई का अर्थ है कब्र में डालना या दफनाना और डैम का अर्थ है मृतकों की आत्मा।
- मोड़दम ऊपरी असम के सभी जिलों में पाए जाते हैं।
- संरचना: इसमें तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं, एक कक्ष की तिजोरी, एक अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला जो कक्ष को ढकता है और इसके ऊपर वार्षिक भेंट के लिए ईंट की संरचना (वाव-वाली) है और टीले के आधार के चारों ओर एक अष्टकोणीय सीमा दीवार है जिसके पश्चिम में एक धनुषाकार प्रवेश द्वार है।
- इतिहास: ताई-अहोम लोगों का मानना था कि उनके राजा दिव्य थे, जिसके कारण एक अनूठी अंत्येष्टि परंपरा की स्थापना हुई: शाही दफन के लिए मोड़दम या तिजोरीदार टीलों का निर्माण।



- पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से अहोम महान तार्ई (तार्ई-यार्ई) लोगों के समूह के सदस्य हैं।
- समान गुणों के साथ तुलना: चोरादेओ के मोइदम की तुलना प्राचीन चीन में शाही कब्रों और मिस्र के फिरोन के पिरामिडों से की जा सकती है, जो स्मारकीय वास्तुकला के माध्यम से शाही वंश को सम्मानित करने और संरक्षित करने के सार्वभौमिक विषयों को दर्शाते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- विश्व धरोहर समिति की वार्षिक बैठक होती है और यह विश्व धरोहर से जुड़े सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती है।

2024 में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र दुनिया भर से 27 नामांकनों की जांच करेगा, जिसमें 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक, 2 मिश्रित स्थल और सीमाओं में 2 महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं।

AIM और WIPO के बीच आशय पत्र

पाठ्यक्रम: GS2/शिक्षा

संदर्भ

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के बीच एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत-WIPO संयुक्त कार्यक्रम का दायरा

- प्रमुख AIM कार्यक्रमों (ATL, AIC मॉडल) को वैश्विक दक्षिण के देशों और संक्रमण में शामिल देशों तक ले जाना; इसमें देश-विशिष्ट कार्यक्रमों के आधार पर संरचना बनाना शामिल होगा, जैसा कि देश की ज़रूरत है।
- विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से भारत के छात्रों, शिक्षकों, नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की समझ को बढ़ाना।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM)

- भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा 2016 में एआईएम की स्थापना की गई थी।

- इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय नवाचार केंद्रों, भव्य चुनौतियों, स्टार्ट-अप व्यवसायों और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करना है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में। एआईएम ने इन कार्यों का समर्थन करने के लिए चार कार्यक्रम बनाए हैं:

- अटल टिकरिंग लैब्स
- अटल इनव्यूबेशन सेंटर
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज
- मेंटर इंडिया।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है, जो दुनिया के नवप्रवर्तकों और रचनाकारों की सेवा करती है, यह सुनिश्चित करती है कि उनके विचार सुरक्षित रूप से बाजार तक पहुँचें और हर जगह जीवन में सुधार करें।

- सदस्य: संगठन के 193 सदस्य देश हैं जिनमें भारत, इटली, इज़राइल, ऑस्ट्रिया, भूटान, ब्राज़ील, चीन, क्यूबा, मिस्र, पाकिस्तान, अमेरिका और यू.के. जैसे विकासशील और विकसित देश शामिल हैं।

- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

एक्स खान क्वेस्ट 2024

पाठ्यक्रम: जीएस3/रक्षा

संदर्भ

- भारतीय सेना की टुकड़ी मंगोलिया के उलानबटार में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'खान क्वेस्ट' के लिए खाना हुई।

के बारे में

- यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2003 में यूएसए और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था।
- इसके बाद, वर्ष 2006 से यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में बदल गया, जिसका चालू वर्ष 21वां संस्करण है।
- अभ्यास खान क्वेस्ट भाग लेने वाले देशों को संयुक्त अभियानों के संचालन के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम करेगा।
- यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों के सैनिकों के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और सौहार्द विकसित करने में भी मदद करेगा।

14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक

पाठ्यक्रम: जीएस2/वैश्विक समूहीकरण; अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

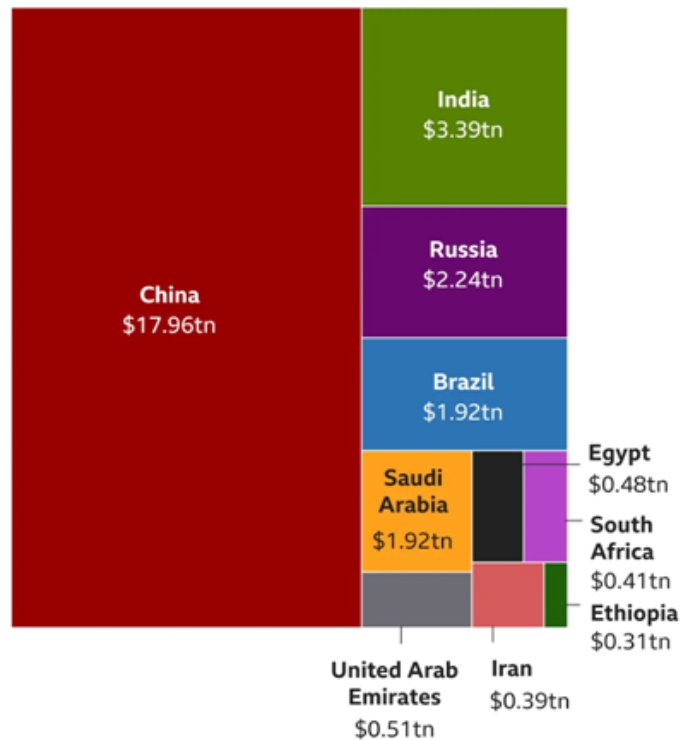
- हाल ही में, भारत के वाणिज्य सचिव ने रूसी संघ की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित 14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
- इस वर्ष के ब्रिक्स सम्मेलन का विषय 'न्यायसंगत वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना' है।

पृष्ठभूमि: ब्रिक्स के बारे में

- यह एक संक्षिप्त नाम है जो पाँच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह को संदर्भित करता है: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- इसकी शुरुआत 2006 में जी8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद एक औपचारिक समूह के रूप में हुई थी, और 2006 में न्यूयॉर्क में यूएनजीए के दौरान ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इसे औपचारिक रूप दिया गया था।
- प्रारंभ में, समूह को ब्रिक कहा जाता था क्योंकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था और तब से इसे ब्रिक्स के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- ब्रिक्स देशों की सरकारें 2009 से हर साल औपचारिक शिखर सम्मेलनों में मिलती रही हैं।
- समय के साथ, ब्रिक्स देश राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान के तीन स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं।
- यह दुनिया के पांच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% और वैश्विक व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करते हैं।

Brics countries and their GDPs

GDP in trillions of US dollars



Source: World Bank/OECD

BBC

ब्रिक्स का महत्व

- आर्थिक सहयोग: ब्रिक्स सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसी पहलों के माध्यम से आर्थिक सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- ब्रिक्स के भीतर आर्थिक सहयोग व्यापार विविधीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा प्रदान करता है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- वैश्विक शासन सुधार: भारत आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधारों की वकालत करने के लिए ब्रिक्स को एक मंच के रूप में उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक शासन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज़ और प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।
- सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान: ब्रिक्स सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देता है और सदस्य देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ाता है।

ब्रिक्स का विस्तार

- यह 2022 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा अपनाए गए निर्णय के अनुसार किया गया था। अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और यूएई ब्रिक्स में छह नए सदस्य हैं।
- ब्रिक्स के विस्तार का महत्व मध्य पूर्व के देशों और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को शामिल करके समूह को मजबूत करने और वैश्विक शासन के लिए आवाज़ को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है।

हाल ही में व्यापार मंत्रियों की बैठक में फोकस क्षेत्र

- डब्ल्यूटीओ विकास पहलू: वाणिज्य सचिव ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) को अपने केंद्र में रखते हुए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें विकास और विशेष और विभेदक उपचार से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान करना शामिल है।

- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ (जीवीसी): अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए संयुक्त मूल्य श्रृंखलाओं के प्रभावी कामकाज पर चर्चा की गई।
- एमएसएमई और डिजिटलीकरण: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच बातचीत पर प्रकाश डाला गया, साथ ही डिजिटलीकरण और ई-कॉमर्स में भारत की सफलता की कहानी पर भी प्रकाश डाला गया।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ): आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड के बीच सहयोग को प्रासंगिक माना गया।

बहुपक्षवाद और तत्काल सुधार

- सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का स्थायी समाधान: खाद्य सुरक्षा चिंताओं का समाधान।
- दो-स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली: विवाद समाधान की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- डब्ल्यूटीओ सुधार: संगठन को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना।
- '30 फॉर 30' पहल: 2025 में अपनी 30वीं वर्षगांठ तक विश्व व्यापार संगठन में कम से कम 30 परिचालन सुधारों का प्रस्ताव।
- लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ: आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकरण और विविधीकरण की वकालत की गई।
- कागज रहित व्यापार: वाणिज्य सचिव ने बिल ऑफ लैंडिंग जैसे व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर जोर दिया।
- सस्ती उभरती प्रौद्योगिकियाँ: हरित संक्रमण और जलवायु लचीलापन के लिए सहयोग पर प्रकाश डाला गया।
- जलवायु-संबंधी उपाय और एमएसएमई: जलवायु-संबंधी एकतरफा उपायों से व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की गई।
- ऐसे उपायों को बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के साथ विरोधाभासी और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (सीबीडीआर) के सिद्धांत की अनदेखी करने वाला माना गया।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई के महत्व को दोहराया गया।

निष्कर्ष

- 14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ने महत्वपूर्ण व्यापार-संबंधी मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें सहयोग, समावेशिता और न्यायपूर्ण वैश्विक विकास की खोज पर जोर दिया गया।
- जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जटिलताओं को समझना जारी रखते हैं, ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत-सऊदी अरब: निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक

पाठ्यक्रम: जीएस 2/आईआर

समाचार में

- निवेश पर भारत-सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की उद्घाटन बैठक वर्चुअली आयोजित की गई।

मुख्य परिणाम

- बैठक में टास्क फोर्स की तकनीकी टीमों द्वारा की गई पिछली चर्चाओं की समीक्षा की गई।
- रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल प्लांट, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, दूरसंचार और नवाचार सहित क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के अवसरों पर रचनात्मक चर्चा हुई।
- प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने सऊदी अरब में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

राष्ट्रीय धातुकर्म पुरस्कार -2024

पाठ्यक्रम: विविध

संदर्भ

- भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातुकर्म पुरस्कार प्रदान किए हैं।
- यह धातुकर्म क्षेत्र में योगदान को मान्यता देता है, जिसमें संचालन, अनुसंधान और विकास, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण शामिल हैं।
- उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा जगत से व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
- पुरस्कार निम्नलिखित चार श्रेणियों में दिए जाते हैं:-
 - लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड
 - नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड
 - यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड
 - पर्यावरण
 - धातु विज्ञान
- आयरन और स्टील सेक्टर में अनुसंधान और विकास के लिए पुरस्कार।

भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC)

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- वित्त मंत्री ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
- केंद्रीय मंत्री ने अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा, जिनमें से कुछ को विशेष रूप से कंपनी अधिनियम के तहत मामलों का फैसला करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा।
- यह भी प्रस्ताव है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में सुधार और मजबूती के लिए कदम उठाए जाएं और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएं।

दिवालियापन

- भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था में, एक स्वस्थ ऋण प्रवाह और नई पूंजी का सृजन आवश्यक है।
- जब कोई कंपनी या व्यवसाय दिवालिया या "बीमार" हो जाता है, तो वह अपने ऋणों पर चूक करना शुरू कर देता है।
- ऋण को सिस्टम में फंसने या खराब ऋणों में बदलने से रोकने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक या लेनदार डिफॉल्टर से जितना संभव हो सके उतना जल्दी और जल्दी वसूल कर सकें।
- व्यवसाय को, यदि अभी भी व्यवहार्य है, तो नए मालिकों के साथ नए सिरे से शुरू करने का मौका मिल सकता है, या इसकी परिसंपत्तियों को समय पर समाप्त या बेचा जा सकता है।
- इस तरह से सिस्टम में नया ऋण डाला जा सकता है और परिसंपत्तियों के मूल्य हास को कम किया जा सकता है।

IBC की आवश्यकता

- 2016 में, भारत की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ और ऋण चूकें बढ़ती जा रही थीं, और पुराने ऋण वसूली तंत्र जैसे कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI), लोक अदालतें और ऋण वसूली न्यायाधिकरण खराब प्रदर्शन कर रहे थे, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC) कोड पेश किया गया था।
- इसे कॉर्पोरेट संकट समाधान व्यवस्था में सुधार करने और समयबद्ध तंत्र बनाने के लिए पहले से उपलब्ध कानूनों को समेकित करने के लिए पेश किया गया था।
- जब IBC के तहत दिवालियापन शुरू होता है, तो दो परिणाम हो सकते हैं: समाधान या परिसमापन; पुनर्गठन या नई स्वामित्व योजना के साथ दिवालियापन को हल करने के सभी प्रयास किए जाते हैं और यदि समाधान के प्रयास विफल हो जाते हैं, तो कंपनी की संपत्ति का परिसमापन किया जाता है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC)

- उद्देश्य: IBC का प्राथमिक उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता और दिवालियेपन को हल करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करके सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना है।
- प्रयोज्यता: IBC कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी (LLP), साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों पर लागू होता है। यह कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दिवालियापन दोनों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- कार्यप्रणाली: जब कोई कॉर्पोरेट देनदार (CD), या कोई कंपनी अपने ऋण चुकौती में चूक करती है, तो लेनदार या देनदार IBC की धारा 6 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- चूक की न्यूनतम राशि ₹1 करोड़ है।
- दिवालियेपन के लिए आवेदन करने के लिए, किसी को IBC के तहत एक निर्धारित न्यायाधिकरण (AA) से संपर्क करना होगा - भारत भर में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की विभिन्न पीठें नामित AA हैं।
- दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया (आईआरपी): आईबीसी लाइसेंस प्राप्त दिवालियेपन पेशेवरों (आईपी) की देखरेख में संरचित दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया प्रदान करता है।
- न्यायाधिकरण: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) कंपनियों और एलएलपी के लिए कॉर्पोरेट दिवालियेपन समाधान प्रक्रियाओं (सीआईआरपी) के लिए न्यायाधिकरण है।
- व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) प्रक्रिया को संभालता है।
- दिवाला पेशेवर: आईपी लाइसेंस प्राप्त पेशेवर होते हैं जो दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वे देनदार और लेनदारों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और दिवाला प्रक्रिया के दौरान देनदार के मामलों का प्रबंधन करते हैं।
- समयबद्ध प्रक्रिया: आईबीसी दिवाला समाधान में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित करता है ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके और अनुचित देरी को रोका जा सके।
- परिसमापन: यदि समाधान योजना को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनुमोदित या कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो लेनदारों को आय वितरित करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार का परिसमापन किया जा सकता है।
- सीमा पार दिवालियापन: IBC अन्य देशों के साथ सहयोग और पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से सीमा पार दिवालियापन से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

- परिचालन में देरी: IBC द्वारा निर्धारित सख्त समयसीमा का पालन करना अक्सर विभिन्न कारणों जैसे कानूनी जटिलताओं, हितधारकों के बीच समन्वय और न्यायिक बैकलॉग के कारण मुश्किल होता है।
- बुनियादी ढांचे की कमी: दिवालियापन मामलों की बढ़ती संख्या को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में दिवालियापन पेशेवरों (IP) और प्रशिक्षित कर्मियों सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी रही है।
- हेयरकट और लेनदारों की वसूली: IBC का उद्देश्य लेनदारों के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना है, लेकिन व्यवहार में, लेनदारों को अक्सर समाधान प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण हेयरकट (नुकसान) का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- देरी को दूर करने के लिए, संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया कि NCLT को दिवालियापन आवेदन को स्वीकार करने और कंपनी का नियंत्रण समाधान प्रक्रिया में स्थानांतरित करने के लिए दाखिल करने के बाद 30 दिनों से अधिक समय नहीं लेना चाहिए।
- स्वीकृत संख्या की तुलना में न्यायाधिकरण में 50% से अधिक रिक्तियों का हवाला देते हुए, इसने अनुमानित मामलों की संख्या के आधार पर अग्रिम भर्ती का सुझाव दिया।
- आईबीसी में व्यावहारिक चुनौतियों और उभरे मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसके अधिनियमन के बाद से संशोधन किए गए हैं।
- हालांकि, उभरते आर्थिक और कानूनी परिदृश्यों के अनुकूल होने के लिए निरंतर नीति सुधार और संशोधन आवश्यक हैं।

चंद्र शेखर आज़ाद**पाठ्यक्रम: जीएस 1/इतिहास****खबरों में**

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।

चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में

- चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से मशहूर चंद्रशेखर तिवारी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था।
- राजनीति में प्रवेश: वे 1921 में 15 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए।
- दिसंबर 1921 में गिरफ्तार हुए और अपना नाम "आज़ाद", अपने पिता का नाम "स्वतंत्रता" और निवास स्थान "जेल" बताकर अवज्ञा प्रदर्शित की।
- क्रांतिकारी गतिविधियों में भागीदारी: 1922 में असहयोग आंदोलन के निलंबन से निराश होकर वे राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए।
- सरकारी प्रतिष्ठानों की लूटपाट के ज़रिए धन जुटाने में भाग लिया।
- काकोरी ट्रेन डकैती (1925), जॉन पी. सॉन्डर्स की हत्या (1928) और वायसराय की हत्या के प्रयास (1929) सहित महत्वपूर्ण कारवाइयों में शामिल हुए।
- HSRA का गठन: 1928 में, आज़ाद ने भगत सिंह और अन्य लोगों के साथ मिलकर HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में पुनर्गठित किया, जिसका उद्देश्य समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक स्वतंत्र भारत प्राप्त करना था।
- मृत्यु: 27 फरवरी 1931 को, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क (अब आज़ाद पार्क) में पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर, उन्होंने गोलीबारी की।
- उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने साथियों को भागने दिया, लेकिन अंततः पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली।
- विरासत: वे भारतीय स्वतंत्रता के लिए निडर देशभक्ति और समर्पण के प्रतीक बने हुए हैं, उन्हें क्रांतिकारी आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में किए गए बलिदानों के लिए जाना जाता है।

डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर**पाठ्यक्रम: GS2/ गवर्नेंस****समाचार में**

- डाक विभाग ने सार्वजनिक टिप्पणियों और विशेषज्ञ राय के लिए DIGIPIN (डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर) का बीटा संस्करण जारी किया है।

डिजिपिन के बारे में

- यह भारत में एक मानकीकृत, जियो-कोडेड एट्रेसिंग सिस्टम स्थापित करने की पहल है, ताकि सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित डिलीवरी के लिए सरलीकृत एट्रेसिंग समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
- डिजिपिन परत एट्रेसिंग संदर्भ प्रणाली के रूप में कार्य करेगी जिसका उपयोग इसके निर्माण में अपनाए गए तार्किक नामकरण पैटर्न के कारण इसमें निर्मित दिशात्मक गुणों के साथ तार्किक रूप से पत्तों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।
- डिजिपिन को सार्वजनिक डोमेन में पूरी तरह से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और इसे हर कोई आसानी से एक्सेस कर सकता है।

- डिजिटल ब्रिड सिस्टम एक एड्रेसिंग रेफरेंसिंग सिस्टम है, जिसका उपयोग विभिन्न सेवा प्रदाताओं और उपयोगिताओं सहित अन्य पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए आधार परत के रूप में किया जा सकता है, जहाँ एड्रेसिंग वर्कफ़्लो में प्रक्रियाओं में से एक है।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

पाठ्यक्रम: GS2/ कल्याणकारी योजनाएँ

समाचार में

- बजट में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की गई।

के बारे में

- इस पहल का उद्देश्य आदिवासी बहुल गाँवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतुष्टि कवरेज प्रदान करना है, जिसमें 63,000 गाँव शामिल हैं और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुँचाया जा रहा है।
- संतुष्टि दृष्टिकोण का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से क्षमताओं को बढ़ाना और लोगों को सशक्त बनाना है।

समुद्री संगठन (IMO) 2024 पुरस्कार

पाठ्यक्रम: विविध

संदर्भ

- भारतीय नाविकों को समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा समुद्र में बहादुरी के लिए 2024 पुरस्कारों में सम्मानित किया जाएगा।

के बारे में

- IMO परिषद ने कैप्टन अविताश रावत और तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा के चालक दल को उनकी असाधारण बहादुरी, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के लिए सम्मानित किया है।
- सम्मान की तीन श्रेणियाँ हैं: पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और प्रशस्ति पत्र।
- ये सम्मान प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और संगठन द्वारा उन लोगों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए थे, जो अपनी जान गंवाने के जोखिम पर असाधारण बहादुरी के कार्य करते हैं।
- IMO: यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो समुद्री परिवहन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
- 1948 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुए समझौते के बाद IMO की स्थापना की गई थी और दस साल बाद IMO अस्तित्व में आया, जिसकी पहली बैठक 1958 में हुई थी।

अभ्यास पिच ब्लैक

पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा

संदर्भ

- भारतीय वायु सेना (IAF) की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स (RAAF) बेस डार्विन, ऑस्ट्रेलिया पहुँची।

अभ्यास 'पिच ब्लैक'

- यह RAAF द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक, बहु-राष्ट्रीय अभ्यास है।
- 'पिच ब्लैक' नाम बड़े निर्जन क्षेत्रों में रात के समय उड़ान भरने पर जोर देने से लिया गया था।
- 2024 का संस्करण पिच ब्लैक के 43 साल के लंबे इतिहास में सबसे बड़ा होने वाला है, जिसमें 20 देशों की भागीदारी शामिल है, जिसमें 140 से अधिक विमान और विभिन्न वायु सेनाओं के 4400 सैन्यकर्मियों शामिल हैं।
- यह अभ्यास भारतीय वायुसेना को भाग लेने वाले देशों के साथ बल एकीकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान की दिशा में एक अवसर प्रदान करेगा।
- भारतीय वायुसेना ने पहले इस अभ्यास के 2018 और 2022 संस्करणों में भाग लिया है।

ऑस्ट्रिया

पाठ्यक्रम: GS 1/समाचार में स्थान

समाचार में

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा की

ऑस्ट्रिया के बारे में

- ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित है।
 - राजधानी: वियना
- सीमा क्षेत्र: ऑस्ट्रिया की सीमा आठ देशों से लगती है: जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिचेंस्टीन।
- भौगोलिक विशेषताएँ: ऑस्ट्रिया की भौगोलिक स्थिति ने इसे लंबे समय से प्रमुख यूरोपीय आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच व्यापार मार्गों के लिए एक चौड़ा बना दिया है।
 - सबसे ऊँचा पर्वत: ब्रॉसग्लोकनर
 - सबसे बड़ी झील: कॉन्स्टेंस झील
- सबसे लंबी नदी: डेन्यूब (2,848 किमी, जिनमें से 350 किमी ऑस्ट्रिया में हैं)।
- भारत और ऑस्ट्रिया: 1949 से ही उनके बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और 2019 में वे द्विपक्षीय संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।



भारत राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते पर हस्ताक्षर करेगा

पान्चक्रम: GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है।

के बारे में

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश में BBNJ समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा।
- यह समझौता भारत की EEZ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) से परे के क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति देता है।
- यह कई सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से एसडीजी 14 (पानी के नीचे जीवन) को प्राप्त करने में भी योगदान देगा।

BBNJ समझौता क्या है?

- बीबीएनजे समझौता, या 'हाई सीज़ संधि', संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- यह अंतराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग के लिए सटीक तंत्र निर्धारित करता है।
- पक्ष उत्त्व समुद्र से प्राप्त समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का दावा या प्रयोग नहीं कर सकते हैं और लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित कर सकते हैं।
- उत्त्व सागर (राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र) वैश्विक आम महासागर हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध उद्देश्यों जैसे नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, पनडुब्बी केबल और पाइपलाइन बिछाने आदि के लिए सभी के लिए खुले हैं।

BBNJ समझौते का कार्यान्वयन

- BBNJ समझौता UNCLOS के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा, अगर और जब यह लागू होता है, तो इसके सहयोगी कार्यान्वयन समझौतों के साथ:
- 1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौता (जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण को संबोधित करता है)
- 1995 संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौता (जो स्ट्रैटिगिंग और अत्यधिक प्रवासी मछली स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन को संबोधित करता है)।
- समझौते पर मार्च 2023 में सहमति बनी थी और यह सितंबर 2023 से शुरू होकर दो साल के लिए हस्ताक्षर के लिए खुला है।
- 60वें अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के 120 दिन बाद लागू होने के बाद यह एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी।
- जून 2024 तक, 91 देशों ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और आठ पक्षों ने इसकी पुष्टि की है।

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS)

- UNCLOS को 1982 में अपनाया गया था, और 1994 में लागू हुआ।
- यह दुनिया के महासागरों और समुद्रों में कानून और व्यवस्था की एक व्यापक व्यवस्था स्थापित करता है, जो महासागरों और उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करता है।
- यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे महासागर तल पर खनन और संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अंतराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की स्थापना करता है।
- आज तक, 160 से अधिक देशों ने UNCLOS की पुष्टि की है।

डिजिटल इंडिया पहल के 9 साल

पाठ्यक्रम: GS 2/शासन

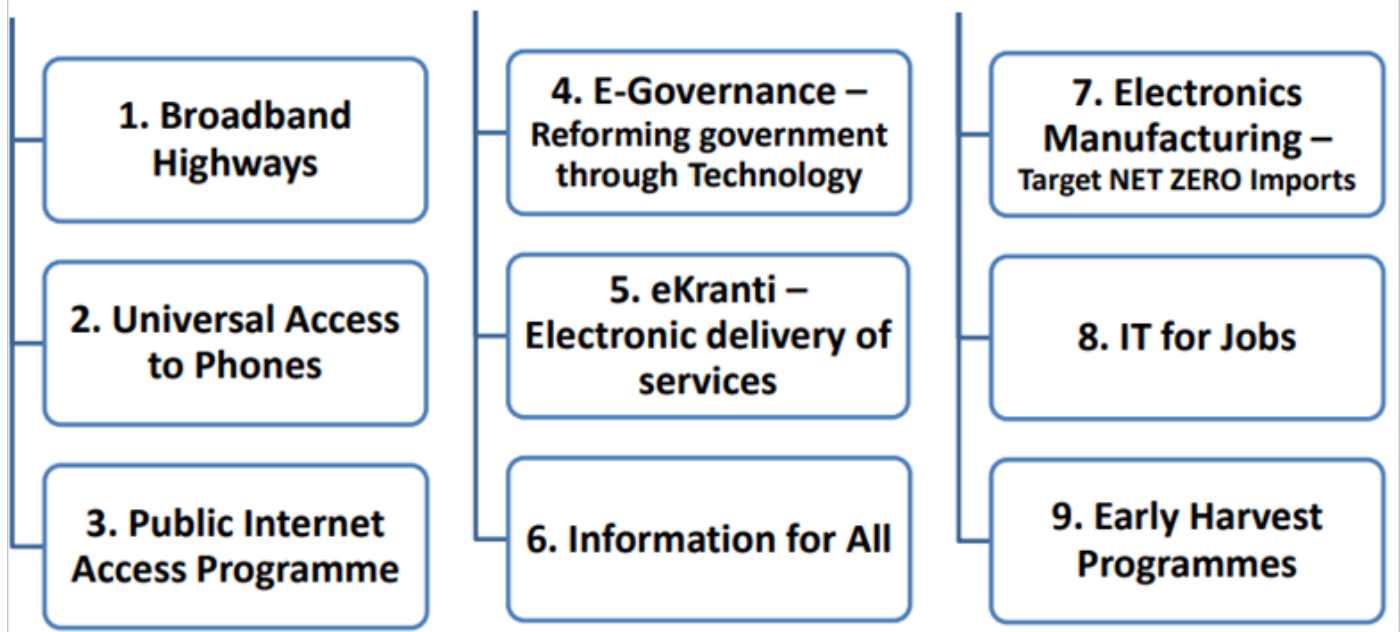
खबरों में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के नौ साल सफलतापूर्वक पूरे होने की सराहना की है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में

- इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 01 जुलाई, 2015 को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं, डिजिटल पहुँच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल विभाजन को पाटकर भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है।
- इसे MeitY द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वित किया जाता है, जो अपने-अपने डोमेन क्षेत्रों में इसमें भागीदारी करते हैं।
- डिजिटल इंडिया एक सशक्त भारत का प्रतीक है जो जीवन को आसान बनाता है और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

Nine Pillars of Digital India



उपलब्धियाँ

- वित्तीय समावेशन: डिजिटल इंडिया अभियान के कारण, 11 करोड़ से अधिक किसान अब सीधे अपने बैंक खातों में पैसा प्राप्त करते हैं।
- भारत सरकार ने EKstep Foundation के सहयोग से किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए PM-किसान के साथ एक AI चैटबॉट लॉन्च किया।
- आयुष्मान भारत: समाज के कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है।
- 34.6 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए।
- डिजिलॉकर द्वारा 674 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज़ जारी किए गए।
- 137 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर बनाए गए हैं, जो हर भारतीय के लिए एक अनूठी पहचान है जो लाखों लोगों को डिजिटल पहचान के साथ सशक्त बना रही है।
- भारतनेट ने 6.83 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया है, जो पृथ्वी का 17 बार चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त है।
- नौ करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी किए गए, जो 2023 में दुनिया भर में बनने वाले वाहनों की संख्या के लगभग बराबर है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा), दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, ग्रामीण समुदायों को मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, वित्त और साइबर सुरक्षा जैसे ज़रूरी डिजिटल कौशल से लैस करता है, जिससे वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग ले सकें।
- सरकार ने ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की शुरुआत की है, जो सरकारी संगठनों/विभागों/पीएसयू द्वारा खरीदे जाने वाले अलग-अलग सामानों और सेवाओं के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म है, जो 11,900 उत्पाद श्रेणियों और 321 सेवा श्रेणियों की पेशकश करता है।
- भीम एक UPI-आधारित भुगतान ऐप है जो डिजिटल लेनदेन को सरल बनाता है।
- इसने लाखों उपयोगकर्ताओं को सहजता से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।
- यूपीआई लेनदेन के 535 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हुए हैं।

- स्वामित्व योजना: ड्रोन और तकनीक का उपयोग करते हुए, स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूस्वामियों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना है।
- जन धन योजना ने लाखों ऐसे व्यक्तियों के लिए बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान की है, जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं।
- यह कार्यक्रम डिजिटल भुगतान को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे नकद लेनदेन पर निर्भरता कम होती है।

चुनौतियाँ

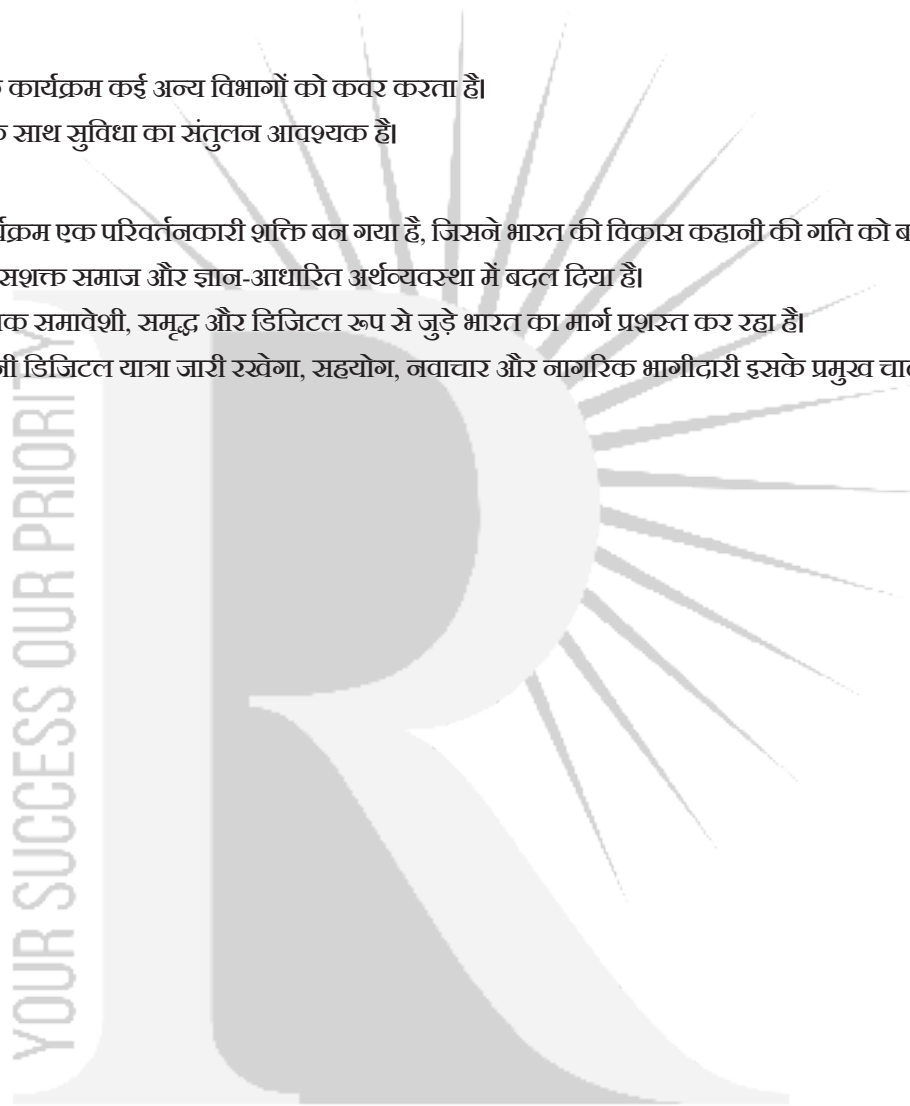
- जबकि डिजिटल इंडिया ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, डिजिटल साक्षरता, दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- डिजिटल पहुँच में असमानताएँ बनी हुई हैं और शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटना और हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुँचना एक चुनौती बनी हुई है।

वित्तीय संसाधन मुद्दे

- समन्वय मुद्दे क्योंकि कार्यक्रम कई अन्य विभागों को कवर करता है।
- गोपनीयता सुरक्षा के साथ सुविधा का संतुलन आवश्यक है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक परिवर्तनकारी शक्ति बन गया है, जिसने भारत की विकास कहानी की गति को बदल दिया है और देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया है।
- डिजिटल इंडिया अधिक समावेशी, समृद्ध और डिजिटल रूप से जुड़े भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
- जैसे-जैसे भारत अपनी डिजिटल यात्रा जारी रखेगा, सहयोग, नवाचार और नागरिक भागीदारी इसके प्रमुख चालक होंगे।



RAO'S ACADEMY

GST के सात साल पूरे हुए

पाठ्यक्रम: जीएसटी/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- जून 2024 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सात साल पूरे होने पर, सकल मासिक संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% की वृद्धि दर्शाता है।

के बारे में

- 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने जीएसटी की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया और इसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया।
- अप्रैल 2018 तक जीएसटी करदाताओं की संख्या 1.05 करोड़ से बढ़कर अप्रैल 2024 में 1.46 करोड़ हो गई है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है।
- जीएसटी प्रणाली एक दोहरी संरचना का पालन करती है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) शामिल हैं, जो क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती रूप से लगाया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात पर एक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, लेकिन गंतव्य राज्य को आवंटित किया जाता है।

माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद

- माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसे 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत स्थापित किया गया है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं।
- जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करती है, जिनमें शामिल हैं:
- जीएसटी के अंतर्गत आने वाले कर, उपकर और अधिभार
- जीएसटी के अधीन या छूट प्राप्त होने वाली वस्तुएँ और सेवाएँ
- मॉडल जीएसटी कानून, लेवी के सिद्धांत और आईजीएसटी का आवंटन
- कर की दरें, सीमा, विशेष प्रावधान और जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला
- विवाद समाधान: परिषद जीएसटी से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करती है।
- केंद्र के पास कुल मतदान शक्ति का एक तिहाई है, जबकि राज्यों के पास सामूहिक रूप से दो तिहाई है।

जीएसटी की मुख्य विशेषताएं

- एक राष्ट्र, एक कर: जीएसटी ने पूरे भारत में कर संरचना में एकरूपता ला दी, जिससे करों का व्यापक प्रभाव समाप्त हो गया।
- गंतव्य-आधारित कर: जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है, जो निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी): जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग की अनुमति देता है, जिसमें व्यवसाय उत्पादन या वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान में उपयोग किए गए इनपुट पर चुकाए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। यह दोहरे कराधान से बचने में मदद करता है और समग्र कर देयता को कम करता है।
- ऑनलाइन अनुपालन: जीएसटी ने पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, करों का भुगतान और अन्य अनुपालन-संबंधी गतिविधियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पेश किया।
- मुनाफाखोरी विरोधी उपाय: सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण व्यवसायों द्वारा अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं और मुनाफाखोरी में शामिल न होने की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एनएए) की स्थापना की।
- कंपोजिशन स्कीम: कंपोजिशन स्कीम छोटे करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिनका टर्नओवर एक निर्धारित सीमा से कम है। इस योजना के तहत, व्यवसायों को अपने टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत जीएसटी के रूप में देना होता है और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाया जाता है।

चुनौतियाँ

- रिफंड में देरी के मुद्दे: सरकार ने निर्यात रिफंड की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जीएसटी के तहत रिफंड की स्वचालित प्रक्रिया हमेशा से ही प्रमुख चिंता का विषय रही है।

- अपनाने और तकनीकी मुद्दे: छोटे और मध्यम व्यवसाय अभी भी तकनीक-सक्षम व्यवस्था के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जीएसटी व्यवस्था में चिंता के कई क्षेत्रों को भी उजागर किया है:
- कर दरों की बहुलता,
- पूर्वानुमान के मुकाबले जीएसटी संग्रह में कमी,
- जीएसटी संग्रह में उत्तु अस्थिरता,
- रिटर्न दाखिल करने में असंगतता,
- केंद्र से मुआवजे पर राज्यों की निर्भरता

आगे की राह

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने निरसंदेह भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करके, इसने अधिक कुशल और पारदर्शी कर व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया है।
- प्रारंभिक चुनौतियों और चल रहे समायोजनों के बावजूद, जीएसटी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, कर अनुपालन में सुधार करने और सरकार के लिए अधिक मजबूत राजस्व प्रणाली बनाने का वादा करता है।
- जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, चुनौतियों का समाधान करने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए जीएसटी ढांचे को ठीक किया जाना चाहिए।

केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य बातें

पाठ्यक्रम: जीएस3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया।

के बारे में

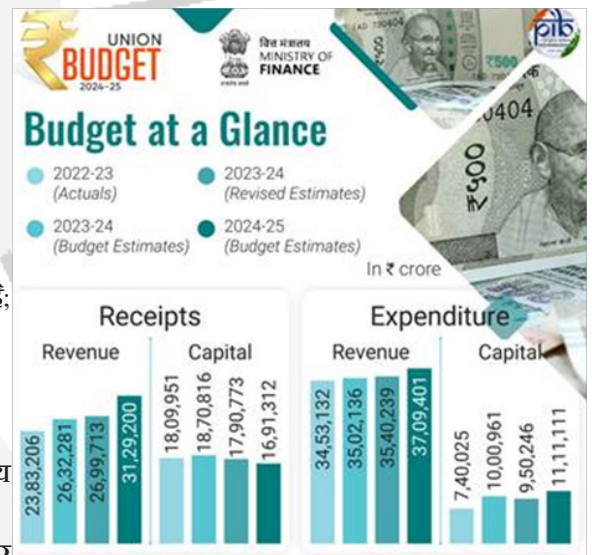
- 2024-25 के बजट अनुमान हैं
- उधार के अलावा कुल प्राप्ति: ₹32.07 लाख करोड़।
- कुल व्यय: ₹48.21 लाख करोड़।
- शुद्ध कर प्राप्ति: ₹25.83 लाख करोड़।
- राजकोषीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत।
- सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है।
- मुद्रास्फीति कम, स्थिर बनी हुई है और 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है; मुख्य मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) 3.1% पर है।
- बजट का फोकस रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग पर है।

रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं का पैकेज

- 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों का पैकेज।
- योजना A - पहली बार नौकरी करने वाले: ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का वेतन दिया जाएगा।
- योजना B - विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन: रोजगार के पहले 4 वर्षों में ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारी और नियोजक दोनों को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- योजना C - नियोजकों को सहायता: सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोजकों के ईपीएफओ अंशदान के लिए 2 वर्षों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी।
- कौशल विकास के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना: 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड किया जाएगा।
- 500 शीर्ष कंपनियों में इंटरशिप के लिए नई योजना, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नौ बजट प्राथमिकताएँ

- कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार और कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण और सेवाएँ
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- बुनियादी ढाँचा



- नवाचार, अनुसंधान और विकास और
- अगली पीढ़ी के सुधार

प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन।
- किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उत्तम उपज वाली और जलवायु-लचीली किस्में जारी की जाएंगी।
- प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) लागू की जाएगी।

प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल

- प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में, 'रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन' के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी – योजना A – पहली बार; योजना B – विनिर्माण में रोजगार सृजन; योजना C – नियोक्ताओं को सहायता।
- कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए;
- औद्योगिक सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेच स्थापित किए जाएंगे।
- महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- महिला SHG उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कौशल विकास: प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना।
- 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा।
- घरेलू संस्थानों में उत्तम शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता उन युवाओं को प्रदान की जाएगी जो सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

- पूर्वोदय: अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक नोड विकसित किया जाएगा।
- पीरपैती में 2400 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र सहित बिजली परियोजनाएं, 21,400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएंगी।
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम: चालू वित्त वर्ष में बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता।
- विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे के साथ कोप्पर्थी में और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के साथ ओरवाकल में औद्योगिक नोड्स।
- महिलाओं के नेतृत्व में विकास: महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल आवंटन।
- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास, जिसमें 63,000 गांव शामिल हैं, जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ स्थापित की जाएंगी।

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएँ

- विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना: मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए एमएसएमई को सावधि ऋण में बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के ऋण गारंटी योजना।
- तनाव की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता: एमएसएमई को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था।
- मुद्रा ऋण: 'तरुण' श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी, उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है।
- ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र: एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- महत्वपूर्ण खनिज मिशन: घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्विक्रय और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किए जाएंगे।
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) अनुप्रयोग: ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, रसद, एमएसएमई, सेवा वितरण और शहरी शासन के क्षेत्रों में DPI अनुप्रयोगों का विकास।

प्राथमिकता 5: शहरी विकास

- 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में कार्यान्वयन और वित्तपोषण के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजनाओं और रणनीतियों का निर्माण।
- स्ट्रीट मार्केट: चुनिंदा शहरों में अगले 5 वर्षों के लिए हर साल 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब के विकास का समर्थन करने के लिए नई योजना।

प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा

- सरकार भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करेगी तथा भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना करेगी।
- उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट: उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 800 मेगावाट का पूर्ण पैमाने का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी तथा बीएचईएल के बीच संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव।

प्राथमिकता 7: बुनियादी ढांचा

- केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश: पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.4%) प्रदान किए जाएंगे।
- राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश: बुनियादी ढांचे में निवेश में राज्यों को सहायता देने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पर्यटन: विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर तथा राजगीर का व्यापक विकास।

प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास

- आधारभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष का संचालन किया जाएगा।
- वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूरा।
- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।

प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

- ग्रामीण भूमि से संबंधित कार्य: सभी भूमि के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार, कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण आदि।
- एनपीएस वात्सल्य: नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए एनपीएस-वात्सल्य योजना।

कर संग्रह के लिए मुख्य बिंदु**अप्रत्यक्ष कर**

- जीएसटी: जीएसटी की सफलता से उत्साहित होकर, शेष क्षेत्रों में जीएसटी का विस्तार करने के लिए कर संरचना को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

क्षेत्र विशेष सीमा शुल्क प्रस्ताव

- दवाएँ और चिकित्सा उपकरण: तीन कैसर दवाओं अर्थात् ट्रैस्टुजुमाबडेक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।
- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत चिकित्सा एक्स-रे मशीनों में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब और प्लैट पैनेल डिटेक्टरों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में परिवर्तन।
- कीमती धातुएँ: सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया।
- दूरसंचार उपकरण: निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के पीसीबीए पर बीसीडी 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- व्यापार सुविधा: घरेलू विमानन और नाव और जहाज एमआरओ को बढ़ावा देने के लिए, मरम्मत के लिए आयातित वस्तुओं के निर्यात की समय अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई।
- वारंटी के तहत मरम्मत के लिए माल के पुनः आयात की समय-सीमा तीन से बढ़ाकर पाँच वर्ष की गई।
- महत्वपूर्ण खनिज: 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई।
- दो महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी घटाई गई।
- सौर ऊर्जा: सौर सेल और पैनल के निर्माण में उपयोग के लिए पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई।

प्रत्यक्ष कर

- करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयास जारी रहेंगे।
- वित्त वर्ष 23 में सरलीकृत कर व्यवस्था से कॉर्पोरेट कर का 58 प्रतिशत, वित्त वर्ष 24 में दो-तिहाई से अधिक करदाताओं ने व्यक्तिगत आयकर के लिए सरलीकृत कर व्यवस्था का लाभ उठाया।

पूंजीगत लाभ का सरलीकरण और युक्तिकरण

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20 प्रतिशत की कर दर लागू होगी।
- सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5 प्रतिशत की कर दर लागू होगी।
- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा बढ़ाकर ₹ 1.25 लाख प्रति वर्ष कर दी गई।

मुकदमेबाजी और अपील

- अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए 'विवाद से विश्वास योजना, 2024'।
- कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दाखिल करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमशः ₹60 लाख, ₹2 करोड़ और ₹5 करोड़ कर दी गई।

- मुकदमेबाजी को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय करधान में निश्चितता प्रदान करने के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों का विस्तार किया गया।

रोजगार और निवेश

- स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया।
- विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40 से घटाकर 35 प्रतिशत कर दी गई।

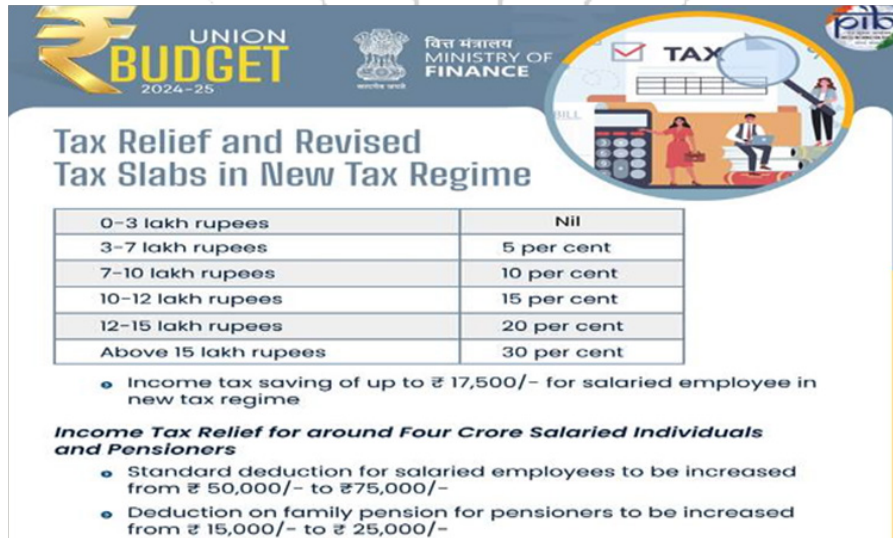
कर आधार को गहरा करना

- प्रतिभूतियों के वायदा और विकल्प पर सुरक्षा लेनदेन कर क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।
- प्राप्तकर्ता के हाथों शेयरों की पुनर्खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगाया जाएगा।

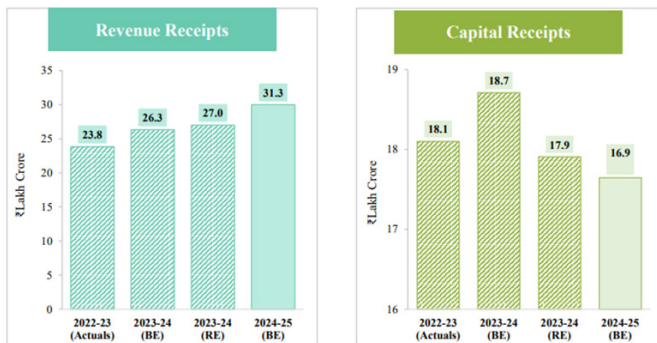
सामाजिक सुरक्षा लाभ

- नियोक्ता द्वारा एनपीएस के लिए व्यय की कटौती कर्मचारी के वेतन के 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की जाएगी।
- ₹20 लाख तक की छोटी चल विदेशी संपत्तियों की गैर-रिपोर्टिंग पर जुर्माना समाप्त।

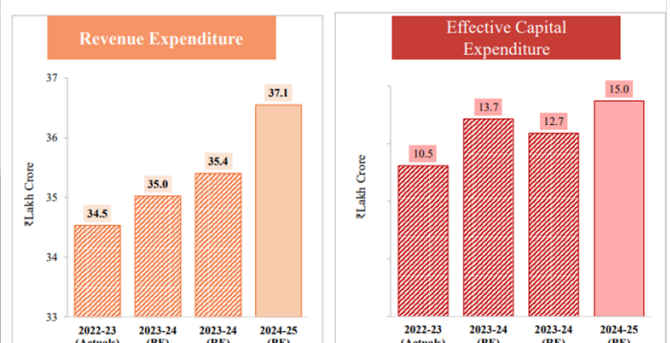
नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव



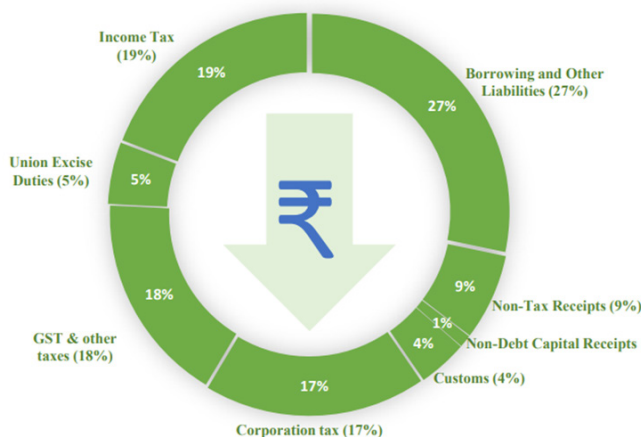
Receipts



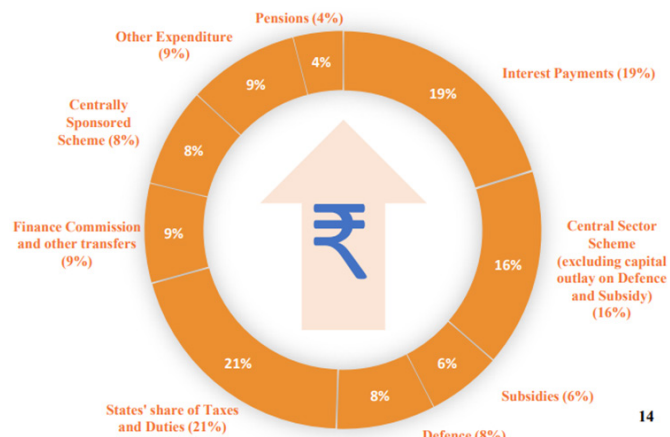
Expenditure



Rupee Comes From



Rupee Goes To



वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS)

- अनुच्छेद 112 के तहत प्रदान किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) में 2024-25 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय के साथ-साथ 2023-24 के अनुमान और वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़े दिखाए जाते हैं।

- प्राप्तियां और संवितरण तीन भागों में दिखाए जाते हैं जिनमें सरकारी खाते रखे जाते हैं।

क. भारत की समेकित निधि,

ख. भारत की आकरिमकता निधि और

ग. भारत का सार्वजनिक लेखा।

घ. वार्षिक वित्तीय विवरण राजस्व खातों पर व्यय को अन्य खातों पर व्यय से अलग करता है, जैसा कि भारत के संविधान में अनिवार्य है।

- राजस्व और पूंजी अनुभाग मिलकर केंद्रीय बजट बनाते हैं।

मुख्य विशेषताएं: आर्थिक सर्वेक्षण 2024

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

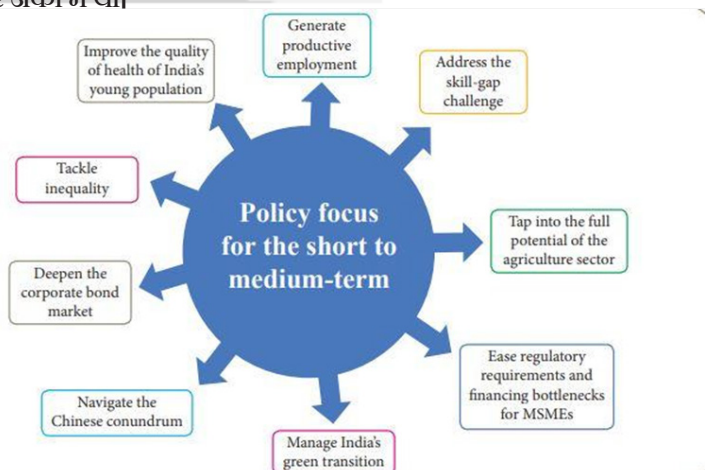
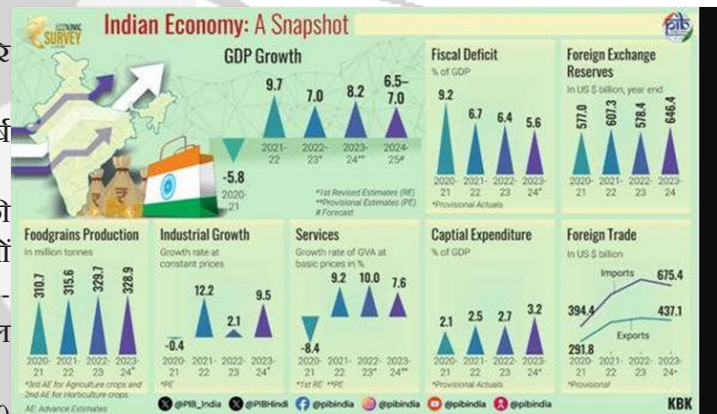
- वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले संसद में अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण पेश किया।

आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में

- इसे वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
- इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार 1950-51 में बजट दस्तावेजों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था।
- इसे 1960 के दशक में अलग कर दिया गया था और अब इसे केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण में दो भाग होते हैं।
- दस्तावेज के पहले भाग में देश के आर्थिक विकास और चुनौतियाँ शामिल हैं।
- यह अर्थव्यवस्था पर समग्र समीक्षा भी प्रस्तुत करता है। दूसरा भाग पिछले वित्तीय वर्ष पर केंद्रित है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024 की मुख्य विशेषताएं

- लचीली भारतीय अर्थव्यवस्था: अर्थव्यवस्था लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ी।
- 2011-12 की कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (GVA) वित्त वर्ष 24 में 7.2 प्रतिशत बढ़ा।
- वित्त वर्ष 24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 20 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक थी, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, और वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद भी मजबूत विकास जारी रखने की प्रबल संभावना का संकेत देती है।
- पिछले वित्तीय वर्ष के लिए भारत का CAD (चालू खाता घाटा) वित्त वर्ष 24 के दौरान GDP का 0.7 प्रतिशत रहा, जो वित्त वर्ष 23 में GDP के 2.0 प्रतिशत के घाटे से बेहतर है।
- भारत का विदेशी ऋण पिछले कुछ वर्षों में संधारणीय रहा है, मार्च 2024 के अंत में विदेशी ऋण-से-जीडीपी अनुपात 18.7 प्रतिशत था।
- स्थिर बैंकिंग क्षेत्र: बैंक ऋण वृद्धि व्यापक-आधारित और दोहरे अंकों में थी।
- सकल और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुँच गईं।
- मुख्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट: मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत पर - महामारी के बाद से सबसे निचला स्तर, मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण - माल और सेवा दोनों।
- मुख्य सेवाओं की मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में नौ साल के निचले स्तर पर आ गई; इसी समय, मुख्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति भी चार साल के निचले स्तर पर आ गई।
- खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय: यह वित्त वर्ष 23 में 6.6 प्रतिशत थी और वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई।
- चरम मौसम की घटनाओं, समाप्त हो रहे जलाशयों और फसल क्षति के कारण, भारत के कृषि क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।



- FDI प्रवाह धीमा: भारत में शुद्ध FDI प्रवाह वित्त वर्ष 23 के दौरान \$42 बिलियन से घटकर वित्त वर्ष 24 में \$26.5 बिलियन हो गया।
- हालांकि, सकल FDI प्रवाह वित्त वर्ष 23 में \$71.4 बिलियन से घटकर वित्त वर्ष 24 में \$71 बिलियन से कुछ कम होकर केवल 0.6 प्रतिशत रह गया।
- बाहरी क्षेत्र: भू-राजनीतिक प्रतिकूलताओं और लगातार मुद्रास्फीति के बावजूद भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना रहा।
- लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक: भारत ने 139 देशों में 2018 में 44वें स्थान से 2023 में 38वें स्थान पर अपनी रैंकिंग में सुधार किया।
- निर्यात विविधीकरण: भारत अधिक निर्यात गंतव्यों को जोड़ रहा है, जो क्षेत्रीय विविधीकरण का संकेत देता है।
- सेवा निर्यात: वित्त वर्ष 24 में 4.9% बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आईटी/सॉफ्टवेयर सेवाओं और 'अन्य' व्यावसायिक सेवाओं द्वारा वृद्धि को बढ़ावा मिला।
- विप्रेषण: भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश है, जो 2023 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश: मजबूत आर्थिक विकास, स्थिर कारोबारी माहौल और निवेशकों के बढ़ते विश्वास के कारण वित्त वर्ष 24 में सकारात्मक शुद्ध प्रवाह हुआ।
- 2047 तक भारत की ऊर्जा जरूरतें 2 गुना बढ़ जाएँगी: बढ़ती अर्थव्यवस्था की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत की ऊर्जा जरूरतें 2047 तक 2 से 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है।
- मई 2024 तक, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4 प्रतिशत तक पहुँच गई है।
- देश ने 2019 में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 प्रतिशत तक कम कर दिया है।
- औपचारिक रोजगार वृद्धि: पिछले पाँच वर्षों में EPFO के तहत शुद्ध पेंशन वृद्धि दोगुनी से अधिक हो गई है, जो औपचारिक रोजगार में मजबूत वृद्धि का संकेत देती है।
- क्षेत्रीय प्रदर्शन: कृषि और खाद्य प्रबंधन क्षेत्र ने पिछले पाँच वर्षों में स्थिर मूल्यों पर 4.18 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है।
- सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जो वित्त वर्ष 24 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55 प्रतिशत है।
- उभरती हुई नौकरी की माँग: ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑनमोटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, वेब और मोबाइल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में अधिक और अधिक केंद्रित कौशल की आवश्यकता है।
- रोजगार परिदृश्य: यह अनुमान है कि भारत का कार्यबल लगभग 565 मिलियन है, जिसमें 45 प्रतिशत से अधिक कृषि, 11.4 प्रतिशत विनिर्माण, 28.9 प्रतिशत सेवाओं और 13.0 प्रतिशत निर्माण में लगे हुए हैं।
- सेवा क्षेत्र एक प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता बना हुआ है, जबकि सरकारी बुनियादी ढाँचा पहलों के कारण निर्माण क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है।
- सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक प्रतिवर्ष 7.85 मिलियन गैर-कृषि नौकरियाँ सृजित करने की आवश्यकता है।
- मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के सामाजिक-आर्थिक नतीजे: यह पहली बार मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के सामाजिक-आर्थिक नतीजों को व्यापक रूप से कवर करता है।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) 2015-16 के अनुसार, भारत में 10.6 प्रतिशत वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, जिनमें विभिन्न स्थितियों के लिए उपचार अंतराल 70 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक है।
- यह इस समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक, समुदाय-आधारित दृष्टिकोण की वकालत करता है।
- नए भारत के लिए विकास रणनीति: रोजगार और कौशल सृजन अल्पावधि से मध्यम अवधि में प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक होना चाहिए।
- अन्य प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन, एमएसएमई की बाधाओं को दूर करना, भारत के हरित संक्रमण का प्रबंधन करना, चीनी पहेली से कुशलतापूर्वक निपटना, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना, असमानता से निपटना और हमारी युवा आबादी के स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है।

भारत का कपड़ा क्षेत्र

पाठ्यक्रम: जीएस 3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत का परिधान निर्यात 14.5 बिलियन डॉलर रहा, जबकि 2013-14 में यह 15 बिलियन डॉलर था।

के बारे में

- रिपोर्ट ने हाल के वर्षों में भारत के परिधान और वस्त्र आयात में लगातार वृद्धि के बारे में चिंता जताई है, जो 2023 में लगभग 9.2 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया था।
- जटिल प्रक्रियाएँ, आयात प्रतिबंध और घरेलू निहित स्वार्थ भारतीय परिधान निर्यात वृद्धि को रोक रहे हैं।

भारत में कपड़ा और परिधान उद्योग

- घरेलू व्यापार में हिस्सेदारी: भारत में घरेलू परिधान और कपड़ा उद्योग लगभग योगदान देता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% योगदान देता है।

- वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी: भारत का वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में 4% हिस्सा है।
- निर्यात: भारत वस्त्र और परिधान का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- कच्चे माल का उत्पादन: भारत दुनिया में कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दुनिया का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत से आता है।
- रोजगार सृजन: यह उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है जो 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और संबद्ध क्षेत्र में 100 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- क्षेत्र: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड और गुजरात भारत में शीर्ष कपड़ा और परिधान विनिर्माण राज्य हैं।

कपड़ा उद्योग के सामने चुनौतियाँ

- महंगा कच्चा माल: कपड़े के आयात के लिए हाल ही में जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों ने आवश्यक कच्चे माल को लाने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है।
- यह परिदृश्य निर्यातकों को महंगी घरेलू आपूर्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है, जिससे भारतीय वस्त्र अत्यधिक महंगे हो जाते हैं और वैश्विक खरीदारों के लिए आकर्षक नहीं रह जाते हैं, जो विशिष्ट कपड़े स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं।
- कपास की कीमत में उतार-चढ़ाव: भारत कपास का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता है। कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव कपड़ा निर्माताओं के लिए उत्पादन की लागत को प्रभावित करता है।
- बांग्लादेश से आयात: बांग्लादेश के पास भारतीय बाजार में शुल्क-मुक्त पहुँच होने के कारण, वे वस्त्र भारत में 15-20% कम कीमत पर उपलब्ध हैं।
- जब कपड़े का आयात किया जाता है, तो भारत में कपास, कताई, बुनाई, कॉम्पैक्टिंग और प्रसंस्करण क्षेत्रों में नौकरियाँ खत्म हो जाती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा: भारतीय और बांग्लादेशी परिधानों के बीच कुल लागत का अंतर लगभग 2-3% होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में श्रम लागत लगभग 30% कम है।
- 2013 और 2023 के बीच, वियतनाम से परिधान निर्यात लगभग 82% बढ़कर 33.4 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि बांग्लादेश से लगभग 70% बढ़कर 43.8 बिलियन डॉलर हो गया है।
- बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ: अपर्याप्त परिवहन प्रणाली, बिजली की कमी और पुरानी तकनीक सहित बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ, कपड़ा निर्माण प्रक्रिया की दक्षता में बाधा डालती हैं।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन: भारत में कई कपड़ा इकाइयाँ अभी भी पुरानी मशीनरी और तकनीक का उपयोग करती हैं।

वस्त्र उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार की पहल

- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS): विनिर्माण में “शून्य प्रभाव और शून्य दोष” के साथ “मेक इन इंडिया” के माध्यम से रोजगार पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, 2016 में ऋण से जुड़ी पूंजी निवेश सब्सिडी (CIS) प्रदान करने के लिए ATUFS की शुरुआत की गई थी।
- कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ): कपड़ा क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, “कौशल भारत” पहल के व्यापक नीति दिशानिर्देशों के तहत योजना तैयार की गई थी।
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन: रणनीतिक क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न प्रमुख मिशनों, कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को विकसित करने के लिए 4 साल (2020-21 से 2023-24) की अवधि के लिए मिशन को मंजूरी दी गई थी।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना - देश में मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना।
- पीएम-मित्र: विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों में 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM मित्र) पार्कों की स्थापना के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क (SITP) योजना: SITP को सामान्य सुविधाओं, उपयोगिताओं और सेवाओं सहित बुनियादी ढाँचा समर्थन प्रदान करके कपड़ा उद्योग समूहों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका लक्ष्य कपड़ा निर्माण के लिए अधिक संगठित और कुशल दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है।
- एकीकृत कौशल विकास योजना (ISDS): ISDS उद्योग की श्रम चुनौतियों का समाधान करने के लिए कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसका उद्देश्य श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान मिलता है।

आगे की राह

- उद्योग को मांग में सुधार की उम्मीद है, लेकिन उद्योग को केंद्र और राज्य स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए समग्र उपायों की तत्काल आवश्यकता है।
- इसलिए, ‘मेक इन इंडिया’ अभियान की तर्ज पर, सरकार को भारतीय परिधानों की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- हालांकि आयात की मौजूदा मात्रा घरेलू बाजार के समग्र आकार की तुलना में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इन ऑर्डरों को स्थानीय निर्माताओं को देने से उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

भारत वैश्विक क्षमता केंद्र विकास के केंद्र में: सर्वेक्षण

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, डिजिटल इंडिया जैसी विभिन्न पहलों और व्यापार को आसान बनाने की नीतियों के तहत रणनीतिक दृष्टिकोणों ने वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के लिए ऑनलाइन अनुमोदन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है।
- इन्हें पहले 'कैप्टिव सेंटर' कहा जाता था और अब इन्हें GIC (ग्लोबल इन-हाउस सेंटर) या GCC के रूप में संबोधित किया जाने लगा है।
- वैश्विक क्षमता केंद्र बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा रणनीतिक कार्यों की एक श्रृंखला को निष्पादित करने के लिए स्थापित अपतटीय इकाइयाँ हैं।
- GCC कंपनियों को अपनी मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं जबकि अन्य स्थानों पर केंद्रों के कौशल का उपयोग करके विकास करते हैं और नए विचारों के साथ आते हैं।
- जीसीसी नवाचार केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं - वे विशिष्ट प्रतिभाओं को एक साथ लाते हैं, सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं, और विविध दृष्टिकोणों का लाभ उठाते हैं।

भारत की अवैध कोयला खनन समस्या

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- हाल ही में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक अवैध कोयला खदान के अंदर दम घुटने से तीन श्रमिकों की मौत हो गई।
- कोयला भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का 55% हिस्सा पूरा करता है।
- कोयला मंत्रालय के अनुसार, भारत में अवैध खनन ज्यादातर दूरदराज या अलग-थलग स्थानों पर परित्यक्त खदानों या उथले कोयला सीमों में किया जाता है।
- अवैध खनन अक्सर बड़े पैमाने पर कानूनी संचालन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक तरीकों के बजाय सतही खनन और रैट-होल खनन जैसी अल्पविकसित तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है।

कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण

- भारत में कोयले का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया: पहला 1971-72 में कोकिंग कोल (इस्पात उद्योग में कोक के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है); और फिर 1973 में गैर-कोकिंग कोयला खदानों के साथ।
- कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 केंद्रीय कानून है जो भारत में कोयला खनन के लिए पात्रता निर्धारित करता है।
- अवैध खनन कानून और व्यवस्था की समस्या है, जो राज्य सूची का विषय है। इसलिए, इससे निपटने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के बजाय राज्य सरकारों पर है।

अवैध कोयला खनन में श्रमिकों के सामने आने वाली समस्याएँ

- अवैध कोयला खनन के दौरान होने वाली मौतों का मुख्य कारण सुरक्षा उपकरणों और प्रोटोकॉल की कमी है। कोयला धूल के साँस लेने के कारण खनिकों को श्वसन संबंधी जोखिम बढ़ जाता है, और सुरक्षा उपकरणों की कमी इस जोखिम को काफी हद तक बढ़ा देती है।
- अवैध खदानों में कोयले की निकासी के लिए उचित संरचनात्मक समर्थन का अभाव है, जिससे काम करने की स्थिति खतरनाक हो जाती है और धंसने, भूस्खलन और विस्फोटों के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
- श्रमिक सीसा और पारा जैसे विषैले पदार्थों के उच्च स्तर के संपर्क में आते हैं, जो तीव्र विषाक्तता या दीर्घकालिक पुरानी चिकित्सा स्थितियों का कारण बन सकते हैं।
- अवैध कोयला खदानों में काम करने वाले कई लोग इस काम और इससे होने वाले जोखिमों के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं। उचित प्रशिक्षण, त्वरित प्रतिक्रिया सुविधाओं और आपात स्थिति के मामले में जानकारी का अभाव है।

अवैध कोयला खनन को कम करने की चुनौतियाँ

- आर्थिक निर्भरता: कई स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ कोयला खनन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। जब आधिकारिक खनन कार्य बंद हो जाते हैं, तो अवैध खनन अक्सर स्थानीय समुदायों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत बन जाता है।
- गरीबी और बेरोज़गारी: जिन क्षेत्रों में रोज़गार के सीमित अवसर हैं, वहाँ अवैध खनन कई लोगों के लिए आजीविका का साधन है, जिससे अंतर्निहित आर्थिक मुद्दों को संबोधित किए बिना इसे खत्म करना मुश्किल हो जाता है।
- कोयले की उच्च माँग: कोयला भारत में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, जो माँग को बढ़ाता है और अवैध खनन को आकर्षक बनाता है।
- कमज़ोर कानून प्रवर्तन: कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सीमित संसाधन और क्षमता के कारण अवैध खनन गतिविधियों की अप्रभावी पुत्तिसिंग हो सकती है।
- तकनीकी चुनौतियाँ: अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी और पता लगाना, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।

- राजनीतिक नेताओं का समर्थन: यह आरोप लगाया गया है कि असम के साथ-साथ मेघालय और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी राजनीतिक नेताओं के संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कोयला खनन जारी है।

अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- भारत सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए एक मोबाइल ऐप "खनन प्रहरी" और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CMSMS) लॉन्च किया है, ताकि संबंधित कानून और व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा निगरानी की जा सके और उस पर उचित कार्रवाई की जा सके।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 2014 में रैट-होल कोयला खनन की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और यह खनिकों के जीवन के लिए खतरा है।
- अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की कुछ सहायक कंपनियों में विभिन्न स्तरों (ब्लॉक स्तर, उप-मंडल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर) पर समिति/कार्य बल का गठन किया गया है।

आगे की राह

- आर्थिक विकास: अवैध खनन पर निर्भरता कम करने के लिए खनन पर निर्भर क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के अवसर और आर्थिक विकास पहल प्रदान करना।
- बेहतर निगरानी: खनन गतिविधियों की निगरानी और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करें।
- सामुदायिक सहभागिता: अवैध खनन के जोखिमों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे निपटने में उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ें।

भारत का इथेनॉल उत्पादन चीनी से मक्का की ओर स्थानांतरित हो रहा है

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- पेट्रोल के साथ मिश्रण में उपयोग किए जाने वाले इथेनॉल के उत्पादन के लिए अनाज ने गन्ने को प्राथमिक फीडस्टॉक के रूप में पीछे छोड़ दिया है।
- चालू आपूर्ति वर्ष 2023-2024 में, चीनी मिलों और डिस्टिलरी ने तेल विपणन कंपनियों को 401 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति की।
- इसमें से, 211 करोड़ लीटर या 52.7% मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (मुख्य रूप से टूटे/पुराने चावल जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं) का उपयोग करके उत्पादित इथेनॉल था, जबकि गन्ना आधारित फीडस्टॉक (गुड़ और पूरा रस/सिरप) शेष 190 करोड़ लीटर के लिए जिम्मेदार था।
- यह पहली बार है कि भारत के इथेनॉल उत्पादन में अनाज का योगदान 50% से अधिक हो गया है।

इथेनॉल क्या है?

- इथेनॉल 99.9% शुद्ध अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाया जा सकता है।
- अल्कोहल उत्पादन में खमीर का उपयोग करके चीनी का किण्वन शामिल है। गन्ने के रस या गुड़ में, चीनी सुक्रोज के रूप में मौजूद होती है जिसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ा जाता है।
- अनाज में स्टार्च भी होता है, एक कार्बोहाइड्रेट जिसे पहले निकाला जाना चाहिए और सुक्रोज और सरल शर्करा में परिवर्तित किया जाना चाहिए, उसके बाद किण्वन, आसवन और निर्जलीकरण से इथेनॉल बनाया जाना चाहिए।

इथेनॉल मिश्रण

- सरकार द्वारा 2018 में अधिसूचित 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति' में 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 2014 में भारत में पेट्रोल में केवल 1.5 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता था।
- 2014 से सरकार द्वारा किए गए उत्साहजनक प्रदर्शन और विभिन्न हस्तक्षेपों को देखते हुए, 20% लक्ष्य को 2025-26 तक आगे बढ़ा दिया गया।

इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है?

- 2017-18 तक, इथेनॉल का उत्पादन केवल गुड़ से किया जा रहा था, जो सुक्रोज युक्त घने गहरे भूरे रंग का तरल उपोत्पाद है जिसे मिलें आर्थिक रूप से पुनर्प्राप्त नहीं कर सकती हैं और चीनी में क्रिस्टलीकृत नहीं कर सकती हैं।
- हालांकि गन्ना एक पानी की खपत करने वाली फसल है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि गन्ने से उत्पादित केवल एक लीटर इथेनॉल में कम से कम 2,860 लीटर पानी की खपत होती है।
- भारत को 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए 1320 मिलियन टन गन्ना, 19 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि और 348 बिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने अनाज की मुद्रास्फीति पर चिंताओं के कारण चावल के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है और इसलिए मक्का शीर्ष इथेनॉल फीडस्टॉक के रूप में उभरा है।

बजट 2024: शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप; GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- 2024-25 के लिए हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट का लक्ष्य देश में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए ₹1.48 लाख करोड़ प्रदान करना है।

बजट आवंटन (समग्र दृष्टि)

- शिक्षा, रोजगार और कौशल पर बजट का जोर एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इसका उद्देश्य भारत को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि की ओर ले जाना है।

बजट अनुमान (2024-25)

- कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर): ₹32.07 लाख करोड़।
- कुल व्यय: ₹48.21 लाख करोड़।
- शुद्ध कर प्राप्तियाँ: ₹25.83 लाख करोड़।
- राजकोपीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 4.9%। सरकार का लक्ष्य अगले साल इसे और कम करके 4.5% से नीचे लाना है।

बजट 2024-25 में शिक्षा पहल

- इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को आसान बनाना और हमारे युवाओं को भविष्य के लिए आवश्यक कौशल से सशक्त बनाना है।
- उच्च शिक्षा: घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को ₹10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, खासकर उन लोगों को जिन्हें पहले सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ नहीं मिला है।

रोजगार और कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज

- योजना A – पहली बार नौकरी पाने वाले: ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने का वेतन (₹15,000 तक) मिलेगा।
- योजना B – विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन: रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान ईपीएफओ में उनके योगदान के आधार पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सीधे प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- योजना C – नियोक्ताओं को सहायता: सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए दो वर्षों के लिए प्रति माह ₹3,000 तक की प्रतिपूर्ति करेगी।
- इसके अतिरिक्त, एक नई केंद्र प्रायोजित योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना है, जिसमें 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।

रोजगार और कौशल

- युवाओं के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज: बजट में अगले पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक पैकेज की घोषणा की गई। इस पैकेज में ₹2 लाख करोड़ का केंद्रीय परिव्यय है।
- कौशल विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना: सरकार ने अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है।
- राज्यों और उद्योग के साथ यह सहयोगात्मक प्रयास रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रासंगिक कौशल प्रदान करने पर केंद्रित होगा।
- मॉडल कौशल ऋण योजना: मौजूदा मॉडल कौशल ऋण योजना को ₹7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा के लिए संशोधित किया जाएगा। इससे अधिक व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- कौशल विकास और उन्नयन: इस बजट के हिस्से के रूप में, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को उन्नत किया जाएगा। कौशल विकास आर्थिक विकास और व्यक्तिगत सशक्तीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है।
- इसके अतिरिक्त, भारत के पूर्वी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 'पूर्वोदय' नामक एक योजना तैयार की जाएगी, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल होंगे।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना विस्तार: सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पाँच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना से देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे कमज़ोर आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- हाशिए पर पड़े समूहों पर ध्यान: जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया है, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को समर्थन देने पर नए सिरे से ध्यान दिया गया है। बजटीय प्रावधानों का उद्देश्य लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से समाज के इन वर्गों का उत्थान करना है।
- ग्रामीण विकास और बुनियादी ढाँचा: ग्रामीण बुनियादी ढाँचे सहित ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ का पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का वरण IV शुरू किया जाएगा।

निष्कर्ष

- बजट 2024-25 एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक विकास को संबोधित करता है। इसका उद्देश्य युवाओं से लेकर महिलाओं और मध्यम वर्ग तक समाज के सभी वर्गों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करना है।
- यह भारत के भविष्य को आकार देने में शिक्षा और कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। हमारे युवाओं में निवेश करके और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर, सरकार का लक्ष्य एक ज़्यादा लचीला और समृद्ध राष्ट्र बनाना है।

केंद्रीय बजट 2024: सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त किया जाएगा**पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था****समाचार में**

- भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, बजट 2024 ने सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की। एंजल टैक्स सिस्टम में बदलाव 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

एंजल टैक्स क्या है?

- वित्त अधिनियम के तहत 2012 में पेश किया गया।
- एंजल टैक्स से तात्पर्य उस आयकर से है जिसे सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई फंडिंग पर लगाती है, अगर उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाज़ार मूल्य से अधिक है। यह आयकर अधिनियम की धारा 56 (II) (viiB) के अंतर्गत आता है।
- पहले एंजल टैक्स केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था, लेकिन 2023-24 वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) के बजट में विदेशी निवेश को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया गया।
- इसे शुरू करने का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाना और बेहिसाब धन के प्रवाह को रोकना था। हालाँकि, इसने स्टार्टअप और निवेशकों के बीच विवाद को जन्म दिया है, जो दावा करते हैं कि यह नवाचार और धन उगाहने के प्रयासों में बाधा डालता है।

समाप्त करने के कारण

- यह भारतीय स्टार्टअप इको-सिस्टम को मजबूत करेगा, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देगा और नवाचार का समर्थन करेगा।
- यह भारत में FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को कम करता है। एंजल टैक्स को समाप्त करने से विभिन्न निवेशकों की चिंताएँ दूर होंगी, खासकर पिछले एक साल में फंडिंग में गिरावट के साथ।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम के धीमे होने के कारण भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है।
- एक "यूनिकॉर्न" एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप व्यवसाय है जिसकी कीमत \$1 बिलियन से अधिक है।

भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम

- भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
- इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, डिजिटलीकरण और सरकारी पहल जैसे कई कारकों ने भारत में 2014 से 2023 तक शीर्ष-वित्तपोषित क्षेत्रों की वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इन क्षेत्रों में रिटेल, एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन, फिनटेक, परिवहन और लॉजिस्टिक्स तकनीक, खाद्य और कृषि तकनीक, ऑटो तकनीक, यात्रा और आतिथ्य तकनीक और एडटेक शामिल हैं।
- महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में भी पिछले दस वर्षों में वृद्धि देखी गई है, इन कंपनियों के लिए कुल फंडिंग 2014 में \$0.456 बिलियन से बढ़कर 2023 में \$1.1 बिलियन तक पहुंच गई है।

स्टार्टअप्स में भारतीय पहल

- स्टार्टअप इंडिया पहल: जनवरी 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देते हुए और निवेश को प्रोत्साहित करते हुए एक मजबूत घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
- DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGSS) सहित योजनाओं के तहत कई तरह के प्रोत्साहन मिलते हैं।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना: इसे वित्त वर्ष 22 से चार साल के लिए ₹945 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
- इसका उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- स्टार्टअप महाकुंभ: सरकार भारत के स्टार्टअप कौशल को प्रदर्शित करने और पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का भी आयोजन कर रही है।
- सरकार द्वारा ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में उठाए गए कदम व्यवसायों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रीसाइक्लिंग और ऊर्जा भंडारण समाधान तलाशने और बनाने के लिए बहुत सारे अवसर खोल रहे हैं।
- स्टार्टअप20: भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत पहली बार सहभागिता समूह, स्टार्टअप20 की शुरुआत के साथ, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक मान्यता और प्रभाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बावजूद, कई उद्यमों को अभी भी विनियामक वातावरण में नेविगेट करने और संचालन के लिए आवश्यक अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

- एक और चुनौती बुनियादी ढाँचे की कमी है।
- व्यवसायों के सामने एक बड़ी चुनौती अधिक कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है।
- स्टार्टअप अब तक ज्यादातर शहरी परिदृश्य में मौजूद हैं।
- सामाजिक उद्यमों को अक्सर निवेश हासिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई निवेशक अभी भी अप्रमाणित व्यवसाय मॉडल और तकनीकों में निवेश करने के बारे में सतर्क हैं।

बजट 2024 में UK, EU के साथ FTA को सुगम बनाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम को आसान बनाया गया

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- UK और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए, केंद्रीय बजट 2024 ने सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन पेश किए हैं।
- इसने मूल्य-संवर्धन मानदंडों के अनुपालन को उदार बनाया है जो आम तौर पर किसी व्यापार समझौते में सहमत रियायतों के दुरुपयोग से बचाव करते हैं।
- मूल के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं।
- जबकि व्यापार समझौते भागीदार देशों के साथ व्यापार की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर यह जोखिम होता है कि यदि मूल के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो रियायतों से लाभ उठाने वाला कोई तीसरा देश राजस्व की हानि का सामना कर सकता है।
- सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28DA में संशोधन किया है जिसमें मूल के 'प्रमाणपत्र' के स्थान पर मूल के 'प्रमाण' को प्रतिस्थापित किया गया है।
- बजट में "मूल प्रमाण" को व्यापार समझौते के अनुसार "प्रमाणपत्र" या "घोषणा" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भविष्य के एफटीए पर प्रभाव: संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम अब मूल प्रमाण (यदि भारत ने किसी समझौते में ऐसा निर्णय लिया है) को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है, जो एक व्यापक शब्द है जिसमें मूल प्रमाण पत्र के साथ-साथ वैश्विक सीमा शुल्क मानदंडों के अनुरूप स्व-घोषणा भी शामिल है।
- सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन भविष्य के व्यापार समझौतों को प्रभावित करेगा, जिसमें यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ हस्ताक्षरित समझौता भी शामिल है, जिसमें स्व-प्रमाणन की अनुमति देने का प्रावधान है जिसे भविष्य में सक्रिय किया जा सकता है।

संशोधनों की आवश्यकता

- वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (GTRI) के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से चांदी के आयात में लगभग 60 गुना उछाल असामान्य है क्योंकि पश्चिम एशियाई देश चांदी का उत्पादन नहीं करता है और आयात में उछाल एफटीए के तहत भारत और UAE द्वारा अंतिम रूप दिए गए मूल नियम के उल्लंघन का संकेत हो सकता है।
- भारत ने 2020 में उन देशों के माध्यम से माल के पुनर्निर्देशन के कुछ उदाहरणों के बाद मूल सत्यापन मानदंडों, CAROTAR के कड़े नियम पेश किए, जिनके साथ भारत के FTA हैं।
- थाईलैंड जैसे कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने बाद में भारत-आसियान FTA समीक्षा में CAROTAR मानदंडों के खिलाफ चिंता जताई।
- विकसित देशों में अच्छी ट्रैकिंग प्रणाली है, और उन देशों में FTA पर हस्ताक्षर करने के लिए स्व-प्रमाणन मोड पहले से ही चलन में है।
- भारत अभी भी मूल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के अधिकार पर जोर दे रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया और वियतनाम के माध्यम से चीन और अन्य देशों से माल भेजे जाने के बुरे अनुभव हैं।

भारत में सीमा शुल्क अधिनियम

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य माल के आयात और निर्यात को विनियमित करना, अवैध व्यापार को रोकना और सरकार द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क को लागू करना है।
- प्रशासन: अधिनियम का प्रशासन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है।

मुख्य प्रावधान:

- सीमा शुल्क: यह माल के आयात और निर्यात पर देय शुल्कों को निर्दिष्ट करता है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है।
- निषिद्ध माल: उन वस्तुओं को निर्दिष्ट करता है जिन्हें आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है।
- दंड: तस्करी, शुल्क की चोरी और अन्य उल्लंघनों जैसे विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है।
- न्यायनिर्णयन: विवादों और उल्लंघनों के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है।
- अपील: सीमा शुल्क अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च अधिकारियों और न्यायालयों में अपील करने की अनुमति देता है।
- प्रवर्तन: अधिनियम सीमा शुल्क अधिकारियों को सीमा शुल्क कानूनों को लागू करने, कार्गो का निरीक्षण करने, परिसर की तलाशी लेने और माल जब्त करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2024-25 के अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम

- यह भारत का बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को “स्मार्ट सिटी” के रूप में विकसित करना और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की तकनीकों को एकीकृत करना है।
- इस तरह के सबसे पुराने गलियारे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) और पश्चिमी समर्पित माल गलियारा हैं, जो भारत की परिवहन रीढ़ हैं।
- भारत सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) के माध्यम से, औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इविटी/ऋण के रूप में धन उपलब्ध कराती है।
- राज्य समीपवर्ती और भार मुक्त भूमि पार्सल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं।

पूंजीगत लाभ कर

पाठ्यक्रम: जीएस3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2024-25 ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर आय पर करधान बढ़ा दिया है और प्रतिभूतियों के वायदा और विकल्प (एफएंडओ) पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को भी दोगुना कर दिया है।
- सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया।
- हालांकि, इन परिसंपत्तियों पर एलटीसीजी के लिए 1 लाख रुपये की छूट सीमा भी बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है।
- अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है।

पूंजीगत लाभ कर

- यह प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जो परिसंपत्तियों या निवेशों की बिक्री से अर्जित आय के कारण चुकाया जाता है।
- खेतों, बॉन्ड, शेयरों, व्यवसायों, कला और घरों में निवेश पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतर्गत आते हैं।
- एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश के मुनाफे पर दीर्घकालिक लाभ लगाया जाता है।
- अल्पकालिक लाभ पर व्यक्ति की नियमित आयकर दर पर कर लगाया जाता है, जो दीर्घकालिक लाभ पर कर से अधिक है।

नमो ड्रोन दीदी योजना

पाठ्यक्रम: जीएस 3/अर्थव्यवस्था और कृषि

संदर्भ

- वित्त मंत्रालय ने 2024-25 के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 500 करोड़ रुपये और प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 365.64 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

नमो ड्रोन दीदी योजना

- यह एक पहल है जिसका उद्देश्य 2023-24 से 2025-2026 की अवधि के दौरान किसानों को किराये की सेवाएँ प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन प्रदान करना है।
- इस पहल के तहत महिला लाभार्थियों को ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

ड्रोन दीदी किसानों की कैसे मदद करेंगी?

- प्रशिक्षित महिला ड्रोन पायलट किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों जैसे उर्वरक छिड़काव, बीज बोने और फसल निगरानी में मदद करेंगी।
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराकर भारतीय कृषि पद्धतियों का आधुनिकीकरण करना और उत्पादकता बढ़ाना है।
- केंद्र प्रत्येक पहचाने गए SHG को ड्रोन की लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगा।

ज़ॉम्बी स्टार्टअप

पाठ्यक्रम: GS 3/अर्थव्यवस्था

खबरों में

- ज़ॉम्बी स्टार्टअप आज एक आम परिदृश्य बन गए हैं।

ज़ोंबी स्टार्टअप के बारे में

- ज़ोंबी स्टार्टअप ऐसे उद्यम हैं जो स्थायी विकास हासिल करने या स्केल करने में विफल रहे हैं।
- वे स्थिर विकास और घटते संसाधनों की विशेषता रखते हैं।
- वे नए निवेश को आकर्षित करने या राजस्व उत्पन्न करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जो समय के साथ कम होते मौजूदा फंडों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
- वे अधिक व्यवहार्य उद्यमों को आवंटित किए जा सकने वाले स्थान और संसाधनों पर कब्जा करके बाजार की गतिशीलता को विकृत कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकास धीमा हो सकता है।
- वे एक आधुनिक चुनौती हो सकते हैं, लेकिन सक्रिय उपायों और सामूहिक प्रयास के साथ, वे उद्यमशीलता नवाचार की चल रही यात्रा में मूल्यवान सबक के रूप में काम कर सकते हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- केंद्र सरकार अगले पाँच वर्षों के भीतर देश की लगभग दो लाख ग्राम पंचायतों में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PAC) स्थापित करेगी, जहाँ कोई सहकारी नेटवर्क नहीं है।

सहकारी समितियाँ क्या हैं?

- सहकारी समितियाँ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत एक राज्य विषय है।
- जबकि एक ही राज्य में कार्यरत सहकारी समितियाँ अपने-अपने राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम द्वारा शासित होती हैं, एक से अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत सहकारी समितियाँ भारत सरकार (जीओआई) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 द्वारा शासित होती हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)

- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसएस) वे ऋण समितियाँ हैं जो संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।
- ये गांवों में जमीनी स्तर की संस्थाएँ हैं जिनमें व्यक्तिगत किसान, कारीगर और अन्य कमजोर वर्ग सदस्य श्रेयरधारक हैं।
- वे संघीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के सबसे निचले स्तर का निर्माण करते हैं, जबकि जिला सहकारी बैंक (DCCB) और/या राज्य सहकारी बैंक (SICB) उनके ऊपरी स्तरों पर हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के लाभ

- ऋण प्रावधान: PAC किसानों और ग्रामीण निवासियों को ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं। इसमें कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।
- वित्तीय समावेशन: वे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ लाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच नहीं हो सकती है।
- कृषि सहायता: PAC उचित दरों पर बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की आपूर्ति जैसी सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है।
- भंडारण और विपणन: वे कृषि उपज के भंडारण और कभी-कभी इसके विपणन में सहायता करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिले।
- प्रशिक्षण और शिक्षा: PAC किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, वित्तीय साक्षरता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं।
- सामाजिक और आर्थिक विकास: ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार करके, PAC ग्रामीण समुदायों के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं, गरीबी को कम करते हैं और जीवन स्तर में सुधार करते हैं।
- रोज़गार सृजन: अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, PAC ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार सृजन में योगदान करते हैं।

PACS के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- सीमित संसाधन: कई PAC पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी से पीड़ित हैं, जो उनके सदस्यों को व्यापक सेवाएँ प्रदान करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप: PAC के कामकाज में राजनीतिक प्रभाव पक्षपात, भ्रष्टाचार और संसाधनों के गलत आवंटन को जन्म दे सकता है, जिससे उनका उद्देश्य कमज़ोर हो सकता है।
- उच्च अतिदेय ऋण: एक महत्वपूर्ण मुद्दा अतिदेय ऋणों के कारण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर है। खराब वसूली तंत्र और ढीले ऋण देने के तरीके इस समस्या में योगदान करते हैं।
- सीमित ऋण उत्पाद: PAC ऋण उत्पादों की एक सीमित श्रृंखला प्रदान करते हैं, जो ग्रामीण आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं।

- तकनीकी पिछड़ापन: कई PAC आधुनिक तकनीक और डिजिटल बैंकिंग समाधानों को अपनाने में पिछड़े जाते हैं, जो उनकी दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है।

आगे की राह

- सरकार से वित्तीय सहायता में वृद्धि से PAC को अपने पूंजी आधार को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी बनाने से PAC को अतिरिक्त संसाधनों तक पहुँचने में मदद मिल सकती है।
- ग्रामीण आबादी की विविध आवश्यकताओं, जैसे कि माइक्रोलोन, फसल बीमा और बचत उत्पादों के अनुरूप ऋण उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करने की आवश्यकता है।
- धोखाधड़ी और कुप्रबंधन का पता लगाने और रोकने के लिए आंतरिक निगरान और लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत करना भी आवश्यक है।

राइट टू रिपेयर पोर्टल

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

- केंद्र ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से एकीकृत राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया से जुड़ने को कहा।

के बारे में

- उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को उनके उत्पादों की मरम्मत, एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ई-कचरे को कम करने के बारे में जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था।
- पोर्टल उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों के लिए मैनुअल, मरम्मत गाइड और वीडियो प्रदान करता है, जिससे उन्हें मरम्मत प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है।
- यह स्पेयर पार्ट्स की कीमत और वारंटी के बारे में जानकारी का खुलासा करता है, जिससे उपभोक्ता मरम्मत के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।
- पोर्टल शुरू में कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऑटोमोबाइल आइटम आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

GST ने सात साल पूरे किए

पाठ्यक्रम: जीएस 3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- जून 2024 में माल और सेवा कर (GST) के सात साल पूरे होने पर, सकल मासिक संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% की वृद्धि दर्शाता है।

के बारे में

- 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने जीएसटी की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया और इसे भारत में 1 जुलाई 2027 को लागू किया गया।
- अप्रैल 2018 तक जीएसटी करदाताओं की संख्या 1.05 करोड़ से बढ़कर अप्रैल 2024 में 1.46 करोड़ हो गई है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है।
- जीएसटी प्रणाली एक दोहरी संरचना का पालन करती है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती रूप से लगाया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात पर एक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है लेकिन गंतव्य राज्य को आवंटित किया जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं।
- जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करती है, जिनमें शामिल हैं:
- जीएसटी के अंतर्गत आने वाले कर, उपकर और अधिभार
- जीएसटी के अधीन या छूट प्राप्त होने वाली वस्तुएँ और सेवाएँ
- मॉडल जीएसटी कानून, लेवी के सिद्धांत और आईजीएसटी का विभाजन
- कर की दरें, सीमाएँ, विशेष प्रावधान और जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला
- विवाद समाधान: परिषद जीएसटी से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करती है।
- केंद्र के पास कुल मतदान शक्ति का एक तिहाई है, जबकि राज्यों के पास सामूहिक रूप से दो तिहाई है।

GST की मुख्य विशेषताएँ

- एक राष्ट्र, एक कर: जीएसटी ने पूरे भारत में कर संरचना में एकरूपता ला दी, जिससे करों का व्यापक प्रभाव समाप्त हो गया।
- गंतव्य-आधारित कर: जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है, जो निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC): जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग की अनुमति देता है, जिसमें व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या प्रावधान में उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर चुकाए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। यह दोहरे कराधान से बचने में मदद करता है और समग्र कर देयता को कम करता है।
- ऑनलाइन अनुपालन: जीएसटी ने पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, करों के भुगतान और अन्य अनुपालन-संबंधी गतिविधियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) पेश किया।
- मुनाफाखोरी विरोधी उपाय: सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण व्यवसायों द्वारा अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं और मुनाफाखोरी में शामिल न होने की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (NAA) की स्थापना की।
- कंपोजिशन स्कीम: कंपोजिशन स्कीम छोटे करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिनका टर्नओवर एक निर्धारित सीमा से कम है। इस योजना के तहत, व्यवसायों को अपने टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत जीएसटी के रूप में देना होता है और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाया जाता है।

चुनौतियाँ

- रिफंड में देरी के मुद्दे: सरकार ने निर्यात रिफंड की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जीएसटी के तहत रिफंड की स्वचालित प्रक्रिया हमेशा से ही प्रमुख चिंता का विषय रही है।
- अपनाते और तकनीकी मुद्दे: छोटे और मध्यम व्यवसाय अभी भी तकनीक-सक्षम व्यवस्था के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जीएसटी व्यवस्था में चिंता के कई क्षेत्रों को भी उजागर किया है, जो इस प्रकार हैं:
- कर दरों की बहुलता,
- पूर्वानुमान के मुकाबले जीएसटी संग्रह में कमी,
- जीएसटी संग्रह में उच्च अस्थिरता,
- रिटर्न दाखिल करने में असंगतता,
- राज्यों की केंद्र से मिलने वाले मुआवजे पर निर्भरता

आगे की राह

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने निस्संदेह भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करके, इसने अधिक कुशल और पारदर्शी कर व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया है।
- प्रारंभिक चुनौतियों और चल रहे समायोजनों के बावजूद, जीएसटी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, कर अनुपालन में सुधार करने और सरकार के लिए अधिक मजबूत राजस्व प्रणाली बनाने का वादा करता है।
- जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, जीएसटी ढांचे को चुनौतियों का समाधान करने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ठीक किया जाना चाहिए।

प्रोजेक्ट नेक्सस

पाठ्यक्रम: जीएस 3/अर्थव्यवस्था

खबरों में

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है।

प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में

- प्रोजेक्ट नेक्सस की अवधारणा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा बनाई गई है।
- यह भुगतान क्षेत्र में लाइव कार्यान्वयन की ओर बढ़ने वाली पहली BIS इनोवेशन हब परियोजना है।
- यह वैश्विक स्तर पर कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (IPS) को जोड़कर सीमा पार भुगतान को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- बीआईएस भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के केंद्रीय बैंकों और आईपीएस ऑपरेटर्स को सुविधा प्रदान करेगा क्योंकि वे अगले चरण में लाइव कार्यान्वयन की दिशा में काम करेंगे, जिसमें बैंक ऑफ इंडोनेशिया विशेष पर्यवेक्षक के रूप में होगा।
- इस प्लेटफॉर्म के 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्वर्णन

पाठ्यक्रम: जीएस 3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- खान मंत्रालय भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्वर्णन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना तैयार कर रहा है।

- प्रस्तावित पीएलआई योजना नीति आयोग की नीतिगत सिफारिशों के अनुरूप है, और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (बीडब्ल्यूएमआर), 2022 का पूरक है, जो 2026 से इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लिथियम-आयन बैटरी के चरणबद्ध पुनर्वर्तन को अनिवार्य बनाता है।
- पीएलआई योजना ई-कचरे के पुनर्वर्तन को लक्षित करेगी - जिसे अक्सर "शहरी खनन" कहा जाता है - लिथियम, तांबा, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को पुनर्प्राप्त करने के लिए।

महत्वपूर्ण खनिज पुनर्वर्तन की आवश्यकता

- अपशिष्ट उत्पादन: सौर और पवन ऊर्जा अवसंरचना तथा ईवी अपनाने में तेजी से वृद्धि के कारण भारत में ई-कचरा उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है।
- पीवी मॉड्यूल अपशिष्ट वित्त वर्ष 23 में 100 किलोटन से बढ़कर 2030 तक 340 किलोटन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, आने वाले वर्षों में 500 किलोटन ईवी बैटरियां पुनर्वर्तन इकाइयों तक पहुंचने की उम्मीद है।
- दुर्लभ भंडार: नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन के लिए तांबा, मैंगनीज, जस्ता और इंडियम सहित खनिजों की बढ़ती मात्रा की आवश्यकता होगी।
- हालांकि, भारत के पास इनमें से बहुत अधिक खनिज भंडार नहीं हैं, या इसकी आवश्यकताएँ उपलब्धता से अधिक हो सकती हैं।

चीनी प्रभुत्व:

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- ये वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
- इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता संभावित रूप से "आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियों और आपूर्ति में व्यवधान" का कारण बन सकती है।

महत्वपूर्ण खनिजों के अनुप्रयोग

- शून्य-उत्सर्जन वाहन, पवन टर्बाइन, सौर पैनल आदि जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहल।
- कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, सेलेनियम और वैनेडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज और बैटरी, अर्धचालक, सौर पैनल आदि में उपयोग किए जाते हैं।
- रक्षा अनुप्रयोग, स्थायी चुंबक, सिरमिक जैसे उन्नत विनिर्माण इनपुट और सामग्री।
- बेरिलियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, टैंटलम आदि जैसे खनिजों का उपयोग नई प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में किया जाता है।
- प्लैटिनम समूह धातु (PGM) का उपयोग चिकित्सा उपकरणों, कैंसर उपचार दवाओं और दंत चिकित्सा सामग्री में किया जाता है।

महत्वपूर्ण खनिजों की सूची

- विभिन्न देशों की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी अनूठी सूचियाँ हैं।
- भारत के लिए कुल 30 खनिज सबसे महत्वपूर्ण पाए गए, जिनमें से दो उर्वरक खनिजों के रूप में महत्वपूर्ण हैं: एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफ़नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, PGE, फॉस्फोरस, पोटेश, REE, सेलियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेलूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

निष्कर्ष

- यह कदम एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की हाल की नीलामी के प्रति सुस्त प्रतिक्रिया के बाद घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि 2040 तक, केवल इस्तेमाल की गई बैटरियों से प्राप्त पुनर्वर्तित तांबा, लिथियम, निकल और कोबाल्ट से इन खनिजों का 10% प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि पुनर्वर्तन केवल महत्वपूर्ण खनिजों की कमी को कम कर सकता है, इसे हल नहीं कर सकता।

जिला खनिज फाउंडेशन

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

समाचार में

- नई दिल्ली में शास्त्री भवन में जिला खनिज फाउंडेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया।

जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में

- जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) खनन गतिविधियों से प्रभावित जिलों में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित गैर-लाभकारी ट्रस्ट हैं।
- कानूनी आधार: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के माध्यम से 2015 में पेश किया गया।
- उद्देश्य: खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना।
- वित्तपोषण: DMFs को खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई रेंटल्टी के एक हिस्से, राज्य सरकार के बजट से योगदान और निजी कंपनियों से प्राप्त दान से वित्त पोषित किया जाता है।
- कार्यान्वयन: डीएमएफ को ट्रस्टी बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय समुदाय और विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बोर्ड PMKKKY और अन्य योजनाओं के तहत परियोजनाओं को तैयार करता है और उन्हें मंजूरी देता है।

कुरुक्षेत्र अगस्त 2024: कुरुक्षेत्र का सार : ग्रामीण भारत में नवाचार को बढ़ावा देना

1- लखपति दीदी बनाना

लखपति दीदी पहल:

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को स्थायी आजीविका प्रथाओं को अपनाकर 1,00,000 रुपये से अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है।
- इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। 2 करोड़ लखपति दीदियों के शुरुआती लक्ष्य के साथ, कार्यक्रम का लक्ष्य 2024-25 के दौरान 3 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है।

पहल का अवलोकन:

- लखपति दीदी पहल 10 करोड़ महिलाओं के साथ 94 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का समर्थन करती है, जिससे उन्हें 1,00,000 रुपये से अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जाता है।
- ये महिलाएं स्थायी आजीविका प्रथाओं और एक सभ्य जीवन स्तर प्राप्त करने के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करती हैं।
- स्वयं सहायता समूह सामूहिक कार्रवाई, वित्तीय साक्षरता और उद्यमशील उपक्रमों के लिए कौशल विकास के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।
- यह पहल सरकारी विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, निजी क्षेत्र और बाजार के खिलाड़ियों के बीच समन्वय करके सभी स्तरों पर केंद्रित योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ विविध आजीविका गतिविधियों की सुविधा प्रदान करती है।

योजना की रणनीति:

- आजीविका विकल्पों को गहरा, मजबूत और विस्तारित करना: परिवारों को आय-उत्पादक गतिविधियों में विविधता लाने में सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति आजीविका नियोजन के लिए एक उपकरण का उपयोग करेंगे और समेकन और संसाधन लिंकेज के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा अपलोड करेंगे।
- क्षमता निर्माण: भारत भर में संभावित लखपति दीदियों (एसएचजी सदस्यों) को प्रशिक्षित करने और उनका समर्थन करने के लिए एक कैस्केड प्रशिक्षण रणनीति का उपयोग किया जाएगा। विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे, जो फिर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित करेंगे। ये मास्टर ट्रेनर पहचान की गई लखपति दीदियों का मार्गदर्शन करने के लिए राज्य मिशनों द्वारा चुने गए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे।
- वित्तीय सहायता: DAY-NRLM SHG महिलाओं और उनके संघों के लिए वित्तीय सहायता जुटाने में मदद करेगा, जिससे उनके विकास के लिए एक मंच उपलब्ध होगा।
- आजीविका रजिस्टर: SHG सदस्य कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और अन्य जैसी विविध आजीविका गतिविधियों में शामिल हैं। आजीविका रजिस्टर आय बढ़ाने और प्रगति को मापने के लिए गांव स्तर पर इन गतिविधियों को ट्रैक करता है। ग्राम संगठन (VO) स्तर पर बनाए रखा गया, इसे हर छह महीने में योजना बनाने और लखपति दीदियों की प्रगति को ट्रैक करने में सहायता के लिए अपडेट किया जाएगा।

INTERIM BUDGET 2024-25

Viksit Bharat by 2047

Momentum to Nari Shakti

- 30 crore Mudra Yojana loans disbursed to women entrepreneurs
- Female enrolment in higher education increased by 28 per cent in 10 years
- Female constitute 43 per cent of enrolment in STEM courses, one of the highest in the world
- 1 crore women assisted by 83 lakh SHGs to become Lakhpati Didis

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @PIBIndia @PIB_India @PIBHindi @PIBHindi

वित्तीय सहायता:

- रिवॉल्विंग फंड (RF): एक स्वयं सहायता समूह (SHG) के भीतर एक बचत निधि जहां सदस्य नियमित रूप से योगदान करते हैं और तत्काल जरूरतों के लिए एक-दूसरे को उधार देते हैं, स्वामित्व और वित्तीय आदतों को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक SHG को आमतौर पर आंतरिक उधार के लिए 20,000 रुपये से 30,000 रुपये मिलते हैं।
- भेद्यता न्यूनीकरण निधि (वीआरएफ): खाद्य असुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम जैसी भेद्यताओं को दूर करने के लिए वलस्टर स्तरीय संघों के माध्यम से ग्राम संगठनों (वीओ) को प्रदान की जाती है। प्रत्येक वीओ को सदस्य आजीविका और सामूहिक गतिविधियों के लिए 1,50,000 रुपये मिलते हैं, जो माइक्रो क्रेडिट प्लान (एमसीपी) और भेद्यता न्यूनीकरण योजनाओं के आधार पर वितरित किए जाते हैं।

- सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ): सामुदायिक संस्थाओं की ऋण-योग्यता को बढ़ाता है और वित्तीय प्रबंधन में महिलाओं को सशक्त बनाता है। एसएचजी संघ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रति एसएचजी 2.50 लाख रुपये तक उधार देते हैं, जो वलस्टर स्तरीय संघों या ग्राम संगठनों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।
- व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ): वलस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) को परिचालन लागतों को कवर करने में सहायता करता है जब तक कि वे 100% परिचालन आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर लेते। सीएलएफ को वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करने के लिए तीन साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- वित्तीय समावेशन: कार्यशालाओं, मंचों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से एसएचजी सदस्यों को वित्तीय विनियामकों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ जोड़ता है ताकि उन्हें वित्तीय रूप से स्थापित व्यक्तियों के रूप में सशक्त बनाया जा सके, जिन्हें "लखपति दीदी" कहा जाता है।
- महिला उत्पादक समूह (पीजी) कार्यशील पूंजी और बुनियादी ढांचे के लिए प्रति समूह 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे वस्तुओं को एकत्र कर सकें और बाजार में बेहतर मूल्य बातचीत और उच्च लाभ प्राप्त कर सकें। इस सहायता का उद्देश्य गांव स्तर पर इन छोटे आकार की, अपंजीकृत संस्थाओं की व्यावसायिक गतिविधियों को बनाए रखना और बढ़ाना है।
- उत्पादक उद्यम (पीई): बड़े उत्पादक उद्यमों को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, बेहतर बाजार पहुंच और पेशेवर प्रबंधन के लिए बढ़ावा देना। राज्य स्तरीय संघों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- महिला किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): कृषि मंत्रालय के साथ साझेदारी करते हुए, प्रत्येक एफपीओ को तीन वर्षों में 15 लाख रुपये का इक्विटी अनुदान प्रदान किया जाता है।
- सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ): एसवीईपी और ओएसएफ जैसी योजनाएं एसएचजी सदस्यों को उद्यमों के विकास और विस्तार में सहायता करती हैं। एसवीईपी का बजट प्रति ब्लॉक 6.5 करोड़ रुपये है, जिसमें ब्लॉक संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे और सहायता के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को रखा जाएगा। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई): ग्रामीण परिवहन सेवाओं के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करती है। व्यक्ति 6.5 लाख रुपये तक और समूह 8.5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- वन स्टॉप सुविधा (ओएसएफ): ब्लॉक-स्तरीय केंद्र व्यवसाय विकास सेवाएँ प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत उद्यमों के लिए 2.5 लाख रुपये और समूह उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये का समर्थन है, जिसमें 10% उद्यमी योगदान है।
- सूक्ष्म उद्यम विकास (MED): SHG के लिए गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमों को प्रति ब्लॉक 20 लाख रुपये के बजट के साथ समर्थन देता है, जिससे कम से कम 200 उद्यमों को सहायता मिलती है।
- इनक्यूबेटर: विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रति राज्य 10.70 करोड़ रुपये के साथ प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 150 महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों को बढ़ाने का लक्ष्य है।
- वलस्टर संवर्धन: डिज़ाइन विकास, बाज़ार विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे हस्तक्षेपों के लिए प्रति वलस्टर 5 करोड़ रुपये के साथ कारीगर और क्षेत्रीय वलस्टर को बढ़ावा देता है।
- SHG के लिए पूंजीकरण सहायता: इसमें प्रति SHG 20 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण, ब्याज अनुदान, ओवरड्राफ्ट सीमा और ऋण गारंटी और ऋण के लिए महिला उद्यम त्वरण निधि शामिल है।
- SHG के लिए पूंजीकरण सहायता: इसमें प्रति SHG 20 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण, ब्याज अनुदान, ओवरड्राफ्ट सीमा और ऋण गारंटी और ऋण के लिए महिला उद्यम त्वरण निधि शामिल है।
- मार्केटिंग सहायता: क्रेता-विक्रेता बैठकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (जैसे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो) और एसएचजी उत्पादों के लिए पतंजलि जैसी साझेदारियों के माध्यम से बाज़ार संपर्क।

2- ग्रामीण भारत में डिजिटल तकनीकों को अपनाना

भारत के ग्रामीण परिदृश्य में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है, जो डिजिटल तकनीकों के तेज़ी से अपनाए जाने से प्रेरित है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से लेकर कृषि और आर्थिक सशक्तीकरण तक, अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों के एकीकरण में शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है।

शिक्षा में क्रांति लाना: सीखने की खाई को पाटना

- कोविड-19 महामारी ने डिजिटल शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया है, खासकर ग्रामीण भारत में।
- पीएम ई-विद्या कार्यक्रम और प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा) जैसी सरकार की प्रमुख पहल दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों और वयस्कों को ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण तक पहुँच प्रदान करने में सहायक रही हैं।
- शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीएमजीडिशा योजना ने 2017 में अपनी शुरुआत से अब तक 5.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया है, जिससे उन्हें डिजिटल परिदृश्य में नेविगेट करने में सशक्त बनाया गया है।

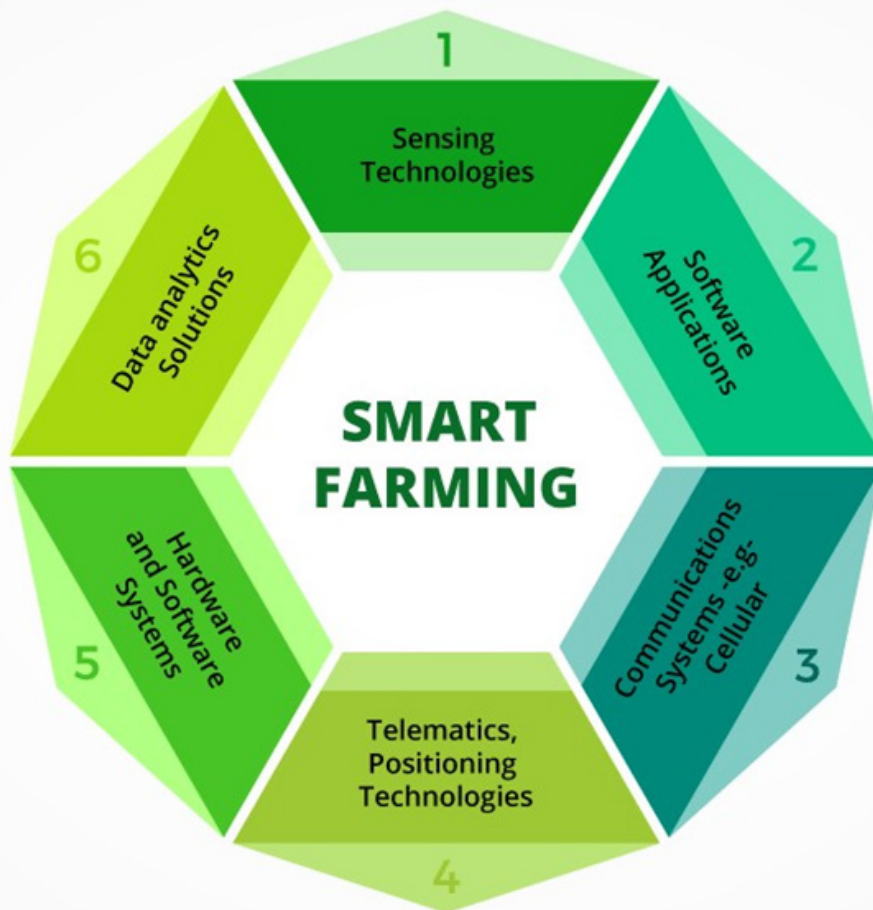


स्वास्थ्य सेवा में बदलाव: टेलीमेडिसिन और डिजिटल डायग्नोस्टिक्स

- टेलीमेडिसिन और डिजिटल डायग्नोस्टिक्स को अपनाने से ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्रांति आई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) ने एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण की सुविधा प्रदान की है, जिससे चिकित्सा सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक निर्बाध पहुँच संभव हुई है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के एक अध्ययन से पता चलता है कि महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग 700% से अधिक बढ़ गया, जो भौगोलिक बाधाओं और विशेष स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच की चुनौतियों का समाधान करने में इन तकनीकों की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करता है।

कृषि को सशक्त बनाना: सटीक खेती और बाज़ार संपर्क

- डिजिटल तकनीकों ने ग्रामीण भारत में कृषि परिदृश्य को बदल दिया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) प्लेटफॉर्म जैसी पहलों ने किसानों को भूमि रिकॉर्ड, मौसम पूर्वानुमान और ऑनलाइन मार्केटप्लेस तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाया है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल उपकरणों और सेंसर द्वारा सक्षम सटीक कृषि तकनीकों को अपनाने से कई राज्यों में फसल की पैदावार में 20-30% की वृद्धि हुई है, जिससे ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार हुआ है।



sciforce

आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा: डिजिटल वित्तीय समावेशन

- डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए जोर ग्रामीण समुदायों के लिए एक गेम-चेंजर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसी योजनाओं ने बैंकिंग, क्रेडिट और डिजिटल भुगतान तक सहज पहुँच की सुविधा प्रदान की है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन से पता चलता है कि बैंक खाता रखने वाले ग्रामीण वयस्कों का प्रतिशत 2014 में 53% से बढ़कर 2021 में 80% हो गया, जो वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में इन पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है।

महिलाओं को सशक्त बनाना: डिजिटल उद्यमिता और कौशल

- डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने उद्यमशीलता के अवसरों और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त बनाया है।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) और महिला ई-हाट प्लेटफॉर्म जैसी पहलों ने महिलाओं को अपने आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है, जिससे एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिला है।
- भारतनेट परियोजना, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) जैसी सरकारी योजनाएँ डिजिटल विभाजन को पाटने और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं तक पहुँच और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- हालाँकि प्रगति सराहनीय रही है, लेकिन बुनियादी ढाँचे की कमी, डिजिटल साक्षरता और सांस्कृतिक बाधाएँ जैसी चुनौतियाँ ग्रामीण भारत में डिजिटल तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने में बाधा बन रही हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल परिवर्तन का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचे, सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों द्वारा निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण हैं। जैसे-जैसे भारत डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के अपने दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल



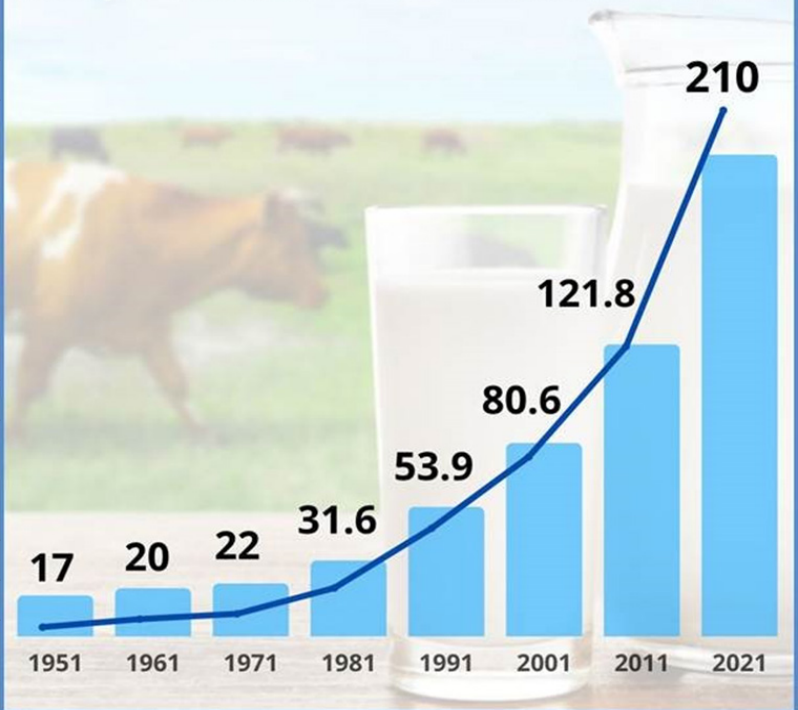
तकनीकों को अपनाना समावेशी विकास और सतत विकास की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। डिजिटल समाधानों की शक्ति का लाभ उठाकर, ग्रामीण भारत समृद्धि, सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है।

3- नवाचार के माध्यम से ऑपरेशन फ्लड को फिर से शुरू करना

भारत के डेयरी उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, 2014-15 और 2022-23 के बीच दूध उत्पादन 5.85% की CAGR से बढ़ा है हालांकि, समृद्ध देशों की तुलना में उत्पादकता कम है, भारत की गायें औसतन कम दूध देती हैं।

- 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के तीन लक्ष्य थे: ग्रामीण आय बढ़ाना, दूध उत्पादन बढ़ाना और किफायती दूध की आपूर्ति करना। इसने दूध उत्पादन को सफलतापूर्वक बढ़ाया, लेकिन ग्रामीण आय और दूध की किफायती कीमत में अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद, भारत की प्रति व्यक्ति दूध की खपत कई विकसित देशों से पीछे है।
- कई मुद्दे बने हुए हैं, जिनमें कम उत्पादकता, खराब मवेशी प्रबंधन और गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ शामिल हैं, जिसमें दूध का एक बड़ा हिस्सा मिलावटी होता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, नवाचार और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण आवश्यक है।
- स्वचालित दूध देने की प्रणाली, डेटा-संचालित निर्णय लेने और सटीक फीडिंग जैसी तकनीकी प्रगति डेयरी फार्मिंग में दक्षता और स्थिरता में काफी सुधार कर सकती है। ये प्रौद्योगिकियाँ पशु स्वास्थ्य की निगरानी करने, पोषण को अनुकूलित करने और दूध उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती हैं।
- इसके अतिरिक्त, स्मार्ट बार्न और बायोगैस उत्पादन जैसी संधारणीय प्रथाएँ डेयरी उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकती हैं।
- डेयरी फार्मिंग में एआई और रोबोटिक्स के एकीकरण से झुंड प्रबंधन और उत्पादकता में और सुधार की उम्मीद है। डिजिटलीकरण और स्वचालन बड़े झुंडों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, जिससे श्रम और परिचालन लागत कम हो सकती है।
- डेयरी फार्मिंग का भविष्य इन नवाचारों को अपनाने में निहित है ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो, ग्रामीण आय में सुधार हो और उपभोक्ताओं को किफायती, उत्तम गुणवत्ता वाला दूध उपलब्ध हो। इससे डेयरी फार्मिंग से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके व्यापक पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी।

Milk production in India (in Million tonnes)



4-ग्रामीण भारत: समावेशिता के लिए नवाचार

समावेशीपन विकास की कुंजी है, जिसके लिए न केवल उपलब्धता बल्कि सुविधाओं और संसाधनों तक निर्बाध पहुँच की आवश्यकता होती है। नवाचारों ने भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास के अंतर को बहुत कम कर दिया है। यह लेख बताता है कि नवाचार ग्रामीण भारत में समावेशिता को कैसे बढ़ावा देता है।

विकास के लिए नवाचार

- संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए नवाचार को प्रभावशाली, लचीले और समावेशी समाज बनाने के लिए आधुनिक अवधारणाओं और उपकरणों का उपयोग करने के रूप में परिभाषित करता है।
- भारत ने अपने वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) की रैंकिंग में सुधार किया है, जो 2020 में 48 से बढ़कर 2023 में 40 हो गई है। नवाचार को केंद्रीय विषय के रूप में रखते हुए, भारत ने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत किया है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है।

दूरसंचार: विभाजन को पाटना

- भारत में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 2001-2012 के बीच 41 मिलियन से बढ़कर 943 मिलियन हो गई, जिसमें मोबाइल फोन की संख्या 911 मिलियन थी। ग्रामीण टेली-घनत्व 2004 में 1.7% से बढ़कर 2023 में 58.5% हो गया।
- PM-WANI योजना इंटरनेट की पहुंच को और बढ़ाती है, जो ग्रामीण आबादी के जीवन में परिलक्षित होती है और समावेशिता को बढ़ावा देती है।

स्वास्थ्य सेवा: सुलभ गुणवत्ता देखभाल

- पेशेवरों द्वारा शहरी स्थानों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की कमी होती है।
- ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 2019 में लॉन्च होने के बाद से 241 मिलियन से अधिक परामर्शों के साथ इस समस्या का समाधान किया है। इस सेवा ने ग्रामीण आबादी को सुलभ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सलाह प्रदान की है, जिससे महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को काफी लाभ हुआ है।

शिक्षा: समान अवसर

- शहरी-ग्रामीण शिक्षा असमानता सामाजिक समानता को प्रभावित करती है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और शैक्षिक ऐप ने ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण संसाधनों तक पहुंच प्रदान की है। महामारी ने डिजिटल शिक्षा को अपनाने में तेज़ी लाई है। AI एकीकरण अनुकूलित शिक्षा प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण छात्रों और शिक्षकों को उत्कृष्ट-गुणवत्ता वाली सामग्री सुलभ हो जाती है।

बैंकिंग और वित्त: समावेशी सेवाएँ

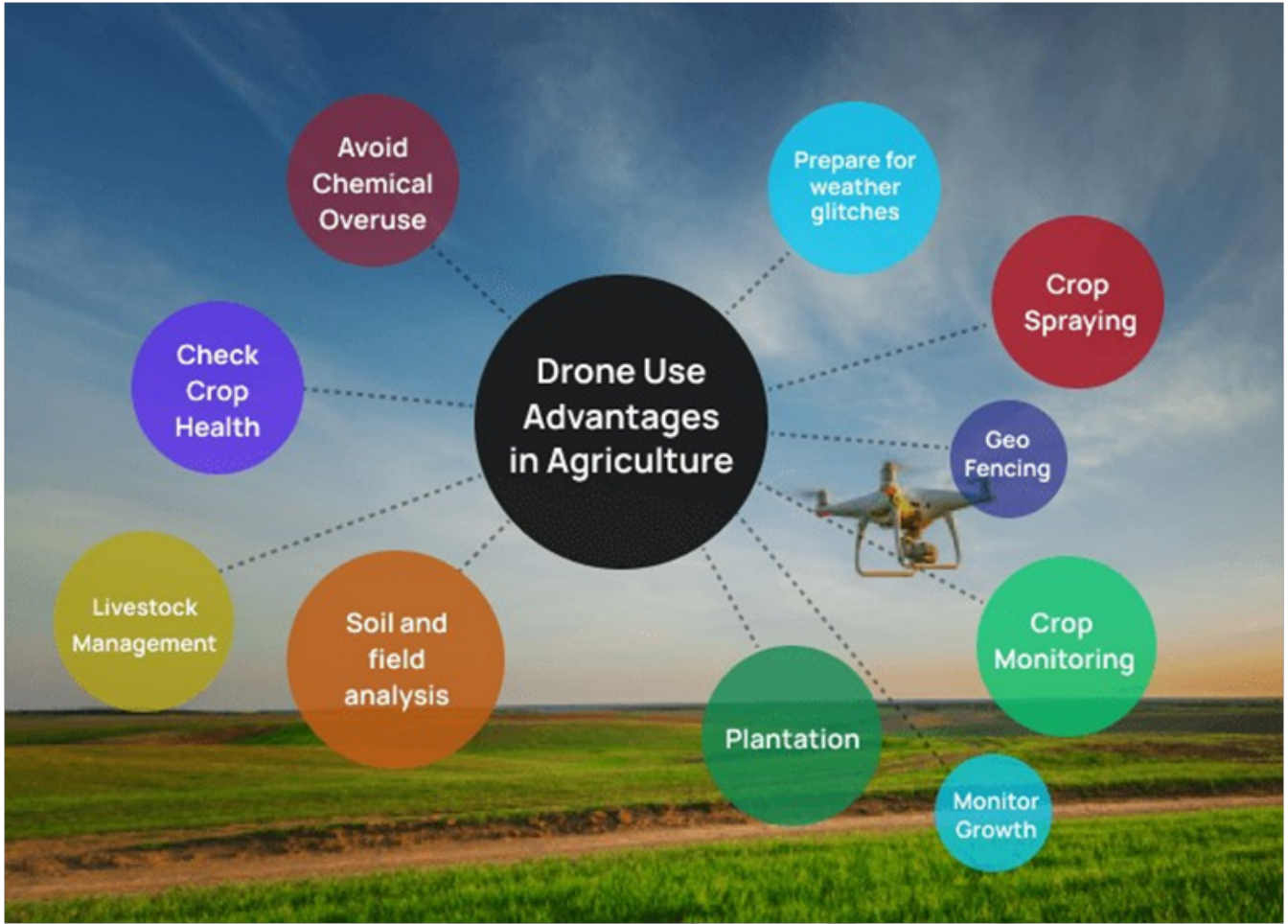
- आधार-आधारित सेवाओं के साथ बैंकिंग और ऋण तक पहुँच में सुधार हुआ है। आधार का डेटाबेस और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वंचित आबादी के लिए बेहतर क्रेडिट स्कोरिंग और जोखिम मूल्यांकन सक्षम करता है।
- डिजिटल भुगतान समाधान और एजेंट बैंकिंग ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

कृषि: उत्पादकता को बढ़ावा देना

- लगभग 70% ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं। AI-सक्षम ड्रोन जैसी तकनीकी प्रगति ने खेती की दक्षता में सुधार किया है।
- सरकारी सब्सिडी ड्रोन के उपयोग का समर्थन करती है, और कृषि बीमा के डिजिटलीकरण ने दावों के समाधान में तेज़ी लाई है। मोबाइल ऐप बीमा, मौसम और बाज़ार की कीमतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

स्वच्छ जल तक पहुँच: संधारणीय समाधान

- सुरक्षित पेयजल तक पहुँच महत्वपूर्ण है। बून जैसे स्टार्टअप ने IoT-आधारित निगरानी के साथ सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर एटीएम पेश किए हैं, जिससे पानी की पहुँच में सुधार हुआ है।
- भूजल ऐप जैसे नवाचार भूजल स्तर को मापने में मदद करते हैं, जिससे बेहतर जल प्रबंधन और नियोजन में सहायता मिलती है।



निष्कर्ष

- ग्रामीण भारत में नवाचार संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ संरेखित होते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। विकास को बनाए रखने के लिए मजबूत डिजिटल बुनियादी ढाँचा महत्वपूर्ण है, और ग्रामीण समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी फर्मों में शहरी पूर्वाग्रह को कम करना आवश्यक है। निरंतर नवाचार के माध्यम से, ग्रामीण भारत अधिक समावेशिता और विकास प्राप्त कर सकता है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न- (लगभग 250 शब्द)

प्रश्न 1. ग्रामीण भारत में समावेशिता को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका पर चर्चा करें। उन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालें जहाँ तकनीकी प्रगति ने ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, और उन चुनौतियों की जाँच करें जिन्हें इस विकास को बनाए रखने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है?

प्रश्न 2. चर्चा करें कि तकनीकी नवाचार भारत के डेयरी क्षेत्र को ऑपरेशन प्लड की तरह कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। उत्पादकता, ग्रामीण आय और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने में उनकी भूमिका को उदाहरणों और सुझाए गए सुधारों के साथ समझाएँ?

प्रश्न 3. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना की आलोचनात्मक जाँच करें। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत में सतत विकास प्राप्त करने में इसकी क्षमता पर चर्चा करें?

RAO'S ACADEMY

for Competitive Exams

BHOPAL | INDORE



DR. M. MOHAN RAO
IAS (Retd)
CHAIRMAN



RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)



M. ARUNA MOHAN RAO
IPS (Retd)
DIRECTOR (ACADEMICS)

Coming Soon
in
INDORE

EMAIL: office@raosacademy.in | WEBSITE: www.raosacademy.in

Bhopal Branch: Plot No. 132, Near Pragati Petrol Pump, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal(M.P.) 462011
95222 05553 , 95222 05554

Indore Branch: 10,Vishnupuri, A.B.Road, Near Medi-Square Hospital Bhawar Kuwar Square, Indore (M.P.)-452001
95222 05551, 95222 05552

“विद्याधनं सर्व धनं प्रधानम्”



RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

“YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता”

BHOPAL CENTRE

Plot No. 132,
Near Pragati Petrol Pump,
Zone II, Maharana Pratap
Nagar, Bhopal (M.P) - 462011

Contact:-

95222-05553, 95222-05554

Email Id:- office@raosacademy.in

INDORE CENTRE

10, Vishnupuri Colony,
Bhanwarkua Square,
A.B. Road, Near Medi-Square
Hospital, Indore - 452001

Contact:-

95222-05551, 95222-05552

Website:- www.raosacademy.in

 raosacademybhopal |  raosacademyforcompetitiveexams |  raosacademyforcompetitiveexams